खण्ड-338, अंक-6
मंगलवार, 18 वैशाख, शक संवत् 1901
(8 मई, 1979 ई0)

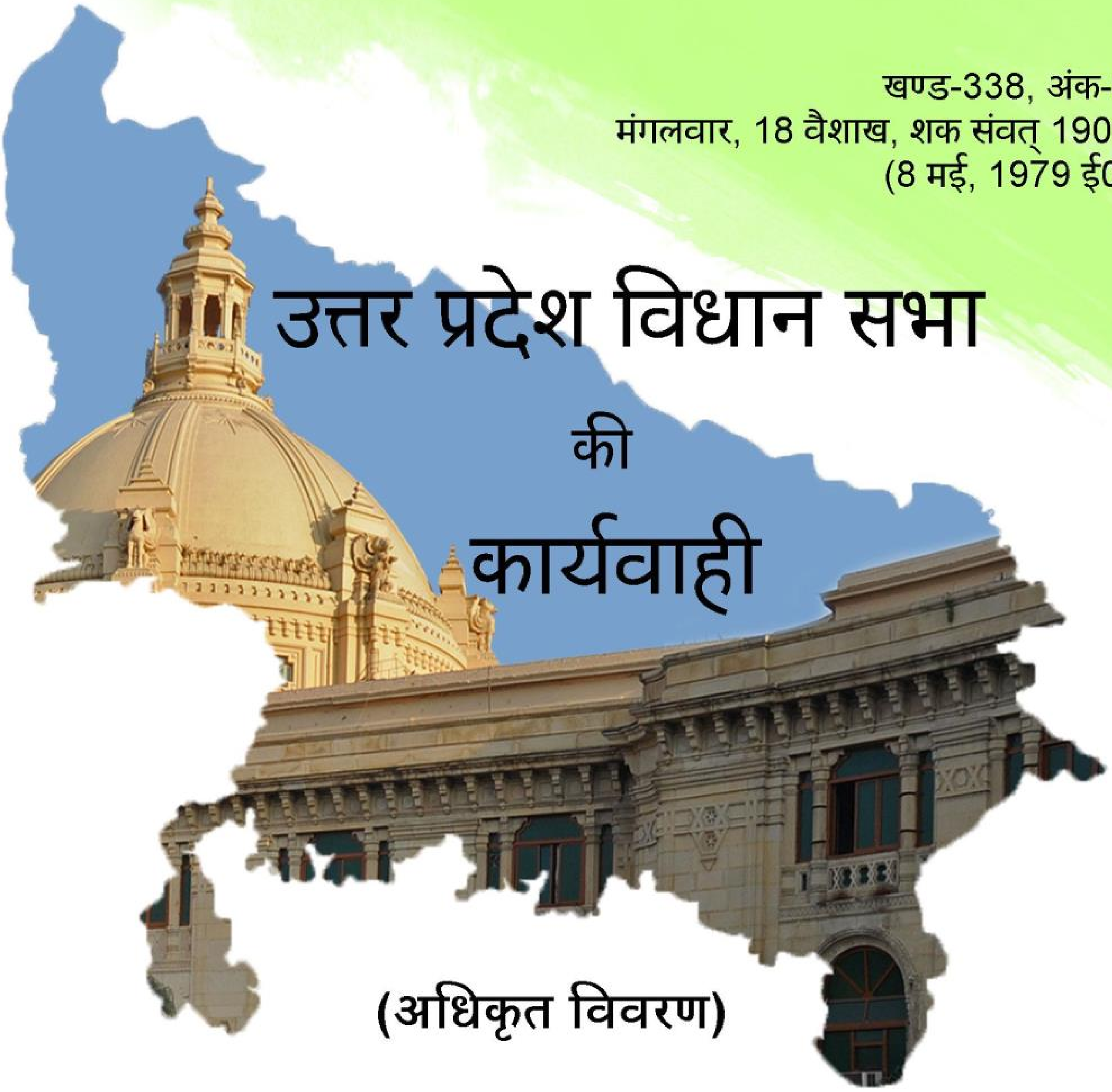

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 338 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ८ मई, १९७९

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---२६

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इस्माईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उमा कान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पान्डेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐंजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)

छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रताप सिंह, श्री
ताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
दीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुबांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल "सरोज," श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुज़फ्फरनगर)
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
ब्रज बल्लभ सिंह, श्री
बेचू राम, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बृज बल्लभ, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री

मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मोती राम, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज वृजराज सिंह, श्री
राज मंगल पान्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजयराज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पान्डेय, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्रीचन्द्र, श्री

श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री रामाधार पांडेय भी सदन में उपस्थित थे।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ८ मई, १९७९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में मंत्रियों का वक्तव्य

**१—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) तथा श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री का ध्यान मन्त्रि मन्डल के उप मुख्य मन्त्री सहित अनेक मन्त्रियों के गत मास के वक्तव्यों की ओर गया है जिसमें उन्होंने प्रदेश के विभाजन पर बल दिया है ? यदि हां, तो इस बारे में शासन की नीति क्या है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

जी हां । कुछ मंत्रीगण के प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में वक्तव्य समाचार-पत्रों में छपे । यह उनके निजी विचार हैं । प्रत्येक मंत्री को किसी प्रश्न पर अपने निजी विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता है । शासन के समक्ष प्रदेश के विभाजन का मामला विचाराधीन नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महत्वपूर्ण नीति विषयक मामलों में मंत्रि-परिषद् के विभिन्न सदस्यों के जब परस्पर विरोधी विचार व्यक्त होते हैं, तो प्रदेश में एक अनिश्चितता और असमंजस की भावना पैदा होती है और प्रशासन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो मुख्य मंत्री जी निर्देश देने की कृपा करेंगे कि इस तरह के परस्पर विरोधी वक्तव्य न दिये जायं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसका जवाब मुख्य मंत्री को देना चाहिये । मुख्य मंत्री जी आज हैं नहीं । दो उप मुख्य मंत्रियों का बयान परस्पर विरोधी आया है, तो या तो मुख्य मंत्री को बुलवायें, अगर वह लखनऊ से बाहर हैं, तो इसको स्थगित कीजिये, उनकी मौजूदगी में इसका जवाब आये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आवश्यक नहीं है कि मुख्य मंत्री जी ही स्वयं यहां हों ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, जरा सुनिये । वास्तविकता यह है कि माननीय कौशिक जी का इस मंत्रि-मंडल के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है । अगर है, तो मुख्य मंत्री का है । दो उप मुख्य मंत्रियों के परस्पर विरोधी बयान आये हैं, मेरा निवेदन है कि यह ठीक है कि कैबिनट की सामूहिक रिसपांसिबिलिटी है कोई मंत्री उत्तर दे सकता है लेकिन यह गंभीर विषय है इसका जवाब देने के लिये मुख्य मंत्री सक्षम हैं । इसलिये हमारा निवेदन है कि इसको स्थगित कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी आप जवाब दे दें ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, प्रदेश सरकार में उप मुख्य मंत्री के दो पद हैं, तो उप मुख्य मंत्री की निश्चित ही किसी साधारण मंत्री से उच्च स्थान होता है, तो उप मुख्य मंत्री जवाब दें । चूंकि इ प्रश्न में २ उप मुख्य मंत्रियों का इन्वाल्वमेंट है इसलिये या तो स्वयं उप मुख्य मंत्री इसका जवाब दें । नहीं तो मंत्रि-परिषद् के मंत्री को इसका जवाब नहीं देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह भी आवश्यक नहीं है ।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर) ।

श्री रमाशंकर कौशिक---

मान्यवर, आपने मुझे इजाजत दी है ।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री नारायण दत्त तिवारी से) आप बैठ जायं ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, इसमें कोई प्रश्न इस बात का नहीं आता है, प्रश्न तो अनेक होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके सम्बन्ध में अलग-अलग राय हर व्यक्ति की हो सकती है । जहां तक संयुक्त उत्तरदायित्व का प्रश्न है, तो जो प्रश्न शासन के समक्ष विचाराधीन होता है, यह विभाजन का प्रश्न चूंकि शासन के विचाराधीन नहीं है, तो यह प्रश्न ऐसा है कि जिस पर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है । दूसरे किसी प्रदेश के बंटवारे का सवाल राज्य सरकार का नहीं है, यह हमारी परिधि में नहीं आता है । दूसरे शासन के सामने यह विभाजन का प्रश्न विचाराधीन नहीं है, इसलिये संयुक्त उत्तरदायित्व और दो उप मुख्य मंत्रियों के बयान का संदर्भ दिया जाता है, तो वह बिल्कुल अनौचित्यपूर्ण है । जहां तक इस सवाल का प्रश्न है, यह शासन के समक्ष विचाराधीन है इसमें संयुक्त उत्तरदायित्व निहित है लिहाजा कोई मंत्री इसका उत्तर देने में सक्षम है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, श्री रियासत हुसैन और श्री नेगी ने जो भाव व्यक्त किये हैं, मैं उससे सहमत हूं । यह विषय गंभीर है । माननीय कौशिक जी दो उप मुख्य मंत्रियों के मामले में जवाब दें यह ठीक नहीं है । नियम ३१३ के अनुसार आपको अधिकार है कि जहां इस प्रकार का गंभीर विषय हो, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुये सदन की भावनाओं की रक्षा कर सकते हैं मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप स्थगित करा दें और कल मुख्य मंत्री जब आ जायेंगे, तो वह उत्तर दे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न पर मुख्य मंत्री उत्तर दे चुके हैं। दिनांक २ मई को मुख्य मंत्री ने कहा था कि प्रदेश की नीतियों के बारे में मंत्रि परिषद् के सदस्यों को सार्वजनिक प्रश्न उठाना उचित नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, सही बात यही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुख्य मंत्री ने अपने सहयोगियों को निर्देश दिया था कि इस प्रकार के वक्तव्य न दें। मैं मुख्य मंत्री से यही बात सुनना चाहता था और फिर हमेशा के लिये यह बात तय हो जाना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, आपने जो कहा है असली बात यही है। जब मैंने प्रश्न उठाया था तो मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया था कि किसी भी मंत्री के लिये इस प्रकार से सार्वजनिक रूप में कहना उचित नहीं है, लेकिन आज यह कहा गया कि प्रत्येक मंत्री को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, तो दो विरोधी बातें कैसे आ गयी? इसलिये इसका जवाब केवल मुख्य मंत्री जी दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा, मैं इसको स्थगित किये देता हूं।

चकबन्दी अधिकारियों को पी० सी० एस० में लिये जाने की मांग

**२--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति विभाग ने अपने पत्र संख्या २३३०/दो (२)/१९२ (१३७)-१९७६, दिनांक १२ अप्रैल, १९७७ द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पी० सी० एस० संवर्ग में रिक्त स्थानों की पदोन्नति से भरे जाने वाले ३० पदों पर उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (प्रशासनिक ब्रांच) नियम ५ (२) के अन्तर्गत चकबन्दी विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा था जिसे सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने (पत्र संख्या जी-१-६४/२३१-१९४०, दिनांक ११ अगस्त, १९७८) स्वीकार कर लिया है, किन्तु उक्त पदों पर पदोन्नति के लिए जो साक्षात्कार राजस्व विभाग के तहसीलदारों का दिनांक २२ मार्च, १९७९ तक लिए गए हैं उनमें चकबन्दी अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या मुख्य मंत्री जी तहसीलदारों के लिए गए साक्षात्कार को स्थगित करके चकबन्दी अधिकारियों का भी साक्षात्कार लेने की कृपा करेंगे।

श्री रमा शंकर कौशिक--

शासन ने अपने पत्र दिनांक १२-४-१९७७ द्वारा उ० प्र० लोक सेवा आयोग को जो प्रस्ताव भेजा था वह उ० प्र० सिविल सर्विस (प्रशासकीय शाखा) नियमावली, १९४१ के नियम ५ (२) के अन्तर्गत तैयार नहीं किया गया था बल्कि उस पत्र में पी० सी० एस० में चकबन्दी अधिकारियों को प्रविष्ट दिलाने के लिये पी० सी० एस० के ३० पद देने का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग की सम्मति एवं

सहमति हेतु भेजा गया था । उ० प्र० लोक सेवा आयोग ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है । अभी हाल में पदोन्नति के लिये हुए साक्षात्कार में चकबन्दी अधिकारियों को बुलाने का नियमानुसार कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि उनके लिये कोई रिक्तियां आरक्षित नहीं थी । चूंकि चकबन्दी अधिकारियों को पी० सी० एस० में लेने का अभी निर्णय नहीं हुआ है इसलिये इनके लिये किसी साक्षात्कार के आयोजन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । आपने पुकारा मुख्य मंत्री, लेकिन वह हैं नहीं । दो उप मुख्य मंत्री मौजूद हैं । उनकी जगह पर इनको जवाब देना था । यदि वह नहीं जवाब देते तो आप बता दें कि आखिर वह उप मुख्य मंत्री किस मर्ज की दवा हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है । जहां तक मेरी जानकारी है और लोक सेवा आयोग का एक पत्र है, जो कि ११-९-७८ का है । उसमें लिखा है कि उपर्युक्त विषय पर शासन के प० सं० २३३०/२/१८/२/१३७/७८, दिनांक १२ अप्रैल, १९७७ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जहां तक चकबन्दी अधिकारियों में से ३० अधिकारियों को पी० सी० एस० वेतनमान में लेने का प्रश्न है, उसमें आयोग का कहना है कि यह चकबन्दी अधिकारियों तक सीमित न रखी जाय, अन्य अधिकारियों के ऊपर भी इसमें विचार किया जाय ।

जिनका कार्य पी० सी० एस० अधिकारियों के अनुरूप होता है जैसे क्षेत्रीय विकास अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी उसमें आते हैं ।

तो इसमें कहीं नहीं कहा कि उन्होंने संस्तुति नहीं की, जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप सवाल करें ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पी० सी० एस० में भरे जाने वाले १४० स्थानों की पूर्ति होने वाली है, उसमें तहसीलदारों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया है, तो क्या उसमें चकबन्दी अधिकारियों को भी बुलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

जहां तक माननीय द्विवेदी जी ने जो लोक सेवा आयोग के पत्र का उद्धरण दिया है, वह पत्र है, लेकिन उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भेजी गयी थी, वह नियमावली के नियम ५ (२) के अनुकूल नहीं है, इसलिये नहीं हुआ । अब पी० सी० एस० का कैडर ८३३ से बढ़ाकर

१९९२ कर दिया गया है। उसमें कुछ भरने का प्रश्न पैदा हुआ। उस पर विभागों से संस्तुतियां आयी थीं कि जब पद बढ़ गये हैं, तो चकबन्दी अधिकारी को भी भेजें। उन्होंने कहा कि नियमावली के तहत नहीं आ रहे। नियमावली के तहत ७५ प्रतिशत सीधी भर्ती से और २५ प्रतिशत पदोन्नति से होता है और इस २५ प्रतिशत में से ३० प्रतिशत दूसरे संवर्गों से लिये जा सकते हैं और दूसरे संवर्गों में केवल चकबन्दी अधिकारी नहीं, बल्कि दूसरे समकक्ष अधिकारी भी होते हैं, ब्लाक लेवल के भी अधिकारी होते हैं और उनको भी लिया जाना चाहिये। चूंकि यह नियम के तहत नहीं आ रहा था, इसलिये स्वीकार नहीं हुआ। जहां तक त्रिवेदी जी का सवाल चकबन्दी अधिकारियों के वर्तमान ऐवेन्यू के बारे में है उसमें चूंकि यह माना जाता रहा है कि यह डाइंग कैडर है लेकिन चूंकि २० साल से ये पद लगातार चल रहे हैं, लिहाजा उनको भी उसमें जाने का हक मिलना चाहिये इसमें शासन विचार कर रहा है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या शासन ने पी० सी० एस० में भरे जाने वालों पदों में पिछले वर्षों में से चकबन्दी अधिकारी को भी नियुक्त किया है।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, १९७५ में जो ऐसे अधिकारियों को नियुक्ति करने का फैसला था, वह तत्कालीन सरकार ने लिया था और वह नियम ५ (२) के अन्तर्गत आता था। इस नियम के अनुसार २५ प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हैं और उसमें से ३० प्रतिशत दूसरे संवर्गों से लिये जाते हैं। तो हिसाब लगाने में १.५ की परसेंटेज इनका आया था। इसको एक ही माना गया। उसमें एक चकबन्दी अधिकारी को मौका देने का फैसला शासन ने लिया जिसको कि लोक सेवा आयोग ने माना।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पी० सी० एस० में पदोन्नति से भरे जाने वाले कितने पद चकबन्दी विभाग के लिये रखे गये हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

वैसे यह प्रश्न संदर्भित नहीं है लेकिन चूंकि जो पदोन्नति से पद भरे जाते हैं वह २५ प्रतिशत है और उसमें से सिर्फ ३० प्रतिशत दूसरे संवर्गों से भरे जाते हैं। उसमें चकबन्दी अधिकारी और दूसरे अधिकारी भी हो सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग के जिस पत्र का संदर्भ दिया गया है, प्रश्नकर्ता द्वारा, उसमें इस प्रकार की संस्तुति की थी कि उस कोटे के सभी लोगों को मौका दें तो उसके संदर्भ में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, मैंने कहा कि विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष--

विचाराधीन है ? उसके सिलसिले में कोई संस्तुति अभी लोक सेवा आयोग को नहीं भेजी गई है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

जी नहीं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है । माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि २५ फीसदी पी० सी० एस० में भरने के लिये दूसरी जगहों से लोग लाए जाते हैं जिसमें से ३० फीसदी चकबन्दी अधिकारियों के लिये है और इसी आधार पर एक चकबन्दी अधिकारी को पी० सी० एस० में १९७५ में भेजा गया । इस हिसाब से आज १९७९ में उनका पी० सी० एस० में क्या अनुपात बैठता है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, मैंने ऐसा नहीं कहा जैसा माननीय सदस्य समझें । २५ फीसदी जो पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं, उनमें से ३० फीसदी केवल चकबन्दी अधिकारियों में से ही नहीं भरे जाते हैं । जैसी बी० डी० ओ० हैं, ए० डी० ओ० हैं, जो उस वेतनमान में आते हैं और जो पी० सी० एस० की अर्हतायें रखते हैं, उस २५ फीसदी में से ३० फीसदी उन सबके लिये है जो उत्तर प्रदेश में नौकरी करते हैं ।

कानपुर में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की मांग

**३--श्री पुरुषोत्तम कौशिक, (जिला देवरिया), श्री कृपाशंकर आर्य (जिला देवरिया) तथा श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)--

क्या सरकार को जानकारी है कि कानपुर महानगरी में मन्त्रिपरिषद के निर्णयानुसार मुख्य मन्त्री की सार्वजनिक घोषणा के अनुरूप पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गयी थी, किन्तु समस्त उच्च स्तरीय घोषणाओं के बावजूद पुलिस कमिश्नर ने अपना कार्य प्रारम्भ नहीं किया ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

यह सही नहीं है कि कानपुर महानगरी में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई थी । जो नियुक्ति की गई थी वह सचिवालय के गृह विभाग में एक विशेषाधिकारी की थी और कानपुर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारी करने के लिए थी । इस अधिकारी की नियुक्ति की अवधि अब समाप्त हो गई है ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में हाउस में भी घोषणा हो चुकी है ? और इस बात का आश्वासन देंगे कि सरकार विचार कर रही है कानपुर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था बनाने के लिए ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, अभी इस पर विचार समाप्त नहीं किया गया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन, यह उत्तर की अन्तिम पंक्ति में है कि 'इस अधिकारी की नियुक्ति की अवधि अब समाप्त हो गई है'। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस अधिकारी ने पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति करने की क्या तैयारी की और क्या तैयारी हो चुकी है? यह पद कब तक निर्मित किया जा रहा है और क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री रमाशंकर कौशिक—

इस अधिकारी की जो नियुक्ति की गई थी, वह पैटर्न को नियत करने के लिये की गई थी कि कैसी प्रणाली है? चूंकि जो विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रणालियां चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि सब जगह एक सी प्रणाली हो। कलकत्ता बम्बई, मद्रास, पूना, दिल्ली वगैरह में जो व्यवस्थायें चल रही हैं पुलिस कमिश्नर की, वह सारी व्यवस्थायें एक सी नहीं हैं। हर एक व्यवस्थाओं में से थोड़ा-थोड़ा फर्क है। इस सम्बन्ध में इस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी कि वह देखे कि कौन सी प्रणाली हमारे कानपुर नगर के लिये ठीक रहेगी। जहां तक इस फैसले का सवाल है, इस सम्बन्ध में मंत्रि-परिषद ने एक फैसला कर लिया था कि एक उप समिति इसमें बना दी जाए और वह उप समिति गठित भी हो गई थी, लेकिन उस उप समिति के दो माननीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इसलिये वह उप समिति अपना कार्य पूरा नहीं कर पाई। अब पुनः मामला शासन के विचाराधीन है और मंत्रि-परिषद में ही फैसला होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री और गृह मंत्री ने कानपुर के फूलबाग के मैदान में यह घोषणा कर दी थी कि पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति हो गई है और इस घोषणा को देखते हुए क्या कारण है कि इसका अनुपालन आज तक नहीं किया गया? साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि जो देहली मेट्रोपोलिटन काउन्सिल है उसी के हिसाब से पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति कानपुर में की जायगी, तो यह जो उप समिति मंत्रि-परिषद की कही गयी है, इसमें कौन-कौन से सदस्य ऐसे हैं, जो अब इसके सदस्य रह गये हैं और इसकी बैठक कब होगी और कब निर्णय लिया जायगा।

(उप मुख्य मंत्री) श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, कानपुर के फूलबाग की सभा में यह घोषणा नहीं की गई थी कि नियुक्ति कर दी गयी है। नियुक्ति कर दी जायेगी इस तरह की घोषणा जरूर की गयी थी। उसी के सम्बन्ध में केबिनेट की सब कमेटी बनाई गई थी। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी परिस्थियां आईं कि उप समिति ठीक रूप से विचार नहीं कर सकी और अभी तक मामला पड़ा है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी को यह देखने के लिए, कि कौन सी व्यवस्था कानपुर के लिए उपयुक्त होगी दिल्ली, पूना, बम्बई भेजा गया था उसने शासन को क्या रिपोर्ट दी है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

दिल्ली की पैटर्न की संस्तुति की है।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो कानपुर में पुलिस कमिश्नर की घोषणा शासन को करनी पड़ी, तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण यह घोषणा करनी पड़ी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

यह तो मान्यवर, ऐसा प्रश्न है कि शासन जब सोचता है कि जो सब जगह व्यवस्था चल रही है यदि वह ठीक है काम करने के लिए तो उसका अध्ययन किया जाता है । जहां पर इस व्यवस्था का प्रयोग हुआ है वहां कहां-कहां पर यह व्यवस्था सफल हुई । सफलता को देखते हुये ही तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उस समय इस पर विचार किया कि कानपुर की जो ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए शायद यह व्यवस्था ज्यादा उचित हो । इसलिए यह शासन के विचाराधीन था ।

श्री मोतीराम (जिला कानपुर)--

भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने अभी फूलबाग की सभा का जिक्र किया । यह घोषणा २ अक्तूबर को की थी कि कानपुर में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति कर जायगी ऐसा शासन ने निर्णय लिया है । ऐसी घोषणा की या नहीं ? पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति के लिए वहां के एक अधिकारी जिनका नाम पन्जवानी था, उनको दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, स्टडी के लिए भेजा गया था। और क्या यह सही है कि जनप्रतिनिधियों ने और जनता ने कानपुर में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति का बड़े पैमाने पर विरोध किया और इसी कारण से शासन को निर्णय टालना पड़ा ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, यह बात सही है कि फूलबाग की सभा में यह बात कही गयी थी कि २ अक्तूबर से नियुक्ति होगी । लेकिन उसके पहले ही अधिकारी की दिल्ली, महाराष्ट्र तथा और जगहों पर, जहां पर पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी, वहां के सम्बन्ध में जानकारी के लिए भेजा गया था और जो रिपोर्ट आई, उस पर विचार किया जा रहा था । पूर्ण रूप से विचार किया जा सके कि क्या अधिकार दिये जायेंगे यह मामला केबिनेट के उप समिति के विचाराधीन था । यह बात अपनी जगह पर सही है कि जन प्रतिनिधियों के द्वारा भी इस तरह की प्रतिक्रिया आई थी जिस पर भी विचार किया जा रहा था लेकिन इस आधार पर यह टालना नहीं पड़ा । जैसा मैंने पहले कहा कि जो उप समिति थी, वह कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो अपना प्रतिवेदन देना चाहती थी विचार करने के बाद उसे नहीं दे सकी थी । इसलिए यह मामला अब तक शासन के विचाराधीन है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कानपुर नगर महापालिका की आबादी ३० लाख के लगभग हो गयी है और उसकी प्रशासकीय स्थिति संसार के बड़े मेट्रोपोलिटन सिटीज की तरह हो रही है तो वहां की क्राइम तथा ला एन्ड आर्डर की स्थिति को देखते हुए वहां के पुलिस और प्रशासन को चुस्त बनाने की आवश्यकता है । इसीलिए १९७६-७७ में तत्कालीन शासन ने देहात और शहर का जिला अलग किया था और पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति का निर्णय किया था, क्या माननीय मंत्री को इसकी जानकारी है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

हां, जानकारी है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

फूल बाग की सभा में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने २ अक्तूबर को पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की घोषणा कर दी थी और उस पर निर्णय अब तक नहीं हो पाया है, तो क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री ने बिना कैबिनेट के निर्णय के यह घोषणा कर दी थी ?

श्री रामनरेश यादव—

घोषणा तो हुई थी लेकिन किस तरह से उसे लागू किया जाय इन सारे प्रश्नों पर विचार हो रहा है । तिवारी जी ने भी चर्चा की क्या अधिकार दिए जायं, इसी पर विचार हो रहा है ।

श्री रेवतीरमण रस्तोगी—

उप समिति के सदस्यों के नाम बतलाने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे और यह भी बतायेंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया ?

श्री उपाध्यक्ष —

यह इससे नहीं उठता ।

श्री बाबू बदरे—

माननीय नेता निरोधी दल मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने भी पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की घोषणा की थी । जनता पार्टी की सरकार में जब मुख्य मंत्री राम नरेश यादव थे, तो उन्होंने भी घोषणा की थी, तो क्या यह सच है कि आई० ए० एस० आफिसर्स इस कमिश्नर की नियुक्ति में, अड़गेबाजी लगाना चाहते हैं क्योंकि वे यह नियुक्ति नहीं चाहते ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आक्षेप है इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

(श्री देव बहादुर का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री बाबू बदरे—

एक कुशल मैजिस्टेट कानपुर के प्रशासन को ठीक से चला रहा था के० के० बख्शी साहब को इसी काम के लिए बुलाया गया । इतना पैसा खर्चा हुआ । किसी नतीजे पर वह नहीं पहुंचे । आप कहते हैं यह आक्षेप है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न दुबारा कर लीजिएगा ।

श्री देव बहादुर सिंह—

जिस विशेष अधिकारी की नियुक्ति कानपुर में की गयी थी, उसने यह संस्तुति की थी दिल्ली पटर्न की व्यवस्था की जाय, तो क्या सरकार ने उस संस्तुति को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया था ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू करेगी ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

यही सारे प्रश्न तो विचाराधीन हैं ।

श्री बाबू बदरे--

मैं यह जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी की ऐसी रिपोर्ट आई जिससे सरकार इस काम को नहीं कर पा रही है । इस काम को करने के लिए कुशल जिलाधीश को हटा कर यहां बुलाया गया, यह काम उनको दिया गया और एक कमेटी बनाई गयी, फिर क्या कारण है कि सरकार इसे करने में असफल हो गयी ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

श्रीमन्, ऐसे किसी भी अधिकारी की कोई रिपोर्ट नहीं है । यह एक बृहद प्रश्न है और इस प्रश्न पर लोगों की अलग-अलग रायें हैं । इसलिए यह प्रश्न सिर्फ शासन के ही विचाराधीन है और इसलिए मंत्रि-परिषद ने एक उप-समिति का गठन किया था । किन्तु किसी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर न इसे मुल्तवी किया गया है और न ही इसे खत्म करने का विचार किया गया है ?

परिवहन निगम की बसों के किराए में वृद्धि का सुझाव

**४--श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासन ने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली बसों के भाड़े (किराए) में २५ प्रतिशत वृद्धि करने का सुझाव दिया है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

हां । इस पर विचार किया जा रहा है तथा निगम के सुझावों का परीक्षण कराया जा रहा है ।

श्री राम अधार--

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्दर चलने वाली बसों का २५ प्रतिशत भाड़ा बढ़ाने का क्यों सुझाव दिया गया है, उसके क्या कारण हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, निगम ने ५-१२-७८ को एक प्रस्ताव पारित करके शासन से यह अनुरोध किया था कि वर्तमान किराए की दरों में १० प्रतिशत की वृद्धि की जाय । जब विचार चल ही रहा था तो इस वर्ष मार्च में निगम ने एक दूसरा प्रस्ताव पारित करके शासन से अनुरोध किया है कि उसमें २५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाय । मान्यवर, उनका आधार यह है कि किराए की दरों में १५ मई, १९७५ से वृद्धि नहीं हुई है और दूसरे अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गये हैं, कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है, मोटर पार्ट्स में वृद्धि हुई है और बसों के दामों में भी वृद्धि हुई है । निगम का कहना है कि यदि इस तरह से वृद्धि नहीं होगी तो वर्तमान वर्ष में १८ करोड़ ५६ लाख की वृद्धि संचालन में हो जायेगी ।

श्री राम अधार--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि बस के भाड़े में १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ ही बंगला देश के नाम से भी भाड़े की दर में वृद्धि हुई थी। एक तरफ तो निगम भाड़ा बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ उसमें चोरी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे यह २५ प्रतिशत भाड़ा न बढ़े और जनता पर बोझ न पड़े ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि १५ मई, १९७५ से बस के भाड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, माननीय सदस्य निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में कोई जानकारी देंगे, तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सेवेन्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने जो ५ साल का रेवेन्यू फोरकास्ट किया गया है उसमें कितनी वृद्धि प्रदर्शित की गई है, इस वर्ष कितनी वृद्धि की गई है ? सरकार ने उस सातवें वित्त आयोग को मान लिया है, वह बजट में भी आ गया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

सेवेन्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट इस समय मेरे सामने नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वह तो सबके सामने आ गई है। मेरा प्रश्न साफ है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आपका प्रश्न भी साफ है और मेरा उत्तर भी साफ है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के सामने और प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के सामने यह सप्तम वित्त आयोग की राय गई होगी। आपका रेवेन्यू फोरकास्ट क्या है, कितना सरप्लस होगा यह सारी बात सेवेन्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने गई होगी तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं वह क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह जानकारी उनको होती तो बताते नहीं, यहां पर तो २५ प्रतिशत किराए में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रश्न है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, अभी परसों पैसेन्जर टैक्स बढ़ा दिया तो एक तो वह बोझ लगा दिया और अब २५ परसेन्ट कारपोरेशन ने किराया बढ़ाने की बात कही है, तो उनके पास आंकड़े होंगे कि पिछले वर्ष कितने रुपए का फायदा हुआ या घाटा हुआ और अगले वर्ष किराया नहीं बढ़ाया जायेगा, तो कितना फायदा या घाटा होगा?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

अगले वर्ष के लिए मैंने शुरू में निवेदन किया था कि कारपोरेशन का यह कहना है कि यदि वर्तमान किराए में वृद्धि नहीं की जायगी, तो वर्तमान संचालन व्यय में १८ करोड़ ५६ लाख की वृद्धि हो जायेगी और पिछले वर्ष जो फायदा हुआ था वह लगभग ९१ लाख था ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को क्या यह जानकारी है कि जो आपने अनुबन्धित बसें की हैं, उनका किराया आपने १·४० पैसा प्रति कि० मी० किया है और उन अनुबन्धित बसों से लाभ हुआ है ? यदि हां, तो जो निगम की बसें चल रही हैं उनसे हानि होने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप तो तुलनात्मक बात कहते हैं, आप प्रश्न साफ करिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, यह नया प्रश्न है । मूल प्रश्न था कारपोरेशन के सम्बन्ध में अब उनका प्रश्न हो गया अनुबन्धित बसों के सम्बन्ध में ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि यदि अगले वर्ष २५ प्रतिशत किराया नहीं बढ़ाया गया, तो १८ करोड़ से ऊपर नुकसान निगम को होगा । इस समय निगम के पास दो तरह की बसें हैं एक तो अपनी और दूसरी अनुबन्धित अनुबन्धित बसों से १·४० पैसा प्रति किलो मीटर लेने के बाद निगम को उनसे लाभ हो रहा है । यदि उनको लाभ हो रहा है, तो निगम के पास जो वर्तमान बसें हैं और फिर उनमें घाटा होने के क्या कारण हैं ? यह कोई अलग प्रश्न नहीं है जो अनुबन्धित बसें हैं वह भी निगम की हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या आपके पास घाटे की सूचना है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, ऐसा है निगम के पास दो तरह की बसें हैं एक तो वह जिनका स्वामित्व निगम में रहता है दूसरी वह बसें जो प्राइवेट लोगों की हैं, जो अनुबन्धित करके निगम के संरक्षण में चलाई जाती हैं । जो संरक्षण में चलती हैं उनमें भी दो प्रकार के चालक होते हैं एक तो वह निगम का और दूसरा प्राइवेट आपरेटर्स का । अभी जो नेगी जी ने प्रश्न का उत्तर दिया उसमें दोनों सम्मिलित हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपके पूर्व के मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि निगम को अनुबन्धित बसों से लाभ हुआ है और अब निगम को घाटा नहीं है । यदि आपको जानकारी न हो, तो इसको नोट करके देख लें इसमें घाटा बिलकुल नहीं है

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि राज्य सड़क परिवहन निगम ने २५ प्रतिशत टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है। उसको देखते हुए और महंगाई को देखते हुए क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे टैक्स की वृद्धि न हो सके ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, यह तो मूल उत्तर में है कि निगम ने जो सुझाव दिया है उसका परीक्षण किया जा रहा है। यह निगम का सुझाव है माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि उनके सुझाव का परीक्षण किया जायेगा और अगर जरूरत हुई, तो माननीय सदस्यों का भी सुझाव लिया जायेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन सा उत्तर सही है ? सुझाव जो २५ प्रतिशत का नहीं माना है या जो विचार हो रहा है यह सही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

जो उत्तर उन्होंने दिया है, उसी में है कि विचाराधीन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

समाचार पत्रों में मंत्री जी का वक्तव्य निकला है कि २५ प्रतिशत वृद्धि की संस्तुति की थी, जिसको मैंने नहीं माना है। यहां इन्होंने कहा--'विचाराधीन है' और शतरुद्र प्रकाश जी के उत्तर में कहा कि अभी तक नहीं माना है, तो कौन सा उत्तर सही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

बाहर के पत्रों की बात तो छोड़िए और अब सदन में कही गयी बात मान लीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी अपने मूल उत्तर को देखने की कृपा करेंगे, जो कि उन्होंने--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासन ने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली बसों के भाड़े (किराए) में २५ प्रतिशत वृद्धि करने का सुझाव दिया है,--के उत्तर में कहा है कि 'हां'। अर्थात् शासन ने इस वृद्धि का सुझाव दिया है और निगम के सुझावों का परीक्षण किया जा रहा है, तो इसका मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ? दूसरे मंत्री जी ने बाहर कहा है कि किसी प्रकार का किराया बढ़ाया नहीं जायेगा, तो क्या वह सदन में भी इस प्रकार का स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि आगे कोई वृद्धि नहीं होगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैंने स्वयं ही उत्तर दिया कि परीक्षण कराया जा रहा है, उसमें सभी बातों पर विचार किया जायगा और यदि आवश्यकता समझी जायगी, माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न में ही है कि--'शासन ने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली बसों के भाड़े (किराए) में २५ प्रतिशत वृद्धि करने का सुझाव दिया है, और इसका जवाब आपने 'हां' दिया है। इसका मतलब है कि आपने वृद्धि का सुझाव दिया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इसमें यही है कि इस पर बिचार किया जायगा और निगम के सुझावों पर परीक्षण कराया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसका मतलब है कि पहले वाला उत्तर गलत हो गया ?

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मंत्री जी कहते हैं 'हां' तो इसका मतलब है कि सुझाव निगम की ओर से नहीं शासन की ओर से आया है ?

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)--

इसको आप स्थगित कर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री ऊदल--

उपाध्यक्ष जी, आप दो चीज क्लीयर कराये कि सरकार ने परिवहन निगम को सुझाव दिया है का निगम ने सकोर को सुझाव दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसको साफ स्पष्ट कर दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मेरा जो उत्तर है, निगम के सुझावों का परीक्षण कराया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि सुझाव निगम ने दिया है। शासन उसका परीक्षण कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है। अब मैं इस पर इजाजत नहीं देता।

श्री श्याम दत्त पालीवाल--

प्रश्न ठीक से पढ़ा नहीं गया। उत्तर ठीक से नहीं दिया गया। कम से कम आप यह तो निवेदन कर सकते हैं कि जो प्रश्न उनके पास आते हैं उनको ठीक से पढ़ कर उत्तर तैयार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

जो उत्तर आया है वह थोड़ा सा भ्रमात्मक है, यह सही है। लेकिन उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में उसको साफ कर दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अधिकारी ने भ्रमित कर दिया है। जब यह प्रश्न पूछा गया, तो उनके कार्यालय के द्वारा उनको भ्रमित किया गया है। आज आप इसको स्थगित करवा दें। कल पूरी बात का उत्तर हो जाय अथवा माननीय मंत्री जी इनक्वायरी करने का आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसको स्थगित नहीं करता। उन्होंने कहा कि निगम का सुझाव है। शासन उसके ऊपर विचार कर रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रश्न साफ है। शासन ने कोई सुझाव परिवहन निगम को दिया है। उसका उत्तर मिला 'हां', यानी दिया है। क्या दिया है यह नहीं बताया गया और दूसरा प्रश्न है, उसको बिलकुल उलट कर कह दिया कि यह प्रश्न स्थगित कि ा जाय। सेंविथ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट देख ली जाय, वक्तव्य देख लिया जाय। दोबारा उत्तर मंत्री जी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके ऊपर मैं निर्णय दे चुका हूं। उन्होंने साफ कर दिया कि निगम का सुझाव है और शासन विचार कर रहा है। अब साफ हो गया। इसलिए मैं स्थगित नहीं करता। अब आगे चलिए।

श्री राजमंगल पान्डेय (जिला देवरिया)--

मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की जो बसें चलायी जाती हैं या उनके माध्यम से चलायी जाने वाली जो बसें हैं, उनका मौजूदा किराया पूरे भारतवर्ष में जो इस वक्त किराया है, उससे कहीं भी ज्यादा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर जानकारी हो माननीय परिवहन मंत्री को कि यहां से किराया दूसरे प्रदेशों में कम है, तो बता दें।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मैं यह पूछ रहा हूं कि मौजूदा किराया उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा चलायी गयी बसों या उनके माध्यम से चलायी जाने वाली बसों का, पूरे भारतवर्ष में इस वक्त जो किराया है, उससे कहीं ज्यादा है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह जानकारी तत्काल तो मेरे पास नहीं है। लेकिन हाल में दिल्ली और अन्य प्रदेशों में किराये में वृद्धि की गई है।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

यह साफ कह दें कि सूचना चाहिये या बताएं कि मौजूदा किराया सड़क राज्य परिवहन निगम द्वारा चलायी जाने वाली बसों और उनके माध्यम से चलायी जाने वाली बसों का जो है पूरे भारतवर्ष में उससे कहीं भी ज्यादा है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने कह दिया कि सूचना नहीं है।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

अगर उनको सूचना नहीं है तो इस प्रश्न को टाल दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके लिए दूसरी नोटिस दे दीजिए।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

इस प्रश्न को टाल कर उत्तर दिलवा दीजिये एक सप्ताह बाद प्राविधान है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ऐसा करें। नोटिस देकर आध घंटे की चर्चा मांग सकते हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

ठीक है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आई० ए० एस० अधिकारियों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की संख्या

*१--श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में १५ अगस्त, १९७८ को कितने आई० ए० एस० अधिकारी थे? जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया है और जेल गये हैं? क्या उन्हें कोई विशेष सुविधा दी गयी है? यदि हां, तो वह कितने हैं और क्या सुविधा दी गयी?

श्री रमा शंकर कौशिक--

१५ अगस्त, १९७८ को उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में कुल ४०२ आई० ए० एस० अधिकारी थे। प्राप्त सूचनानुसार इनमें से ५ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था तथा जेल भी गये थे। इन अधिकारियों को स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के आधार पर कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है।

मान्यवर, इसमें मैं इतना और जोड़ देना चाहता हूं कि प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सत्य प्रकाश गुप्त को उक्त आन्दोलन में भाग लेने के कारण पी० सी० एस० की परीक्षा में बैठने हेतु आयु सीमा में विद्यमान नियमों के अन्तर्गत छूट दी गयी थी।

श्री मित्रसेन--

कुल ४०२ अधिकारियों में ५ अधिकारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था । मैं यह जानना चाहूंगा कि उन ५ अधिकारियों के नाम क्या हैं और वह वर्तमान में किस-किस पद पर काम कर रहे हैं और उनको राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण कोई विशेष सुविधा देने के बारे में कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, उनके नाम हैं कृपा नारायण, श्याम सिंह विसेन, गिरीश चन्द्र, सत्य प्रकाश गुप्त और श्री शरद चन्द्र । उन्हें कोई सुविधा देने के बारे में कोई प्राविधान नहीं है और न ही उन्होंने कोई बात ही शासन को लिखी है कि उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था, इसलिए उन्हें कोई विशेष सुविधा दी जाये । इस प्रकार की कोई कभी बात आयी ही नहीं । अगर कोई ऐसी व्यवस्था होगी, तो दी जायेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन अधिकारियों की ओर से कोई सुविधा की मांग नहीं की गयी । यह तो बड़ी ही अच्छी चीज है कि उन्होंने कभी मांग नहीं की । लेकिन हमारा कर्त्तव्य हो जाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी उन अधिकारियों को इस बात को देखते हुए कि उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था, कोई विशेष सुविधा देने पर विचार करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि आई० ए० एस० अधिकारी के सेवा नियमों में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इस ढंग की कोई बात आती है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, प्रश्न के रूप में तो बात आ ही गयी है । सरकार के सामने भी बात आ गयी, तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे कि उनको कोई विशेष सुविधा दी जाये ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप उसको सुन लें तब माननीय मंत्री जी उत्तर दें ।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर यह मामला शासन के सामने आता है, तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि आई० ए० एस० की टर्म एण्ड कण्डीशन्स आफ सर्विस में कोई इस तरह का बेनीफिट देने का अधिकार न कौशिक जी को है और न उनका सरकार को है, तो वह कैसे उस पर विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

उन्होंने कहा कि अगर मांगेंगे, तो विचार होगा ।

श्री रमा शंकर कौशिक---

नियमानुसार ।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

इनको तो अधिकार है ही नहीं, तो विचार क्या करेंगे । यह अधिकारी भारत सरकार के अन्तर्गत आते हैं अगर वह रिकमेन्डेशन करेंगे, तो हम विचार कर सकते हैं । यह भारत सरकार का अधिकार अपने आप ले रहे हैं ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मैं माननीय पाण्डेय जी को बता दूं कि मैंने अभी यही कहा था ।

(व्यवधान)

फिर पी० सी० एस० के जरिये भी तो आई० ए० एस० में जाते हैं ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

इस तरह आई० ए० एस० के जरिये भी तो पी० सी० एस० में जाते हैं ।

(व्यवधान)

आरक्षण विरोधी अभियान में की गयी गिरफ्तारियां

*२--श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी), श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम बक्श (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आरक्षण विरोधी अभियान में प्रदेश में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर गत तीन माह में कितने मुकदमें दर्ज हुए हैं, किन-किन दफाओं में दर्ज हुए हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुयीं है और अब तक कितनी चार्ज-शीट दाखिल हो चुकी हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१७ पर)

श्री राम आसरे वर्मा---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन ४०५ मुकदमों में जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनमें कितने अनुसूचित और पिछड़ी जाति के हैं तथा कितने उच्च जाति के हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह विस्तार का सवाल है मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री रियासत हुसेन---

इसका उत्तर तो वे बता सकते हैं क्योंकि यह आरक्षण का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

शासन की ओर से क्या इस प्रकार की कोई जांच करायी गयी कि इन २६ जिलों में आरक्षण विरोधी जितनी घटनायें घटी बतायी गयी हैं, उनमें कितनी वास्तविक हैं क्योंकि श्री सुन्दरलाल दीक्षित, सदस्य विधान सभा, ने बाराबंकी के रामसनेही घाट के पटेल कालेज की एक घटना का जिक्र लिख कर भेजा था कि वहां पुलिस ने गलत आरक्षण विरोधी आन्दोलन के नाम पर कुछ छात्रों को बन्द कर दिया था, तो इस तरह की और भी गलत घटनायें हो सकती हैं जिनका सम्बन्ध आरक्षण विरोधी आन्दोलन से न रहा हो ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

ऐसी कोई सूचना माननीय सदस्य देंगे, तो उसकी जांच करवा लूंगा ।

श्री सुन्दरलाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

बाराबंकी के रामसनेही घाट पटेल कालिज के बारे में मैंने लिख कर दिया था कि पुलिस ने फायरिंग की और छात्रों को गलत तरीके से आरक्षण विरोधी आन्दोलन का नाम देकर गिरफ्तार किया गया है, तो क्या मंत्री जी उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे जिन्होंने फर्जी केस बना कर गलत तरीके से आरक्षण विरोधी आन्दोलन में लोगों को फंसाया है और उन पर मुकदमें कायम किये है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

इस प्रश्न की सामग्री तो मेरे पास इस समय नहीं है । दीक्षित जी ने जो जिक्र किया मैं जानकारी हासिल करके कहें तो मैं स्वयं उनके कमरे में आ जाऊं या वे मेरे कमरे में आकर मालूम कर लें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या रामसनेही घाट, बाराबंकी वाले मामले की जांच करवायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह उन्होंने बता दिया है ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आरक्षण विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध में हिंसा तथा तोड़फोड़ की कितनी घटनायें हुई हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह सूचना तो उत्तर में दी गयी है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री मौजूद हैं, उन्होंने बार-बार कहा कि आरक्षण विरोधियों को इस देश का दुश्मन माना जायगा और उनको कुचल दिया जायगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रमा शंकर कौशिक जी का भी वही विचार है जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री का विचार है ? अगर वह इस विचार के हैं, तो जो आरक्षण विरोधी लोग हैं उनको वह कुचलने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी इजाजत मैं नहीं देता।

मिर्जापुर जिले की टाउन एरिया राबर्ट्सगंज की नजूल भूमि

*३---श्री ईश्वर प्रसाद तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद मिर्जापुर टाउन एरिया राबर्ट्सगंज में कितनी जमीन नजूल की है तथा उस जमीन पर कितने लोग आबाद हैं ? क्या उस जमीन को पट्टा या पजरवट पर देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

आवास मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)---

जनपद मिर्जापुर टाउन एरिया राबर्ट्सगंज में कुल १३२ बीघा नजूल भूमि है और इसमें से ६० बीघा ६ बिस्वा भूमि पर ७५१ व्यक्ति अनधिकृत रूप से आबाद हैं। भूमि से अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए कतिपय मामलों में वाद न्यायालय में दायर किये गये हैं जो अभी विचाराधीन है। वर्णित स्थिति में इस समय प्रश्नगत भूमि को पट्टे या पजरवट पर देने का शासन की कोई योजना नहीं है।

पर्यटन अधिकारी, हरिद्वार श्री दूधनाथ पाण्डेय व श्री टी० पी० शर्मा, गाजियाबाद का प्रत्यावर्तन

*४---श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)---

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि दिनांक १८ अप्रैल, १९७८ के शासनादेश के विपरीत पर्यटन अधिकारी, हरिद्वार (श्री दूध नाथ पाण्डेय) तथा पर्यटन अधिकारी, गाजियाबाद (श्री टी० पी० शर्मा), को पदावनत करके इनके रिक्त स्थानों पर श्री रमा शंकर यादव तथा श्री सिंह की क्रमशः हरिद्वार व गाजियाबाद में तदर्थ नियुक्तियां की गयीं ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के अनुसार उक्त पद हेतु इश्तिहार के साथ बी० ए० विषय सामान्यतः अपेक्षित है और यही उक्त पद की अर्हता है जबकि श्री यादव व श्री सिंह यह अर्हता पूरी नहीं करते ? क्या सरकार सारे मामले की जांच करायेगी।

पर्यटन मंत्री (श्री आबिद अली)---

पर्यटन अधिकारी के चार रिक्त पदों पर तदर्थ व्यवस्था की जानी थी। इसके लिए यह निर्णय लिया गया था कि दो पदों पर पदोन्नति से तथा दो पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की जाय। अतएव दो पदों पर सर्वश्री दूधनाथ पाण्डेय व रामाल्टन (अनुसूचित जाति) की पदोन्नति कर दी गयी। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति का आरक्षण का कोटा पूरा न होने के कारण शेष दो पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती के लिए इन्हीं जातियों से प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित कर सर्वश्री रमा शंकर यादव (पिछड़ी जाति) तथा रामनाथ राम (अनुसूचित जाति) की नियुक्ति की गयी। परन्तु इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत दो पर्यटक अधिकारियों के विभाग में वापस आ जाने के फलस्वरूप पदोन्नति द्वारा नियुक्त दो पर्यटक अधिकारियों सर्वश्री टी० पी० शर्मा तथा दूधनाथ पाण्डेय को प्रत्यावर्तित करना पड़ा। यह कार्यवाही शासनादेश दिनांक १८-४-१९७८ के विपरीत नहीं थी।

नोट---नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २ के उपरान्त नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

इस पद हेतु अनिवार्य अर्हता केवल स्नातक होना था । श्री यादव व श्रीराम इस अर्हता को पूर्ण करते हैं । बी० ए० में इतिहास का विषय वरीयता अर्हताओं में था । ऐसी स्थिति में जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सिंह नाम के किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी थी ।

[मंगलवार, ८ मई १९७९ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

शाहजहांपुर के थाना मीरानपुर कटरा के पुलिस द्वारा खेड़ा-बछेड़ा मार्ग पर पकड़े गये बदमाश

*१--श्री जगदीश सिंह (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर के थाना मीरानपुर कटरा की पुलिस ने २ अप्रैल, १९७९ को फतेहगंज पूर्वी खेड़ा-बझेड़ा मार्ग पर कुछ बदमाशों को मय नाजायज हथियारों के पकड़ा ? क्या यह सही है कि संसद सदस्य, श्री सुरेन्द्र विक्रम को कुछ बदमाश जान से मारना चाहते थे और इस विषय में संसद सदस्य मार्च, १९७८ में एक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा गृह सचिव, डी० आई० जी०, बरेली तथा पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को सूचित कर चुके थे ? यदि हां, तो अब तक इस विषय पर कोई कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २-४-१९७८ को खेड़ा-बझेड़ा, फतेहगंज रोड पर दो व्यक्तियों को पुलिस ने नाजायज हथियार के साथ पकड़ा जिनके विरुद्ध मु० अ० सं० १०९ व ११० धारा २५ आर्म्स ऐक्ट में विवेचना के बाद आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया । इस प्रकार का कोई तथ्य पुलिस की जानकारी में नहीं आया । माननीय संसद सदस्य का मार्च, ७८ का एक रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त हुआ था । यह सत्य नहीं है कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई । इस सम्बन्ध में संसद् सदस्य की सुरक्षा के लिये उनके क्षेत्र में आने पर दो सशस्त्र आरक्षी तैनात करने के आदेश थाना जैतीपुर को दिये गये, जिसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है ।

चमोली जिले के त्रिभुजी नारायन के कमेड़ा घाटी में सुरंग का कथित निर्माण (जिला--सीतापुर)

*२--श्री गोकरन प्रसाद, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री रेवती रमण रस्तोगी--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चमोली जिले में केदारनाथ क्षेत्र के विख्यात तीर्थ स्थल त्रिभुजी नारायन के समीप लगभग १४ हजार फुट की ऊंचाई पर कमेड़ा घाटी में अज्ञात सूत्रों द्वारा एक बड़ी सुरंग तैयार कर ली गयी है ? यदि हां, तो वास्तविकता क्या है ? सुरंग वहां से कहां तक गयी है तथा किसने तैयार कराया है ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित सुरंग बनाये जाने की पुष्टि नहीं हुई ।

*३--श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[३रे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

आबिद अली, निवासी बरेली का भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

प्रश्नकर्ता के प्रथम सत्र १९७९ के प्रथम मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री आबिद अली, निवासी बरेली ने तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के खिलाफ दिनांक ४ जुलाई, १९७८ को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को जो प्रार्थनापत्र दिया था, उस प्रार्थना-पत्र में कौन-कौन से अन्य अभियोग लगाए गए हैं और उन अभियोगों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी है ?

श्री बनारसी दास--

श्री आबिद अली, निवासी बरेली ने दिनांक ४ जुलाई, १९७८ को जो शिकायती पत्र ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को भेजा था वह उन्हें दिनांक १४ सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हुआ। उक्त शिकायती पत्र में तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध अनैतिक व्यभिचार तथा मारने-पीटने का अभियोग लगाया गया था। प्रथम सत्र, १९७९ के प्रथम मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर में सूचित किया जा चुका है कि श्री आबिद अली ने इसी सम्बन्ध में स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय में भी एक अभियोग दिनांक ११ सितम्बर, १९७८ को दायर किया था और वह दिनांक १५ दिसम्बर, १९७८ को खारिज कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रदेश में यूकलेप्टस प्रजाति के पेड़ों का वृक्षारोपण

*५--श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या वन मन्त्री को जानकारी है कि आपातकाल में ५ सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत करोड़ों रुपए की लागत से सूखा उन्मुख क्षेत्रों व शुष्क कृषि क्षेत्रों तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे और सभी नगरपालिकाओं तथा अन्य अधिकारियों के बंगलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर यूकेलिप्टस का भारी मात्रा में वनीकरण किया गया है, जिसकी लकड़ी किसी काम नहीं आती है, और जिसके कार्बन से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा भूमि को कुछ वर्षों में मरुस्थल तथा ऊसर बना देगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विनाशकारी पौधे को समूल नष्ट करने तथा छायादार फलदायी व इमारती और ईंधन के काम आने वाली लकड़ी के वृक्ष लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन)--

उत्तर प्रदेश में यूकेलिप्टस प्रजाति के पेड़ों का वृक्षारोपण सन् १९६० से शुरू हुआ था। यूकेलिप्टस हाईब्रिड प्रजाति का रोपण सन् १९६२ से काफी मात्रा में शुरू किया गया और तब से बराबर किया जाता रहा है।

आपातकाल में भी वृक्षारोपण पर बल दिया गया और १९७६-७७ से देश के विभिन्न स्थानों पर आरक्षित वन के बाहर भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। उक्त वर्ष में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लगभग २,२३,७०,००० पौधे लगाये गये जिसमें से सूखोन्मुख जिलों में लगभग १५,२३,००० पौधे सभी

प्रजाति के लगाये गये । इनमें से यूकेलिप्टस प्रजाति के पौधे लगभग ५० प्रतिशत मात्रा में लगाये गये तथा शेष पौधे विभिन्न प्रकार के छायादार, फलदायी, इमारती तथा शोभादार प्रजाति के थे ।

उपरोक्त वित्तीय वर्ष में (१९७६-७७) वृहत् वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत कुल रु० ७९,७४,००० लगभग सरकार द्वारा व्यय किये गये ।

यह कहना सही नहीं है कि यूकेलिप्टस की लकड़ी किसी काम नहीं आती । इसकी लकड़ी ईंधन तथा छोटे निर्माण कार्यों में जैसे--बल्ली, कड़ियों और थुन, बिजली के खम्भों आदि के उपयोग में आती है । इसके अलावा इसका उपयोग कागज की लुग्दी बनाने के काम में भी होता है । इसके बहुत तेजी से बढ़ने के कारण पेड़ लगने के आठ वर्ष के अन्दर ही कटने योग्य हो जाते हैं जबकि अन्य प्रजातियों के पेड़ ४० और अधिक वर्षों में तैयार हो पाते हैं ।

ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यूकेलिप्टस के कार्बन से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और न ही इसके पौधे भूमि को ऊसर व मरुस्थल बनाते हैं । इस प्रदेश में अथवा देश के अन्य प्रदेशों में जहां यूकेलिप्टस काफी मात्रा में लगाया जा रहा है न तो पानी की ही कमी हुई है और न ही जमीन ऊसर अथवा मरुस्थल हुई है । अतः इस प्रदेश में यूकेलिप्टस के पौधे समूल नष्ट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

*६--श्री मुहम्मद रफी खां--

[३रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बाराबंकी, राजकीय कताई मिल के कर्मचारियों की संख्या

*७--श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सूती मिल, बाराबंकी में कुल कितने कर्मचारी तथा मजदूर कार्यरत हैं और उनमें कितने बाराबंकी जनपद के हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

राजकीय कताई मिल, बाराबंकी में कुल १४२३ कर्मचारी तथा मजदूर कार्यरत हैं जिनमें से ७५८ बाराबंकी जनपद के हैं ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों का आन्दोलन

*८--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र जनवरी, १९७९ से कुलपति को हटाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं ? क्या जनवरी में जिलाधिकारी, गोरखपुर के समक्ष प्रदर्शन भी किया था ? क्या कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया था ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसी दास--

(भाग--१, २, ३) ।

जी हां ।

(भाग —४)

गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध जांच कराने का निर्णय कुलाधिपति द्वारा लिया जा चुका है ।

प्रदर्शन में ११ छात्रों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया । मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

बलिया स्थित कदरिया वक्फ के भवन पर अनधिकृत कब्जा

*९—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि बलिया जनपद में मुस्लिम वक्फ द्वारा संचालित कदरिया वक्फ भवन नं० ३१ पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है जिसके विरुद्ध बलिया चौक में दिनांक २३ नवम्बर, १९७८ को एक सार्वजनिक सभा करके, इसकी निन्दा करते हुए सरकार से एक प्रस्ताव पारित करके उक्त धार्मिक भवन को खाली कराने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो अब तक इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुहम्मद मसूद खां—

जी हां, जनपद बलिया स्थित कदरिया वक्फ भवन संख्या ३१ के ११ कमरों तथा एक बड़े हाल पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था । इसमें से छः कमरे तथा एक बड़ा हाल खाली कराकर मुतवल्ली के कब्जे में दिला दिया गया है । शेष ५ कमरों को खाली कराने के लिये न्यायिक कार्यवाही की जा रही है ।

राज्य विद्युत् परिषद् में श्री गोविन्द बल्लभ की प्रतिनियुक्ति की अवधि

*१०—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जी० बी० पान्डे पी०सी०एस० अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में कब से डेप्यूटेशन पर हैं ? क्या शासन का कोई नियम है कि एक शासकीय अधिकारी डेप्यूटेशन पर पांच वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है ? यदि हां, तो श्री पान्डे के मामले में यह नियम क्यों नहीं लागू किया जा रहा है ?

श्री बनारसी दास—

श्री गोविन्द बल्लभ पान्डे (उ० प्र० सिविल सेवा के अधिकारी) दिनांक ८ मार्च, १९७२ से उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर हैं । शासन की वर्तमान नीति के अनुसार बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति सामान्यतः ५ वर्ष की अवधि तक के लिये स्वीकार की जाती है । परन्तु यह प्राविधान भी है कि सरकारी सेवक के सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम/निगम आदि में संचित अनुभव का पूरा लाभ उठाने के लिये प्रतिनियुक्ति की अवधि को ५ वर्ष से आगे बढ़ाया भी जा सकता है । श्री पान्डेय की प्रतिनियुक्ति अवधि लोकहित में ही ५ वर्ष के आगे बढ़ाई गई है ।

आजमगढ़ कोतवाली की पुलिस द्वारा श्री प्रहलाद दास अग्रवाल की पिटाई

*११—श्री राम अवार—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, १९७९ को श्री प्रहलाद दास अग्रवाल पुत्र श्री सत्यजीत प्रसाद अग्रवाल, मु० कटरा, आजमगढ़ शहर (जनपद

आजमगढ़) की कोतवाली आजमगढ़ शहर की पुलिस ने बुरी तरह से लाठियों से पीटा जिससे उनका हाथ टूट गया ? क्या इस सम्बन्ध में ३० जनवरी, १९७९ को गृह सचिव, उत्तर प्रदेश को प्रार्थना-पत्र भी दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह भी सही है कि श्री प्रहलाद दास ने रिपोर्ट भी कोतवाली में किया था ?

श्री बनारसी दास—

शिकायत प्राप्त हुई थी। श्री प्रहलाद दास अग्रवाल की रिपोर्ट भी पंजीकृत की जा चुकी है। सम्पूर्ण घटना के विषय में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर अग्रेतर कार्यवाही पर विचार हो सकेगा।

भूतपूर्व विधायक, जिला झांसी द्वारा अपनी सुरक्षा हेतु दिया गया आवेदन-पत्र

*१२—श्री जयराम (जिला गाजीपुर) तथा श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि झांसी के एक भूतपूर्व विधायक, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी द्वारा दिनांक १९ मार्च, १९७९ को एक आवेदन-पत्र जीवन सुरक्षा तथा न्याय दिलाने हेतु प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो आवेदन कर्ता के जीवन की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हां, प्रार्थी की सुरक्षा हेतु विपक्षियों के विरुद्ध धारा १०७/११६ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत रिपोर्ट न्यायालय में दी गई, जो विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त स्थानीय पुलिस को भी देख-भाल रखने के निर्देश दिये गये हैं।

जिला जज, गोरखपुर द्वारा लिपिकों की नियुक्ति हेतु ली गयी प्रतियोगितात्मक परीक्षा

*१३—इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जज, गोरखपुर द्वारा दिनांक २६ नवम्बर, १९७७ को लिपिक वर्ग की नियुक्ति हेतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा ली गयी थी तथा साक्षात्कार की तिथि १९ जनवरी, १९७८ निर्धारित की गयी थी और अब निरस्त कर दी गयी है और उनके स्थान पर नियुक्तियां करने के लिए २४ अप्रैल, १९७९ को परीक्षा ली जा रही है ? क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा में उन ८०६ परीक्षार्थियों को नहीं बैठाया जा रहा है जो दिनांक २६ नवम्बर, १९७७ की परीक्षा में बैठे थे और न उन्हें कोई सूचना ही दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

न्याय मन्त्री (श्री श्रीचन्द्र)—

जिला जज, गोरखपुर द्वारा लिपिकों की नियुक्ति हेतु दिनांक २६ नवम्बर, १९७७ को एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा ली गई थी तथा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इंचार्ज परीक्षा द्वारा साक्षात्कार की तिथि ९ फरवरी, १९७८ निर्धारित

की गई थी । साक्षात्कार की सूचना परीक्षाफल पर विचार किये बिना दी गई थी तथा जब तत्कालीन न्यायाधीश की जानकारी में यह बात आई कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई है और परीक्षा ठीक ढंग से नहीं हुई तो उन्होंने यह परीक्षा निरस्त कर दी । फरवरी, १९७९ में लिपिकों के चयन हेतु एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय वर्तमान जिला जज द्वारा लिया गया किन्तु यह परीक्षा ६ मई, १९७९ के लिए स्थगित कर दी गई । जिन अभ्यर्थियों के नाम सेवायोजन कार्यालय से इस बार प्राप्त हुए उनके अलावा जितने सीधे परीक्षा में बैठने की अनुमति चाही थी उनको भी इस परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है । १९७७ की परीक्षा के अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना देना जिला न्यायाधीश द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि इस परीक्षा का पिछली परीक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

*१४-२०--[नियम ४७(१) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त]

बलिया स्टेशन पर जी० आर० पी० एवं रेलवे कर्मचारियों के बीच मारपीट की घटना

*२१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक २९ सितम्बर, १९७८ को अथवा उसके आसपास किसी दिन पूर्वोत्तर रेलवे के बलिया स्टेशन पर रेल कर्मचारियों तथा जी० आर० पी० के बीच संघर्ष हुआ जिसके परिणामस्वरूप गोली चली और अनेक व्यक्ति घायल हुए ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार बलिया रेलवे स्टेशन के जी० आर० पी० तथा रेलवे कर्मचारियों द्वारा एक दूसरे पर मारपीट करने के आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुये अलग-अलग अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं । कान्सटेबिल, शिवपूजन यादव, जी० आर० पी०, बलिया द्वारा दी गयी इस आशय की सूचना कि दिनांक २९-९-७८ को सफाई हेतु जमादार बुलाने के प्रश्न पर हुये वादविवाद के पश्चात् रेलवे कर्मचारियों ने लाठी डंडा लेकर थाने को घेर लिया व मारपीट की तथा थाने के कार्यालय का दरवाजा व खिड़की तोड़ी । मुकदमा अपराध सं० १३० अन्तर्गत धारा १४७/३२३/३३२/४२७ भा० दं० वि० का अभियोग दिनांक २९-९-७८ को पंजीकृत हुआ था । इसके विपरीत रेल कर्मचारियों की ओर से श्री उमाशंकर सिंह ए० एस० एम० की इस लिखित रिपोर्ट के आधार पर कि दिनांक २९-९-७८ को पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों ने लाठी व बन्दूक लेकर रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों व उनकी स्त्रियों, बच्चों के साथ मारपीट व लूटपाट की मुकदमा अपराध सं० १३०-ए के अन्तर्गत धारा १४७/१४८/३२३/३९५ भा०दं०वि० का अभियोग पंजीकृत हुआ था । प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जी० आर० पी० द्वारा गोली चलायी गयी परन्तु किसी के चोट नहीं आयी ।

इन दोनों अभियोगों की विवेचना अपराध शाखा को प्रदत्त कर दी गयी है घटना में रेलवे स्टाफ के ४ कर्मचारियों, एक उपनिरीक्षक व जनता के एक व्यक्ति को अत्यन्त साधारण चोटें आने की सूचना प्राप्त हुयी है ।

अतारांकित प्रश्न

स्वर्गीय रघुराज सिंह, सी० आई० डी० इन्स्पेक्टर की कार दुर्घटना में मृत्यु एवं उनको असाधारण पारिवारिक पेंशन

१--श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्व० रघुराज सिंह, इन्स्पेक्टर क्राइम ब्रान्च सी० आई० डी०, जिनकी ८ सितम्बर, १९७८ को कार दुर्घटना में जबकि वह अपनी सरकारी ड्यूटी पर थे मृत्यु हो गयी, और उनकी विधवा पत्नी को असामान्य पेन्शन अब तक स्वीकृत नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त बेसहारा परिवार को असामान्य पेन्शन तत्काल स्वीकृत कर शीघ्र दिलाने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

जी हां। असाधारण पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुखराज, निवासी दुर्विजयगंज, लखनऊ का अपने किरायेदार के विरुद्ध कथित प्रार्थना-पत्र

२--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक ६ मार्च, १९७९ को या उसके आस-पास श्री सुखराज (हरिजन) दुर्विजयगंज, लखनऊ का कोई प्रार्थना-पत्र इस आशय को प्रशासन को प्राप्त हुआ है कि उनको उनके किरायेदार से जान-माल का भारी खतरा पहुंचाने की निश्चित आशंका है ? यदि हां, तो इस विषय पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। स्थानीय जांच से ज्ञात हुआ कि श्री सुखराज निवासी दुर्विजयगंज, लखनऊ ने अपना मकान खाली कराने के लिये न्यायालय की शरण ली जहां निर्णय उसके प्रतिकूल हुआ। ज्ञात किये जाने पर खतरे की आशंका के सम्बन्ध में श्री सुखराज ने पुलिस को कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी उनकी सुरक्षा के लिये पुलिस अधीक्षक (नगर) द्वारा उचित आदेश पारित कर दिये गये हैं।

श्रीमती राजपत्ता, निवासी गुमानीगंज, जिला सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र

३--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राजपत्ता पत्नी श्री गुरुदीन, निवासी गुमानीगंज, मजरे रसूलपुर, थाना बाजार सुकुल, जिला सुल्तानपुर का कोई शिकायती-पत्र जिला सुल्तानपुर के थानाध्यक्ष बाजार सुकुल के विरुद्ध दिनांक २८ मार्च, १९७९ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास---

जी हां। शिकायती-पत्र दिनांक २६-३-७९ प्राप्त हुआ। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोप जांच से प्रमाणित नहीं पाये गये। अब्दुल खालिक पुत्र रमजान को बेइज्जती किये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में अब्दुल खालिक ने न्यायालय में इस्तगासा दायर कर रखा है।

बस्ती जिले के थाना तिलौरपुर के अन्तर्गत चोरी व डकैती की घटना

४--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोन्डा)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जनपद थाना तिलौरपुर के अन्तर्गत वर्ष १९७८ तथा १९७९ में कितनी चोरियां तथा डकैतियां हुई हैं और कितने चोरियों तथा डकैतियों के माल बरामद किए गए तथा बाकी का माल कब तक बरामद कराए जाने की सम्भावना है ?

श्री बनारसी दास---

वर्ष १९७८ में कुल १६ चोरी तथा २ डकैती की घटना हुई। वर्ष १९७९ में १ जनवरी, १९७९ से ३० अप्रैल, १९७९ तक कुल १४ चोरियों तथा १ डकैती की घटना हुई। वर्ष १९७८ की दो चोरियों से सम्बन्धित माल कीमती ४०० रु० बरामद हुये। वर्ष १९७८ की डकैती में माल बरामदगी शून्य है। वर्ष १९७९ में किसी चोरी या डकैती का माल बरामद नहीं हुआ। वर्ष १९७९ की दो चोरी एवं एक डकैती का माल बरामद होने की संभावना है।

श्रीमती जाहिरा बेगम, निवासी ऊटसार, उन्नाव का मकान निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र

५--श्री चन्द्र पाल सिंह (जिला उन्नाव) श्री चन्द्र पाल (जिला उन्नाव), श्री चन्द्र भूषण सिंह (जिला उन्नाव) श्री देवकी नन्दन (जिला उन्नाव), श्री हेमराज (जिला उन्नाव), श्री सुन्दर लाल (जिला उन्नाव) तथा श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

क्या आवास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि श्रीमती जाहिरा बेगम विधवा निवासनी २६ ऊटसार नगरपालिका के पीछे उन्नाव द्वारा आवास निर्माण हेतु अनुदान के विषय में तत्कालीन मुख्य मन्त्री के पास प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जो मुख्य मन्त्री के पत्रांक संख्या ३/३०७२/मुख्य मन्त्री ७८, दिनांक १६ अप्रैल, १९७८ द्वारा जिलाधीश उन्नाव के पास जांच हेतु भेजा गया था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास---

श्रीमती जाहिरा बेगम का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी उन्नाव को पत्रांक एस/३०७२/सी० एम०-७८, दिनांक १५ अप्रैल, १९७८ द्वारा जांच हेतु भेजा गया था। जिलाधिकारी की आख्या प्राप्त होने पर उन्हें आर्थिक सहायता देना उचित नहीं समझा गया।

फैजाबाद जिले के तारुन ब्लाक में थाना खोलने का प्रस्ताव

६—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७८–७९ में फैजाबाद जनपद में कुल कितने नए थाने खोलने का प्रस्ताव था ? क्या तारुन ब्लाक पर नया थाना खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह थाना कब तक खुलेगा ?

श्री बनारसी दास—

जनपद फैजाबाद में तीन नये थाने स्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । जिसमें तारुन क्षेत्र में भी एक नया थाना स्थापित करने का प्रस्ताव सम्मिलित है । उक्त प्रस्तावित थाने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष १९८०–८१ में दिये जाने की सम्भावना है ।

७—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

गोरखपुर जिले के फरेन्दा रेन्ज के फारेस्ट रेन्जर का कथित स्थानान्तरण

८—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, फरेन्दा रेंज के रेंजरों में कितने ऐसे रेंजर हैं जिनका स्थानान्तरण ७ बार सन् १९७८–७९ तक किया गया और पुनः रोका भी गया ? यदि हां, तो रोकने का क्या कारण था ? क्या मन्त्री जी ऐसे रेंजर जिनके खिलाफ और शिकायत साबित हो चुकी हैं उनको उचित दन्ड दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

गोरखपुर जनपद के फरेन्दा रेंज के किसी फारेस्ट रेंजर का सन् १९७८–७९ तक ७ बार स्थानान्तरण नहीं हुआ है और न ही रोका गया है ?

फरेन्दा रेंज के वर्तमान रेंजर के खिलाफ अभी तक कोई भी शिकायत सिद्ध नहीं हो सकी है । अतः उन्हें दन्डित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

मंत्रिमन्डल के सदस्यों द्वारा यू० पी० निवास, दिल्ली का प्रयोग एवं उनका यात्रा भत्ता

९—श्री बाबू लाल वर्मा, श्री रामजी (जिला आजमगढ़) तथा श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ४ जुलाई, १९७७ से मार्च, १९७९ तक उत्तर प्रदेश मन्त्रि मन्डल के सदस्यों में से यू० पी० निवास (यू० पी० गेस्ट हाउस) दिल्ली में कौन–कौन सदस्य, कब–कब, कितने–कितने दिन ठहरे ? तथा कितना–कितना दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता प्राप्त किया ?

श्री बनारसी दास—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में जो श्रम एवं समय लगेगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

मंत्रि-मन्डल के सदस्यों द्वारा वायुयान एवं हेलीकाप्टर का प्रयोग

१०—श्री बाबू लाल वर्मा, श्री रामजी तथा श्री औसान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जुलाई, १९७७ से मार्च, १९७९ तक उत्तर प्रदेश मन्त्रि-मन्डल के सदस्यों में से किन-किन सदस्यों ने कितनी-कितनी बार राजकीय वायुयान या हेलीकाप्टर का प्रयोग दिल्ली यात्रा के लिये किया तथा कितनी धनराशि अलग-अलग (सदस्यवार) उक्त दो वर्षों में उत्तर प्रदेश शासन ने खर्च किया ?

श्री बनारसी दास—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'ख' अगे पृष्ठ ७२० पर) ।

राजकीय कर्मचारियों की हड़ताल

११—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि २६ अक्तूबर, १९७८ को लखनऊ के विभिन्न राजकीय कार्यालयों में काम करने वाले राजकीय कर्मचारियों (मिनिस्ट्रीयल स्टाफ) ने अपनी कुल मांगों को लेकर २ घंटे की सांकेतिक हड़ताल की? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ? तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसी दास—

जी हां । दिनांक २६ अक्तूबर, १९७८ को १० बजे दिन से १२ बजे दिन तक यू० पी० फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसियेशन्स के आवाहन पर एसोसियेशन्स के समर्थक कर्मचारियों द्वारा समान कार्य के लिये समान वेतन आदि ३६ सूत्रीय मांगों के समर्थन में केवल गन्ना आयुक्त कार्यालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, कोआपरेटिव बैंक कार्यालय तथा राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ के लगभग ४५ प्रतिशत कर्मचारियों ने कलम बन्द हड़ताल रखी । उनकी मांगों की सूची संलग्न है । वर्तमान परिस्थिति में जो मांगें स्वीकार करने योग्य थीं, उन्हें स्वीकार किया जा चुका है ।

(देखिए नत्थी 'ग' अगे पृष्ठ ७२१ पर) ।

डकैती एवं हत्याओं में हथगोलों एवं बमों का प्रयोग

१२—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि प्रदेश में जो डकैतियां तथा हत्याएं हो रही हैं, उनमें अधिकांश में हथगोलों और बमों का उपयोग होता है ? यदि हां, तो उन हथगोलों तथा बमों के बनाने में किन-किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है ? क्या सरकार उन वस्तुओं को अपने पूर्ण नियन्त्रण में लेने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—

यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में जो डकैतियां तथा हत्यायें हो रही हैं, उनमें अधिकांश में हथगोलों और बमों का प्रयोग होता है । प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार

हथगोलों एवं बमों के बनाने में बदमाशों द्वारा बारूद, गन्धक, पोटाश, कागज टीन, लोहे के टुकड़े, शीशा, पिन तथा सुतली का प्रयोग किया जाना पाया गया। सरकार द्वारा इन वस्तुओं को अपने पूर्ण नियंत्रण में लेना व्यावहारिक नहीं है।

भरई बन्दूकों एवं पटाखों के लिये रंगरेजों को बारूद का आवंटन

१३—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मिस्कारों को गज भरई बन्दूकों तथा रंगरेजों को पटाखों तथा आतिशबाजी के लिए बारूद दिया जाता है ? उसका उपयोग बदमाश बम तथा हथगोलों के बनाने में करते हैं जिसे डकैतियों तथा हत्याओं में बदमाश उपयोग में लाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार भरूही बन्दूकों तथा आतिशबाजी का प्रचलन रोकने हेतु मिस्कारों और रंगरेजों के बारूद का कोटा समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

यह सत्य है कि गज भरई बन्दूकों के लिए तथा रंगरेजों को पटाखों तथा आतिशबाजी के लिए लाइसेन्स पर निर्धारित मात्रा में बारूद दी जाती है परन्तु अब तक यह बात सिद्ध नहीं हो पाई है कि बदमाशों को हथगोलों तथा बमों को बनाने के लिये यही लोग बारूद देते हैं।

भरई बन्दूकों तथा आतिशबाजी का प्रचलन रोकना तथा व्यवसाय के लिये बारूद का कोटा समाप्त करना व्यवहारिक नहीं है।

पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग

१४—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९७८ के अक्तूबर से जनवरी, १९७९ तक पुलिस ने कितनी जगह फायरिंग किया तथा इस फायरिंग में कितने लोगों की मौतें हुईं ?

श्री बनारसी दास—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७२३ पर)।

आगरा जिले में कृषि यंत्र उत्पादन इकाइयों को लोहा व प्लेट्स का आवंटन

१५—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७८ में क्या आगरा नगर में कृषि यन्त्र बनाने हेतु लोहा, प्लेट्स का कोटा आवंटित किया गया ? यदि हां, तो कितनी उद्योग इकाइयों को यह कोटा आवंटित किया गया है ? क्या लोहा प्लेट्स आवंटित की गई इकाइयां कार्यरत हैं ? अथवा नहीं ? यदि कार्यरत हैं तो कृषि यंत्र का उत्पादन वर्ष १९७८ में उनके यहां कितना हुआ ?

श्री राम नरेश यादव--

आगरा नगर में कृषि यंत्र उत्पादित इकाइयों को शासन द्वारा माह अक्तूबर, १९७८ से लोहे व प्लेट्स का आवंटन किया गया। आगरा नगर में कृषि यंत्र उत्पादन करने वाली ६ इकाइयों को लोहा व प्लेट्स का आवंटन किया गया। वह सभी इकाइयां जिनको माल आवंटित किया गया, कार्यरत हैं। इन इकाइयों द्वारा अक्तूबर ७८ से २८-२-७९ तक किए गए उत्पादन का विवरण संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७२४ पर)

एटा जिले में आग्नेयास्त्रों का दिया गया लाइसेन्स

१६--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में १५ नवम्बर, सन् १९७७ से २५ अक्तूबर, सन् १९७८ तक कुल कितने अस्त्र-शस्त्रों के लायसेन्स प्रत्येक थाने में दिए गए? क्या यह सत्य है कि थाना मारहरा तथा निधौली एवं पटियाली में ऐसे व्यक्तियों को भी बन्दूक व राइफल के लाइसेन्स दे दिये गये हैं जिनके नाम कोई भूमि अथवा अन्य सम्पत्ति नहीं है अथवा उनके नाम थाने के हिस्ट्रीशीटर सूची में दर्ज है? यदि हां, तो ऐसे लाइसेन्सदार कौन-कौन हैं तथा उनको लाइसेन्स दिए जाने का आधार क्या है?

श्री बनारसी दास--

जनपद एटा में १५ नवम्बर, १९७७ से २५ अक्तूबर, १९७८ तक स्वीकृत लाइसेन्सों का थानेवार विवरण संलग्न है।

आयुध अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को मात्र उसके पास पर्याप्त सम्पत्ति नहीं होने के आधार पर ही लाइसेन्स के आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। थाना मारहरा, निधौली एवं पटियाली में लाइसेन्स के मामलों में भी नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका पुलिस रिपोर्ट में हिस्ट्रीशीटर होने का उल्लेख हो, लाइसेन्स स्वीकृत नहीं किया गया है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७२५ पर)

एटा जिले में डकैती एवं अपहरण से पीड़ितों को दिया गया अग्नेयास्त्र का लाइसेन्स

१७--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में ऐसे कितने अस्त्रों के लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं जिनके घरों में डकैती पड़ चुकी है या कत्ल हो चुके हैं या परिवार के किसी सदस्य का अपहरण हो चुका है और जीवन सुरक्षित नहीं है और उनको पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद भी लाइसेन्स की स्वीकृति नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो कब तक ऐसे व्यक्तियों को लाइसेन्स दे दिए जायेंगे?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार एटा जिले में वर्तमान समय में ऐसा कोई भी मामला जानकारी में नहीं है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति जिसके यहां कत्ल, डकैती या परिवार के किसी सदस्य का अपहरण हुआ हो, पुलिस की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् भी लाइसेन्स स्वीकृत न किया गया हो।

देवरिया जिले में डकैती व हत्या की घटनाएं

१८--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में १ जनवरी, १९७८ से २० जनवरी, १९७९ तक कितनी डकैतियां व हत्या की घटनाएं घटित हुई तथा उक्त अपराध किस पुलिस थाने के अन्तर्गत सर्वाधिक हुए ?

श्री बनारसी दास--

४७ डकैती तथा ८९ हत्या की घटनायें घटित हुई । डकैती थाना रुद्रपुर में तथा हत्या थाना रामकोला में सर्वाधिक हुए ।

मिर्जापुर में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वनवासियों के साथ अत्याचार एवं शिकायती-पत्र

१९--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले में वन विभाग द्वारा वनवासियों को सताए जाने, अत्याचार करने व उनका शोषण करने तथा लेबर बाउन्डेन्ड ऐक्ट के अनुसार मजदूरों न देने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन व रिपोर्ट शासन को नवम्बर व दिसम्बर, १९७८ को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन--

जी हां, सदस्य महोदय का शिकायती-पत्र दिनांक ७-१२-१९७८ तत्कालीन वन मंत्री जी को प्राप्त हुआ था । मामले में जांच कराई गई तथा जांच से मिर्जापुर जिले में वन विभाग द्वारा वनवासियों को सताए जाने, अत्याचार करने व शोषण करने तथा लेबर बाउन्डेड ऐक्ट के अनुसार मजदूरी न देने से सम्बन्धित शिकायत सही नहीं पाई गई ।

२०--श्री अशर्फी लाल यादव--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

फरीदपुर जिला बरेली में श्री निर्मल कुमार जैन के साथ लूट की घटना

२१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि दिनांक ५ अप्रैल १९७८ को प्रातःकाल फरीदपुर जिला बरेली के पास मुख्य मार्ग पर कुछ लुटेरों ने एक परिवार को उसकी कार सहित लूट लिया ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है ?

श्री बनारसी दास--

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री निर्मल कुमार जैन, जैन फ्लावर मिल हरदोई रोड, सीतापुर ने दिनांक ५-४-७८ को थाना फरीदपुर बरेली में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उन्हें, उनकी मां तथा उनकी दो बहनों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट लिया गया । इस सूचना पर अभियोग दर्ज करके जांच शुरू की गयी । लूट का कुछ माल भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया । विवेचना जारी है ।

२२-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जालौन जिले की कालपी तहसील में दिये गये अग्नेयास्त्र के लाइसेन्स

२३—श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जालौन जनपद की कालपी तहसील में पिछले ६ महीनों (सिक्स मन्थ) में अग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, कितने लोगों को लाइसेन्स दिये गये तथा कितनों के प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिए गए? जिन व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र निरस्त हुए हैं क्या उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके घरों में डकैतियां पड़ चुकी हैं? यदि हां, तो उनके प्रार्थना-पत्र निरस्त करने के क्या कारण हैं?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद जालौन की काल्पी तहसील में पिछले ६ महीनों में ३२८ प्रार्थना-पत्र आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुए। इनमें से ५ व्यक्तियों को लाइसेन्स स्वीकृत किये गये, १७ व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र निरस्त किये गये तथा ३०६ प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन हैं।

जिन १७ व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र निरस्त किये गये, उनमें एक व्यक्ति का माल दिनांक ५-११-७९ को थाना कदौरा में दर्ज अपराध संख्या १२७/७९ धारा ३९६ आई० पी० सी० में लूटा गया था। प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का कारण आवेदक का शस्त्र धारण करने के लिए उपयुक्त न होना पाया जाना था।

२४—श्री श्रीनारायण—

[२रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

२५—श्री संगम लाल—

[३रे मंगलवार के लिए स्थगित]

नगरपालिका बलिया के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों का विवरण

२६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया नगरपालिका के अन्तर्गत वर्ष १९७८ में चोरी, लूट, राहजनी, डकैती और हत्या की कितनी घटनाएं कब-कब घटी हैं और उनमें क्या कार्यवाही हुई है?

श्री बनारसी दास—

१-१-१९७८ से ३१-१२-१९७८ की अवधि की सम्बन्धित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७२६ पर)

बीसलपुर, किसान सहकारी चीनी मिल, जिला पीलीभीत की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

२७—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

प्रथम सत्र १९७९ के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ७३ के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जांच के परिणाम का कौन-

कौन सा भाग गोपनीय किन कारणों से है ? यदि जांच पूरी नहीं है, तो कब तक पूरी करने के आदेश देंगे ?

श्री बनारसी दास--

प्रश्नगत मामले में कतिपय आरोपों की गोपनीय छानबीन सतर्कता अधिष्ठान के माध्यम से कराई गई थी । ऐसी छानबीन का समस्त विवरण गोपनीय है क्योंकि इसके प्रकट होने से ऐसी छानबीन का अभिप्राय ही समाप्त हो जाता है ।

देवरिया जिले के सेमरिया खुर्द के श्री राम नरेश मिश्रा के घर पर डकैती

२८--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सेमरिया खुर्द थाना पडरौना देवरिया में ४ नवम्बर, १९७८ को समय ६ बजे श्री राम नरेश मिश्रा के यहां भीषण डकैती में भारी लूट-पाट तथा गृह स्वामी को आहत कर दस्युदल दोनाली बन्दूक ले गए जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बद्ध थाना पडरौना (देवरिया) में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या बन्दूक बरामद हुई ?

श्री बनारसी दास--

जी हां । बन्दूक बरामद नहीं हुई ।

फैजाबाद के सिविल लाइन मोहल्ले की नजूल भूमि की गैर कानूनी विक्री के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, फैजाबाद जनपद में सिविल लाइन मोहल्ला शहर फैजाबाद में बड़े पैमाने पर नजूल की भूमि को गैर कानूनी तरीके से बिक्री किये जाने के कारण जनता में घोर असंतोष व्याप्त है । प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सिविल लाइन, फैजाबाद में बिक्रीकर कार्यालय के आसपास की परती जमीन बड़े पैमाने पर बेचने का समाचार मिला है । नियमत: नजूल की भूमि बिक्रय करने का अधिकार नहीं है । साथ ही साथ उस जमीन का सार्वजनिक पार्क अथवा अन्य किसी सार्वजनिक उपयोग में लाया जाना चाहिये था ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करायें तथा नजूल की उपरोक्त भूमि को जो कि गैर कानूनी तरीके से बेची गयी है, उसे मुक्त करायें ।

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है, इसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप पढ़ चुके हैं, अब आगे इजाजत नहीं ।

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के बर्डपुर के ग्राम सभाओं की सीमा निर्धारण के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

महोदय, बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में एक बर्डपुर अंग्रेजों की जमींदारी का इलाका था जिसकी आबादी आज लगभग एक लाख की है । अंग्रेज जमींदार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ओम प्रकाश]

ने अपने पूरे इलाके को १४ सेक्टरों में बांट कर अपनी अलग व्यवस्था की थी। प्रत्येक सेक्टर का नाम बर्डपुर नं० एक लगायत बर्डपुर नं० १४ कहा जाता था और प्रत्येक सेक्टर में दस-दस पन्द्रह पन्द्रह गांव शामिल थे।

जमींदारी उन्मूलन के बाद तथा अंग्रेजी जमींदार के चले जाने के बाद पूरे बर्डपुर क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर को गांव सभा मान लिया गया। इस प्रकार पूरे बर्डपुर क्षेत्र में जिसकी आबादी लगभग एक लाख है। केवल १४ गांव सभाओं में विभाजित है जो सरासर गलत है। वहां की जनता ने कई बार मांग की थी कि बर्डपुर क्षेत्र को पुन: राजस्व के गांवों में आबादी तथा गांव के क्षेत्रफल को देखकर बांटा जाय। जब तक पूरे क्षेत्र के गांवों की सीमा निर्धारित नहीं होगी विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र पिछड़ा रहेगा। एक लाख की जनता के साथ घोर अन्याय है कि इतने बड़े-बड़े सेक्टरों को गांव सभा की इकाई मानी जाय। अत: माननीय सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए तथा तत्काल उचित कार्यवाही के लिए नियम ३०१ में सूचना दे रहा हूं।

बस्ती के बफर गोदाम निरीक्षक श्री तिलकधारी सिंह के घर पर छापा तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, बस्ती जनपद में बफर गोदाम निरीक्षक श्री तिलकधारी सिंह के निवास स्थान से सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा छापा मारकर दिनांक १३-४-७९ को ३१ बोरी खाद अवैध रूप से रखी गयी थी, बरामद किया गया। इसे सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा सील भी किया गया था। इस घटना की चर्चा पूरे जनपद में है लेकिन अभी तक उक्त निरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही शासन द्वारा न होने से जन मानस में क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है। इस घोटाले के पीछे परियोजना-धिकारी, बस्ती का हाथ है। इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल दोषी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय।

मान्यवर, यह बहुत बड़ा मामला है। लाखों का घोटाला वहां पर किया गया। मैं चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि इसकी शीघ्र जांच करके कार्यवाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

शासन की ओर से इसकी जांच और कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जायगी।

बहराइच के ग्राम बोझिया मझांव में विमुक्त जाति के लिए बनी कालोनी में अन्य जातियों को बसाए जाने की शिकायत के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री विशुन दयाल (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन तथा सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राम बोझिया मझांव, तहसील नानपारा, विकास खण्ड में ही पुरवा जनपद बहराइच में विमुक्त जाति के परिवारों को बसाने के लिए हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा रहने के लिए कालोनी तथा खेती करने के लिए जमीन आबंटित की गयी थी लेकिन उक्त जमीन तथा कालोनी में हरिजन समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा दूसरे जिले के लोगों को जो कि अन्य जातियों के हैं, बसा दिया है जिसकी शिकायत भी कई बार विभाग को की गयी परन्तु विभाग तथा शासन के कान पर आज तक जूं नहीं रेंगी। यह कार्यक्रम सन् १९५९ में सम्पन्न हुआ था।

ग्राम बोझिया के विमुक्त जाति के परिवारों में काफी रोष तथा असंतोष है, उनके पास न रहने के लिए मकान तथा खेती करने के लिए जमीन नहीं है, इसलिए, इस जलजलाती धूप में इन परिवारों के बच्चे तड़प रहे हैं।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इन १०० विमुक्त जातियों के परिवारों के नाम आबंटित कालोनी के मकान तथा खेती के लिए जमीन दिलवाने की तत्काल कार्यवाही करे और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दंडित करें।

मंसूरी में मिसानियल लाज के समीप राज्य सड़क परिवहन निगम की बस दुर्घटना के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को दिनांक ५-५-७९ को सायं ६.३० बजे मंसूरी में मिसानियल लाज के समीप उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की एक यात्री बस के जिसमें लगभग ४० यात्री यात्रा कर रहे थे मंसूरी से देहरादून आते हुए ४५ मीटर गहरे खड्डे में गिर जाने से हुयी हृदय विदारक दुर्घटना की सूचना व्यथित हृदय से देना चाहता हूं उक्त घटना के परिणाम स्वरूप ३ व्यक्तियों की मृत्यु घटना स्थल पर तथा २ व्यक्तियों की अकाल मृत्यु चिकित्सालय में हो गई है जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक देहरादून श्री बाली भी हैं तथा ३३ व्यक्ति घायल हैं जिनमें १० व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल चिकित्सालय में जीवन एवं मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध है कि अविलम्ब उक्त दुर्घटना के संबंध में माननीय सदन के समक्ष विस्तृत वक्तव्य दें एवं हालांकि किसी भी मनुष्य के जीवन का मूल्य धन से नहीं आंका जा सकता है फिर भी मृत्यकों के परिवारों को सहायता एवं सान्त्वना स्वरूप सरकार की ओर से कम से कम दस हजार रुपये प्रति मृतक के परिवार को तथा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को पांच हजार रुपये दिये जाने की घोषण माननीय सदन के समक्ष करें साथ ही म परिवहन मन्त्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि उक्त दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्तियों के परिवार को हर्जाने के रूप में अधिकतम धनराशि परिवहन विभाग की ओर से अविलम्ब दिलाने की व्यवस्था करें एवं इस प्रकार से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कड़ाई से कदम उठायें।

श्री उपाध्यक्ष --

परिवहन मंत्री जी, शीघ्रातिशीघ्र सहायता दिलाने की तुरन्त व्यवस्था करायें ।

बाराबंकी के थाना असंदरा के कतिपय ग्रामों में डकैतियां तथा हैदरगढ़ चौकी के इंचार्ज, श्री इन्द्रपाल शर्मा के विरुद्ध शिकायत के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

बाराबंकी जिले के थाना असदरा के अन्तर्गत ग्राम बहादुरपुर एवं पूरे भवानी सिंह में ३-४ मई १९७९ को पड़ी डकैतियों से जनमानस में भय व्याप्त है । इसी प्रकार लोनी कटरा थाने के ग्राम रांभा में ३ अप्रैल, १९७९ को पड़ी डकैती में काफी लोग बुरी तरीके से घायल हुये हैं जिनकी दशा चिन्तनीय है । पुलिस की निष्क्रियता से एवं पड़ी डकैतियों से आतंक जनमानस में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है ।

इसी प्रकार २७ मार्च, १९७९ को एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री शीतला प्रसाद शुक्ला, जो सोशलिस्ट पार्टी के (भूतपूर्व) महामन्त्री भी थे, को उनके ८ साथियों सहित पुलिस चौकी हैदरगढ़ के इंचार्ज, श्री इंद्रपाल शर्मा व कान्स्टेबिलों द्वारा बुरी तरीके से पिटाई करके ४,००० रुपये व एक घड़ी के छीने जाने की घटना प्रकाश में आयी है जो अत्यन्त ही निन्दनीय है । घटना घटित होने से पूर्व गोली से मार देने व फर्जी केस बनाने की धमकी उक्त थानेदार द्वारा दी गयी थी जिसकी सूचना मैंने तार द्वारा शासन को व उच्च अधिकारियों (पुलिस) को दी थी । स्थानीय पुलिस राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार का रवैया अपनाए हुए हैं वह असह्य होता जा रहा है । शासन का ध्यान शान्ति व्यवस्था से संबंधित उक्त घटना की ओर आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि स्थानीय पुलिस के निरंकुश रवैये को रोका जाय तथा निष्पक्ष जांच के लिए यह भी आवश्यक है कि उक्त पुलिस सब-इन्स्पेक्टर को अविलम्ब निलम्बित किया जाय ।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उचित चिकित्सा व्यवस्था न होने की शिकायत के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, जरा शांति करवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष --

माननीय सदस्यगण कृपया आपस में बातें न करें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, सब को विदित है कि हिन्दी जगत के प्रसिद्ध विद्वान् आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गम्भीर रूप से बीमार हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने स्वीकार किया है अगर आपका होता तो इसी में जुड़ जाता ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं । इस समय बनारस विश्वविद्यालय का जो मेडिकल कालेज है उसमें मरणासन्न अवस्था में हैं । लेकिन उनका उपचार ठीक से नहीं हो पा रहा है । सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि विशेष ध्यान दिया जाय । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार को आदेश दें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

जो सूचना आपने दी है, उसको पढ़िये ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं तो सरकार के ध्यान में लाना चाहता था । कृपया आप आदेश दें कि इस संबंध में सरकार वक्तव्य दे ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम तो यह है कि जो आपने लिखकर दिया है, उसको पढ़ें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

वह मेरे पास नहीं है । मेरा निवेदन है कि उप मुख्य मन्त्री को आप आदेश दें कि वह इस संबंध में कोई वक्तव्य देने की कृपा करें ।

(श्री राम नरेश यादव के खड़े होने पर ।)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । इससे पहले कि माननीय उप मुख्य मन्त्री बोलें मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं । जब तथ्य आपके सामने आ जायें तो माननीय उप मुख्य मन्त्री बयान दें, तो वह ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो नेगी जी कह चुके हैं उनके अलावा आप कहना चाहते हैं ?

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

जी हां, माननीय नेगी जी ने बहुत अच्छा काम किया । मैंने सबेरे निवेदन किया, परसों निवेदन किया था, लेकिन अच्छा हुआ कि यह मामला आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया । मैं बनारस ५ मई को गया था । मैंने डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को स्वयं देखा था । उनकी स्थिति बहुत खराब है, उनको पक्षाघात का तीसरा आघात हुआ है । सेरीब्रल थ्रोम्बोसिस के गंभीर रोग से वह पीड़ित हैं ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

५ मई को उनको भी सुन्दर लाल अस्पताल में दाखिल किया गया था। डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ कहने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। वह काशी विश्वविद्यालय के रेक्टर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं वह सारे भारत की सम्पत्ति हैं। जो उनकी स्थिति है वह जानकारी आपको हो जायगी तो आप सोचने पर मजबूर हो जायेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ध्यान दें। ५ मई को जब मैं वहां गया मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ तो उनके छोटे लड़के ने बताया कि अभी तक शासन की तरफ से किसी भी प्रकार का अनुदान चिकित्सा के संबंध में नहीं मिला है।

मान्यवर, मेरे पास उनके पुत्र का लिखा हुआ एक पत्र भी यहां पर है, जिसमें उन्होंने वहां के मेडिकल आफिसर से एम्बुलेन्स मांगी, उन्होंने देने की इजाजत दे दिया लेकिन जब वह लेने गये तो उनको देने से इंकार किया गया और कहा गया कि गाड़ी बैंक पहले जायेगी और वहां से लौटने के बाद दी जायेगी। उनकी हालत बहुत खराब थी जिसको चिकित्सा अधिकारी ने मुझको बताया। लेकिन एम्बुलेन्स जैसी सुविधा उनको नहीं दी गयी। ६ मई को मैं उनको देखने गया था तो वह अचेत थे। इसलिए निवेदन करूंगा कि उप मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री यहां मौजूद हैं, वह देखें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपेक्षा क्यों हो रही है, उसको रोकें और उनके प्राणों की रक्षा करें जिससे हिन्दी साहित्य की सेवा करने को उनको अवसर मिले, यही मैं चाहता हूं। उनके पुत्र ने मुझे यह भी बताया है कि यदि बनारस में चिकित्सा उनको नहीं हो सकती है तो उनको दिल्ली में आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को उपचार हेतु भिजवा दें। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उनकी उपेक्षा क्यों हो रही है, आर्थिक अनुदान उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं प्रदान की गयीं इसकी आप जांच करवायें और बनारस के चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी से मुख्य मन्त्री जी संपर्क स्थापित कर उनके थ्रूमेडिकल सुविधा प्रदान करें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं भी अपने को माननीय सदस्य वाराणसी की भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं। श्री द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश के हिन्दी संस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। वह हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए जो शासकीय माध्यम से कार्य होता रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, वह निर्विवाद हिन्दी की सेवा करते रहे हैं और सरकारी तथा गैर सरकारी सेवा के बीच वह बंधे रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि शासन उनकी तरफ ध्यान देने का कदम उठायेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष —

पूरे सदन की राय है कि उनकी अच्छी से अच्छी चिकित्सा हो। इसलिए आप लोग बैठ जांय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं केवल थोड़ा कहना चाहता हूं कि श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकार के संबंध में भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह उनको जल्दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वस्थ करें और सरकार से चाहता हूं कि उनकी उपेक्षा क्यों की गयी । चिकित्सा सुविधा न दे कर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया है । इसलिए सरकार उनको अच्छे चिकित्सा सुविधा प्रदान करे ।

*उप मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी जगत के मूर्धन्य साहित्यकार है, इसमें दो राय नहीं है, यह बात सही है कि जिस प्रकार उन्होंने हिन्दी की सेवा किया है उससे हम सभी लोग परिचित हैं । इसलिए जिस प्रकार उनके स्वास्थ्य के संबंध में माननीय शतरुद्ध प्रकाश ने प्रश्न उठाया, नेता विरोधी दल, श्री देव बहादुर सिंह और श्री गोविन्द सिंह नेगी जी ने जो कहा उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि शासन उनके स्वास्थ्य के संबंध में इसलिए कि उत्तरोत्तर उनका स्वास्थ्य सुधरे, हर प्रकार का प्रयास करे । और जिस पत्र की चर्चा आयी है मैं उसमें माननीय सदस्य से चाहता हूं कि वह पत्र भेज दिया जाय । और हमसे भी बात कर लेंगे । उस सम्बन्ध में देखा जायेगा कि उनका किस प्रकार की उपेक्षा की गयी और किस प्रकार से लापरवाही के साथ देखा जा रहा है । इन सभी चीजों को देखा जायेगा वह राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं और हिन्दी जगत के बहुत बड़े विद्वान हैं इसलिये उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखते हुये हर प्रकार की उनकी सहायता की जायेगी और उनके स्वास्थ्य की चिन्ता करते हुये प्रयास किया जायेगा और कहीं अगर आवश्यकता महसूस हुयी तो विशेषज्ञों द्वारा राय लेने के पश्चात् बाहर भी (जिसके बारे में अभी कहा गया) जैसे इण्डियन मेडिकल इन्स्टीट्यूट वगैरह, में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं महसूस की जायेगी--यह मैं सदन को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय नेगी जी ने, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने और माननीय नेता विरोधी दल से जो चिन्ता डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्वास्थ्य के प्रति व्यक्त की गयी और उनके स्वास्थ्य के प्रति शासन के अधिकारियों द्वारा उपेक्षा की गयी, उसके बारे में माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने केवल भविष्य में सुधार करने का आश्वासन दे दिया । लेकिन, मान्यवर, स्पष्ट है कि शासन की ओर से उसमें उपेक्षा की गयी है । उस सम्बन्ध में अपेक्षा थी कि सम्बन्धित माननीय मंत्री आदरणीय सदन को यह बतायेंगे कि माननीय हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्वास्थ्य के खराब होने की जानकारी कब मिली, इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये और सरकारी अधिकारियों/डाक्टरों द्वारा ऐसे मूर्धन्य विद्वान की जो उपेक्षा की गयी, उसके बारे में उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? इस पर यह माननीय सदन जानना चाहता था । किन्तु उसके बारे में कोई जानकारी नहीं करायी गयी । तो मान्यवर, आप इस सम्बन्ध में कृपया व्यवस्था दें शासन की ओर से उस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्रस्तुत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, शासन की ओर से इसमें व्यवस्था होनी चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सदन को सूचित किया, उससे हम लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला कि अभी तक किसी भी प्रकार की, कोई भी सहायता माननीय हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आदमी को नहीं की गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा थी कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले में जानकारी कर लेते और सदन को बताते कि डाक्टर द्विवेदी की क्यों उपेक्षा हुयी और अब क्या सहायता उनको दी जा रही है। अब वह केवल भविष्य की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर वह किस तरह बीमार हैं, क्या उनके घर वाले आकर कोई आवेदन-पत्र देंगे और तब उनको सहायता दी जायेगी और यदि इस तरह से उनकी सहायता देते हैं, तो यह सारे देश का अपमान है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का फर्ज था कि वह किसी अधिकारी के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करते कि इस तरह के, इतने बड़े विद्वान किस तरह से बीमार हैं और उनको चिकित्सा की क्या सुविधा दी जा रही है और सदन को इसकी सूचना देते। उनका फर्ज था कि वह खुद जाकर और यदि सम्भव न होता तो किसी अधिकारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके उनकी सहायता करते और यदि कहीं बाहर भेजने की आवश्यकता होती, तो बाहर भेजते।

अब चूंकि नहीं किया, तो भविष्य में कब करेंगे, और कैसे करेंगे, और क्या जब उनके बीबी-बच्चे निवेदन करेंगे, तब करेंगे? इससे साफ जाहिर है कि उपेक्षा की गयी है। जो भविष्य के लिये सोचा जा रहा है, और आश्वासन दिया जा रहा है, वह केवल एक कोरी बात है। वास्तव में इनको उनके बारे में कुछ पता नहीं कि आखिर इतने बड़े विद्वान के लिये शासन का भी कुछ कर्तव्य होता है। मैं तो स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि आज या कल में किसी विशेष अधिकारी को भेजें और जो कुछ भी सम्भव सहायता हो, करें और इस बात को भी देखें कि क्या उनको कहीं बाहर भी उपचार के लिये भेजने की आवश्यकता है और कल या परसों तक सूचित करें कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया? तब तो हम समझेंगे कि आप कुछ चिन्तित हैं वरना कुछ कह देने से और उनको विद्वान कह देने से यह सदन कभी आश्वस्त नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया बता दें कि अब तक क्या कार्यवाही की गयी सरकार की ओर से।

श्री राम नरेश यादव--

माननीय हजारी प्रसाद द्विवेदी को काशी विश्वविद्यालय के सुन्दर लाल हास्पिटल में भर्ती किया गया है और उनका उपचार हो रहा है लेकिन जो उपेक्षा की बात है, तो उस सम्बन्ध में जानकारी की जायेगी क्योंकि वह देश के एक मूर्धन्य विद्वान हैं और एक ऐसे महान् साहित्यकार के लिये एम्बूलेंस न दिये जाने की बात दुख की बात है। इसलिये स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अब उनकी पूरी सहायता की जायेगी और उसमें जानकारी की जायेगी और कौन अधिकारी दोषी है, इस सबके बारे में पूरी कार्यवाही की जायेगी।

एक बात माननीय पांडेय जी ने कही और आशंका व्यक्त की, उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि जिस किसी सहायता की उनको आवश्यकता होगी, वह दी जायेगी कोई कमी नहीं होगी क्योंकि उनकी जो चिन्ता है, वह हमारी भी चिन्ता है। वह एक मूर्धन्य विद्वान हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुये अवश्य सहायता की जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देवरियानगर में युवा कांग्रेस (आई०) के कार्यकर्त्ताओं द्वारा श्रीमती सूर्यमुखी देवी के घर पर जबरन कब्जा किए जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मुझे तार द्वारा ऐसी सूचना मिली है तथा मैंने व्यक्तिगत तौर पर जानकारी किया है कि विगत पखवारे में जिला युवक कांग्रेस (आई) के सदस्यों न गोलबन्द हो, हथियारों से लैस होकर देवरिया नगर में मालवीय रोड पर स्थित श्रीमती सूर्य मुखी देवी के मकान पर हमला कर दिया । अन्दर के सारे सामान को लूट लिया और मकान पर जिला युवक कांग्रेस (आई) का बोर्ड लगाकर उस भवन को कार्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया है । मकान मालकिन के प्रतिरोध पर उन लोगों ने धमकी दिया कि तुम्हारे पास अधिक मकान हैं इसलिये हम लोग कब्जा किये हैं और इस घटना की यदि किसी को जानकारी दोगी या रपट करोगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा तथा सम्पूर्ण मकान पर युवक कांग्रेस (आई) का कार्यालय बना दिया जाएगा । खेद है कि मकान पर कब्जा करने, सामान लूटे जाने की जानकारी सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को दी गई किन्तु कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गयी जिससे सम्पूर्ण नगर में युवक कांग्रेस (आई) के युवकों द्वारा इस प्रकार के कार्य से भय एवं आतंक व्याप्त है और किसी भी कमजोर वर्ग के व्यक्ति के मकान पर ये लोग कब्जा कर सकते हैं ।

अस्तु आज मैं माननीय सदन में इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर निम्न मांग करता हूं :

१--जिस मकान पर जिला युवक कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय बनाया है, उस मकान को तत्काल खाली कराया जाय ।

२--सामानों को लूटने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाए ।

[× ×]

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप जो कुछ कह रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, वक्तव्य दिला दें ताकि मैं भी कुछ कह सकूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह वक्तव्य के लिए नहीं होगा ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

श्रीमन्, इसकी जांच हो जाए ताकि पता तो चल जाए कि कांग्रेस (आई) के लोग क्या कर रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[× ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री सोहनवीर सिंह तोमर, आप अपनी याचिका प्रस्तुत करें ।

एक सदस्य--

मान्यवर, मैंने ३०१ की एक सूचना दी थी, उसकी स्थिति से अवगत करा दें वरना स्थिति खराब हो जाएगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो वक्तव्य दे चुके हैं ।

एक सदस्य--

कल का विषय बिलकुल भिन्न था ।

उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के साथ शासन द्वारा भेद भाव की नीति बरते जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के साथ शासन द्वारा भेद भाव की नीति बरते जाने के सम्बन्ध में श्री पी० सी० भाटिया, उपाध्यक्ष, गवर्नमेन्ट पेंशनर्स आर्गनाइजेशन, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां सदस्य विधान सभा द्वारा जेल से विधान सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुरोध किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्रों पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा ने, जिन्हें गिरफ्तार कर के जिला कारागार, लखनऊ में रखा गया है, अपने दिनांक ६ मई, १९७९ के एक पत्र तथा ७ मई, १९७९ के दो पत्रों में मुझसे यह निवेदन किया है कि उन्हें विधान सभा में उपस्थित करने के लिये आदेश दूं ।

इस प्रश्न को दिनांक ७ मई, १९७९ को विधान सभा में माननीय नेता विरोधी दल तथा कुछ अन्य सदस्यों ने भी उठाया था जिस पर मैंने अपना निर्णय बाद में देने को कहा था ।

माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खां के पत्र में तथा सदन में भी यह प्रश्न उठाया गया था कि श्री आरिफ की गिरफ्तारी अवैधानिक है और जैसा कि उसी समय मैंने सदन में कहा था कि यह विषय न्यायालय में निर्णय का है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष--

पहले मैं निर्णय दे दूं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा द्वारा जेल से विधान सभा की ६५७ बैठकों में भाग लेने के लिए अनुरोध किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्रों पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

जहां तक श्री आरिफ को सदन में उपस्थित करने का मेरे द्वारा आदेश दिये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में भूतपूर्व अध्यक्ष के एक निर्णय की ओर माननीय नेता विरोधी दल ने मेरा ध्यान दिलाया। परन्तु ऐसा कोई निर्णय मुझे नहीं मिला। वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ को श्री शत्रुद्ध प्रकाश ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए जेल में बन्द विरोधी दल के सभी नेताओं को विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिये बुलाये जाने का प्रश्न उठाया था। उस समय तत्कालीन अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए यह कहा था कि जो प्रश्न माननीय शत्रुद्ध प्रकाश जी ने उठाया है, जहां तक प्रक्रिया नियमावली का सम्बन्ध है, स्वतः अध्यक्ष द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो विचाराधीन बन्दी है, अन्डर ट्रायल है या कन्विक्ट है, जिस समय उपवेशन हो रहा हो, बुलाने का अभी तक कोई प्रिसीडेन्ट नहीं है। साथ ही, तत्कालीन अध्यक्ष ने यह भी अभ्युक्ति की कि माननीय नेता, विरोधी दल ने उनके पास एक पत्र अपने निजी सचिव को अपने पास बुलाने के लिये भेजा था, जो सुविधा उन्हें प्रदान कर दी गयी थी। यह पूछे जाने पर कि क्या कोई सदन में बुलाने की प्रार्थना किसी माननीय सदस्य से प्राप्त हुई है, तत्कालीन अध्यक्ष ने राज्य सभा में कुमारी सरोज खापरडे की प्रार्थना और उन्हें राज्य सभा में बुलाये जाने का उल्लेख किया था, किन्तु कोई निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं दिया था। कुमारी खापरडे की प्रार्थना पर नागपुर के मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की हिरासत में दिल्ली लाये जाने का निर्देश दिया ताकि वे संसद की कार्यवाही में भाग ले सकें। इसकी पुष्टि राज्य सभा में हुए कार्य के सारांश (२० नवम्बर, १९७८ से २६ दिसम्बर, १९७८ तक) के पृष्ठ १६ से होती है, जिसमें सदन को उक्त प्रकार की सूचना दिनांक ४ दिसम्बर, १९७८ को दी गयी थी।

इस सम्बन्ध में हुए पूर्व निर्णय भी इसकी अनुमति नहीं देते कि फौजदारी के मामले में गिरफतार हुए किसी सदस्य को सदन में उपस्थिति हेतु बुलाया जाय चाहे वह विचाराधीन या सिद्ध-दोष बन्दी हो।

कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के हिन्दी संस्करण के पृष्ठ २१८-२१९ पर मद्रास उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस सम्बन्ध में निर्णयों का उल्लेख किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के सामने के आनन्दन नम्बियार के मामले में मद्रास विधान सभा के एक सदस्य, जो उस समय सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखन के लिए अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध थे, की मद्रास विधान सभा के लिये आमन्त्रण मिलने पर उस में उपस्थिति के अधिकार की घोषणा के सम्बन्ध में परमादेश की याचिका विचाराधीन थी। उसमें अपने फैसले में न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा है कि :

"एक बार किसी निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत विधान सभा के किसी सदस्य को गिरफतार कर लिया जाता है और कानूनी तौर पर निरुद्ध किया जाता है, चाहे उस पर मुकदमा न चलाया जाय, तो इस में कोई सन्देह नहीं कि, प्रस्तुत कानून के अन्तर्गत उसे उस सभा की बैठकों में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारे यह घोषणा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है कि चाहे वह सशस्त्र पहरेदारों के साथ जाय, उसे विधान सभा में जाने का अधिकार है।"

इसी सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया कि संसद के सदस्यों का संसद के अधिवेशन में उपस्थित होना, वाद-विवाद में भाग लेना और अपना मत अभिलिखित करना, वास्तविक अर्थ में संवैधानिक अधिकार नहीं है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार मौलिक अधिकार नहीं है। जहां तक निरोध

[श्री उपाध्यक्ष]

के बंध आदेश का सम्बन्ध है, संसद का कोई सदस्य साधारण नागरिकों से अधिक ऊंची स्थिति में नहीं है ।

इसी प्रकार अंशमाली बनाम पश्चिमी बंगाल (ए० आई० आर० १९५२ कलकत्ता ६३२) के मामले में कलकत्ता न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि ब्रिटेन की संसद निवारक निरोध या विधायी प्राधिकार के अन्तर्गत कार्यपालिका के आदेश के विरुद्ध अपने सदस्यों के लिए किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं करती । और यदि इस प्रकार का कोई विशेषाधिकार इस समय ब्रिटेन में नहीं है और न उसका दावा किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि इस समय भारत में ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं है ।

पी० जी० राम चन्द्रन की पुस्तक 'ला आफ पार्लियामेन्टरी प्रिविलेजेज इन इंडिया' के पृष्ठ १७१ पर पंजाब विधान सभा के एक मामले का जिक्र है जिसमे २५ अक्तूबर, १९५७ को अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि इंग्लैंड में विशेषाधिकार केवल दीवानी मामलों में गिरफतारी अथवा निरोध तक सीमित है और यही बात भारत के सम्बन्ध में लागू होती है । इस बात का दावा करना की फौजदारी प्रकृति के निवारण निरोध के मामलों में भी यह विशेषाधिकार लागू होता है, नये संसदीय विशेषाधिकार की मांग करना या वर्तमान विशेषाधिकार का अवैध बिस्तार करना होगा । इस निर्णय के समर्थन में लोक सभा में देश पांडे मामले और कलकत्ता तथा मद्रास हाई कोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया गया था ।

इस प्रकार फौजदारी अपराध में गिरफतार श्री आरिफ मोहम्मद खां को विधान सभा की बैठकों में बुलाने का आदेश देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद १९४ के खंड (३) के अन्तर्गत उपलब्ध विशेषाधिकारों, शक्तियों और उन्मुक्तियों के अन्तर्गत नहीं आता । अतएव, मैंने श्री आरिफ मोहम्मद खां द्वारा सदन में उपस्थित कराये जाने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है ।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां--

श्रीमन्, कल इस सदन में इस सम्बन्ध में बात उठाई गयी थी जिसे समाचार पत्रों में मैंने सुबह पढ़ा । परसों रात साढ़े १० बजे जब पार्टी कार्यालय में हो रही मीटिंग में शरीक हुआ, मीटिंग चल रही थी तो एक साथी ने बतलाया कि १० नवम्बर को सिटी कांग्रेस कार्यालय को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है । ११ बज कर २० मिनट पर कमरे से बाहर निकलने पर पुलिस द्वारा गाड़ी में बिठा कर हमें थाने ले जाया गया और वहां से जेल पहुंचा दिया गया । मुझे यह नहीं बतलाया गया कि मैंने क्या अपराध किया है न कोई वारन्ट दिखाया गया, न मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने भेजा गया । इस सदन की एक परम्परा रही है कि सदन में सदस्य का जो वक्तव्य होता है सदन उस पर विश्वास करता है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में जो भी सरकारी सूचना दी गयी है वह गलत है और मेरी गिरफतारी कतई तौर पर गैर कानूनी थी । अगर मेरे बाहर रहने से वाकई शान्ति व्यवस्था को खतरा होता तो ४८ घंटे के अन्दर इस सदन में बगैर किसी जमानत के लिये मैं कैसे उपस्थित हो जाता ? लिहाजा मेरी गिरफ्तारी गलत थी और इस नीयत से की गयी थी कि मैं इस सदन की कार्यवाही में भाग न ले सकूं । न्यायालय में उन्होंने मामला खुद खत्म कर दिया इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस सदन की एक समिति बना दी जाय जो पूरे गिरफ्तारी के मामले पर गौर कर लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अगर इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारियों पर इंक्वायरी हो सकती है तो यह जो आधी रात को पार्टी कार्यालय से गिरफ्तारी हुई है उस सम्बन्ध में अवश्य इंक्वायरी कराई जानी चाहिये कि यह गिरफ्तारी उचित थी या अनुचित थी। इसके अलावा इस सदन के सदस्यों को अधिकार है कि गिरफ्तारी के बाद जेल में उनको उच्चतम श्रेणी दी जाय। यह कानून है, नियम है। लेकिन जेल में पहुंचने के बाद आज सुबह तक मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूं, मैंने दोनों दिनों में किसी भी दिन खाना नहीं खाया है। वहां खाना नहीं दिया गया। वहां का रजिस्टर इसका गवाह है। वहां पर रात के खाने कोई कोई व्यवस्था नहीं हुई। हम लोगों के प्रोटेस्ट करने पर दोनों डी० आई० जी० वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम तब तक उठकर नहीं जायेंगे जब तक आप खाना नहीं खाते हैं या आपका खाना नहीं आता है। किन्तु रात में वहां खाना नहीं पहुंचा। कल रात का खाना, श्रीमन, आज सुबह साढ़े पांच बजे पहुंचा। वहां रजिस्टर में यह अंकित होगा। इसके अलावा जिस बैरिक में हम लोग रखे गये थे वहां जानबूझ कर पानी का कनेक्शन काट दिया गया था। दोनों दिन मुंह धोने तक के लिये पानी नहीं मिला। अगर सदस्यों के साथ जेल में इमरजेन्सी की ज्यादतियों का जिक्र करने वाले ये लोग, खाना नहीं देंगे तो श्रीमन, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा लज्जा की और क्या बात हो सकती है। आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं।

सुबह में सदन की कार्यवाही में भाग लेने वाला था और मान्यवर, आप भी तीन मकान छोड़कर १० नम्बर माल एवेन्यू में रहते हैं, कौन सा नारा हम सुना रहे थे, कौन सी अशांति हम पैदा कर रहे थे, वहीं पर रमा शंकर जी कौशिक भी रहते हैं। उनके घर में जा सकता था किन्तु पार्टी कार्यालय में मैं बैठा था। इसलिये श्रीमन, आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें। ये तो हमारे अधिकारों को खा जाने वाले हैं। जैसे नरभक्षी शेर होता है और वह लोगों को खाने का आदी होता है उसी प्रकार इन्हें हमारे अधिकारों को खाने की आदत पड़ी हुई है। ये हमारे अधिकारों को खाने वाली सरकार है। इनसे हमारे अधिकारों की आप रक्षा करें। अगर कानून के सहारे आप ११ बजे गिरफ्तार करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन जेल में भरने के बाद जो यातनायें और अत्याचार करते हैं उनके सम्बन्ध में हम चाहते हैं कि आप एक समिति इस सदन की गठित कर दें जो इन सारे मामलों को देखे और रिपोर्ट दें।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

आरिफ साहब ने कहा कि ये आदमखोर हैं और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि मैं इनके घर में घुस जाता, लेकिन घुसा नहीं, तो क्या ये उनसे भी ज्यादा आदमखोर हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा को रिहाई की सूचना न दिए जाने पर कथित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, जब कोई माननीय सदस्य गिरफ्तार होता है तो उसकी सूचना यहां पर दी जाती है और जब कोई माननीय सदस्य जेल से छूटकर आता है तब भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

उसकी सूचना यहां पर दी जाती है । माननीय आरिफ साहब कांग्रेस पार्टी के हैं, हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक उनको नहीं है किन्तु जो नियमावली है, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए । उनके छूटने की कोई सूचना वहां पर आनी चाहिए। वह जिस अन्दाज में कह रहे थे, उस अन्दाज से मैं अपने को सम्बद्ध तो नहीं करता हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जो जुल्म इमरजेन्सी में हम लोगों पर उठाये गये हैं वह विरोधी पार्टी पर हम न उठायें और राजनीतिक व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के बाद उनके साथ वैसा सलूक करें । मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी की सरकार जनतांत्रिक आचरण करे ताकि आरिफ साहब जैसे व्यक्ति, जिनकी पार्टी जनतांत्रिक नहीं है, उनको हमारे प्रति शिकायत न हो । तो मान्यवर, मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम यह जानकारी होनी चाहिये कि इसकी सूचना क्यों नहीं मिली, सूचना न देने में किसकी गलती है । अगर यह विशेषाधिकार भंग का प्रश्न बनता है तो मैं अपने इस व्यवस्था के प्रश्न के जरिये उसकी सूचना देता हूं । तत्काल वायरलेस से सूचना आनी चाहिये । जब लखनऊ में गिरफ्तारी हुई थी तो लखनऊ के जिलाधिकारी को तत्काल सूचना देनी चाहिये थी । सूचना न देकर विशेषाधिकार भंग किया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी मेरे तक सूचना नहीं आई है । सम्भव हो सकता है मेरे कार्यालय आ गई हो । जिस समय सूचना आ जायेगी जिला मजिस्ट्रेट के यहां से, उसी समय मैं सदन को सूचना दे दूंगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, सूचना तो नहीं आई, माननीय सदस्य आ गये हैं ।

एक सदस्य--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की गिरफ्तारी किस धारा में की गई ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कल मैं आपको सूचना दे चुका हूं कि जिला मैजिस्ट्रेट ने सूचना दी कि दफा १०७, ११६, १५१ में गिरफ्तार किये गये ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मैं माननीय सदस्य वाराणसी, श्री शतरुद्र प्रकाश को बधाई देता हूं । उन्होंने एक सही बात को उठाया । श्रीमन, यह विशेषाधिकार की अवहेलना है और इसकी तुरन्त प्रतिक्रिया आपको लेनी चाहिये । सूचना बाद में आये तब की बात नहीं है । माननीय सदस्य छूट कर बैठे हुए हैं । कल भी ऐसे ही हुआ कहां गिरफ्तारी हुई उसमें स्थान का कोई उल्लेख नहीं । इस तरह से कल भी गलती हुई और आज भी गलती हुई है । श्रीमन, आप रूलिंग देख लें स्पीकर की पुरानी रूलिंग हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी सदस्य की गिरफ्तारी बदनियती से होती है तो वह विशेषाधिकार की अवहेलना है । माननीय आरिफ साहब ने घोषित किया है कि उन्हें किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश तक नहीं किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया और आज बिना जमानत के छोड़ दिया छोड़ना ठीक नहीं है । लेकिन कानूनी कार्यवाही नहीं हुई और अवैध रूप से बन्दी रहे इसलिए यह कहा जा सकता है कि बदनियती से बन्दी रहे । इस लिए अलग से समिति चाहे न बनायें लेकिन विशेषाधिकार समिति को यह प्रश्न जाय एक तो शतरुद्ध प्रकाश जी ने प्रश्न उठाया वह और दूसरा आरिफ साहब ने प्रश्न उठाया कि बिना वारंट के गिरफ्तार किया और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया फिर जेल में सुविधायें भी नहीं दी गई । मैं कल रात उनसे मिलने गया था साढ़े १०, ११ बजे गया था उस समय वहां दोनों डी० आई० जी० बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे भी कहा कि चारों तरफ टेलीफून कर रहा हूं । खाना जहां से मिल जाय दिलवाऊंगा । अब मालूम हुआ कि भोजन नहीं प्राप्त हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह लिखकर भेज दें, विशेषाधिकार का मामला बनता होगा तो देख लेंगे, विचार कर लेंगे ।

चिकित्सा मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

इसको समाप्त कीजिये । माननीय नारायण दत्त जी गलत कह गये वह संजय गांधी को देखने गये थे ।

श्री ऊदल--

गिरफ्तारी की सूचना और छूटने की सूचना आपके यहां जरूर आनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

गिरफ्तारी की सूचना कल आ गई थी, सम्भव है आप नहीं रहे होंगे और छूटने की सूचना जो है वह हो सकता है हमारे कार्यालय में आ गई हो । इसके बारे में पता लगा लेंगे ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

हो सकता है का प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य यहां बैठे हैं । स्पष्ट तौर से बतायें कि छूटने की सूचना आ गई है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह पता लगायेंगे तब आपको सूचना देंगे ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मान्यवर, रिहाई की मोहर पौने आठ बजे की लगाई गई है । इस वक्त एक बजने वाला है । तो ५ घंटे लखनऊ स्थित कार्यालय में आने में लग गई वायरलैस से यह सूचना आनी है । श्रीमन, यह एक छोटा सा उदाहरण है कि इस विधान सभा के सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं उनको यह शासन और इसके अधिकारी कितनी अहमियत देते हैं । न सदस्यों को सुपीरियर क्लास की सुविधायें देंगे और न सदस्यों को गिरफ्तारी और रिहाई की सूचना देंगे ।

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

श्रीमन, यह सीधा सवाल है। इससे आपके सम्मान और प्रतिष्ठा को खतरा पैदा होता है। आप उस गौरव के पद के सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसको लिखकर भेज दें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मैं यह बताना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)--

यदि डी० एम० के यहां से रिहाई का आदेश टेलीफोन से दिया गया होता तो यह जेल के फाटक के बाहर न हो पाते और आपकी सूचना मिल गई होती। तो सदन के सदस्यों के गिरफ्तारी या रिहाई की सूचना विलम्ब से दी जाए, तो यह सदस्य का ही नहीं सदन की भी अवमानना है। अतः इस मामले में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। आप इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर ही अपना निर्णय दें।

श्री देवबहादुर सिंह--

रिहाई की सूचना समय से न देना सदन का अपमान है और अब यह चीज सदन के संज्ञान में है। अतः इस पर स्वयं सदन विचार कर सकता है। इसमें अब लिखित देने की आवश्यकता नहीं रह गई। आप इस पर कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

नियमावली में लिखा हुआ है।

श्री रियासत हुसैन--

साफ बताइये सूचना अभी तक आई है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं आई है। माननीय आरिफ ने अपनी गिरफ्तारी के बारे में मेरी आज्ञा से यहां पर अपना बयान दिया और जेल में उनको जो तकलीफ हुई, खाने की व्यवस्था व रहने की व्यवस्था ठीक नहीं हुई, उसकी तरफ मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह पूरे मामले की छानबीन कर देखें कि साधारण नागरिकों और माननीय सदस्य को जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वे भी इनको नहीं मिली हैं, इसका क्या कारण है, उसकी जांच करायें और उससे हमको अवगत करायें। जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की बात कही गई है, वह उसको लिखकर भेजें। इस सम्बन्ध में आप नियम ६३ को देखें किसी सदस्य के, अथवा

सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से--

(१) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा,

(२) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा,

(३) याचिका द्वारा, अथवा

(४) सदन के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकेगा :

परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा ।

श्री देवबहादुर सिंह--

यही है, इसी में यह आएगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

यदि सदन के समक्ष कोई घटना घटी हो तो उसको लिखकर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

श्री रवबहादुर सिंह--

सदन के समक्ष यह हुआ है, इसलिए बिना लिखे आपको लेना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियम ६३ में नहीं आता है, इसमें लिखकर देना चाहिए । मैंने कह दिया है कि वह उठाना चाहें तो लिखकर भेज दें ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

आप नियम ८० व ८१ में भी देख लें । ८० में है कि सूचना शीघ्रता के साथ दी जाएगी, किन्तु ८१ में केवल इतना है कि समुचित प्रपत्र में अध्यक्ष को दी जायगी । तो रिहाई वाले में शीघ्रता की बात नहीं है । यह नहीं बनता है ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आपने श्रीमन, एक रूलिंग दे दी, उसके बारे में यह उठा रहे हैं, यह भी आपके देखने की बात है ।

श्री रमाशंकर कौशिक --

आदेश तो दिया माननीय उपाध्यक्ष जी ने जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है उनको भी देख लीजिये, ऐसे किसी अधिकारी पर लांछन न लगाएं । किसी को गिरफ्तार करने की सूचना देने में और रिहा करने की सूचना देने में शब्दों का मामूली सा फर्क है । उसको देखना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसको देख लेंगे ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

जो प्रदेश दिया कि खाने वाली सुविधा की बात देखी जाय, वह जाँच करवा लेंगे। बल्कि उन्होंने जान से इनकार कर दिया। उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था बाहर से की गयी, जो कानून से ऊपर है, उसके खिलाफ भी जाकर उनको मदद करने की दृष्टि से बाहर से खाने की व्यवस्था की गयी है। फिर भी जो बात है, आपने निर्देश दिया है, उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मैं माननीय कौशिक जी के खिलाफ विशेषाधिकार के अवहेलना की सूचना दे रहा हूं इसलिए कि माननीय कौशिक जी सदन को गुमराह कर रहे हैं कि इन लोगों ने वहां खाने को मना किया।

श्री रमाशंकर कौशिक--

आपने खुद कहा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मैंने यह नहीं कहा।

श्री रमाशंकर कौशिक--

कार्यवाही दिखवा लीजिये। आपने खुद कहा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

यह बहुत अहम मामला है। हम किसी अधिकारी पर लांछन नहीं लगा रहे हैं। मैं अधिकारियों को प्रदेश का सेवक मानूंगा। उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। अधिकारी वही काम करते हैं जो यह शासन कराता है। विशेषाधिकार के प्रश्न पर मंत्रि परिषद् के सदस्य यह कह कर बच जाते हैं अधिकारियों ने सूचना दी है। इसलिए टेक्निकल मजबूरियों की वजह से अधिकारियों की बात को लाना पड़ता है वरना अधिकारी क्या करेंगे? अवहेलना या अवमानना वह इसलिए करते हैं कि रात के बारह बजे घरों में या घरों से बाहर यदि सरकार गिरफ्तारी का आदेश ठीक है तो अगर सदस्यों को जेल में सुविधाएं न भी दी जायं, तो सरकार शायद ऐसा ही चाहती रही होगी। मैं माननीय कौशिक जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की, सदन के अवमानना की सूचना आपको दे रहा हूं जो बाद में लिखकर दे दूंगा।

नियम ३०१ के अन्तर्गत किसी सदस्य अथवा मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाए जाने विषयक सूचनाओं को अनुमति देने के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

दिनांक ३ मई, १९७९ को नियम ३०१ के अन्तर्गत माननीय श्रम मंत्री श्री क्रान्तिकुमार से सम्बन्धित एक मामला माननीय सदस्य श्री सोहनवीर सिंह तोमर द्वारा नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाते समय यह आपत्ति उठायी गयी थी कि चूंकि इसमें आरोप अन्तर्निहित है, इसलिए इसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जो अंश पढ़ा जा चुका है, उसे कार्यवाही से निकाल देना चाहिए। उस समय माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात मैंने श्री सोहनवीर सिंह तोमर को अपनी सूचना, जो पढ़ने को शेष रह गयी थी, पढ़ने की इजाजत देते हुए यह

कहा था कि जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भविष्य में इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी जाय, उस पर मैं अपना निर्णय बाद में दूंगा ।

मैंने उस दिन की कार्यवाही तथा इस सम्बन्ध में पिछले उदाहरणों को भी देखा। दिनांक २८ अप्रैल, १९७८ को माननीय सदस्य श्री शतरुद्र प्रकाश ने दिनांक २३ अप्रैल, १९७८ को निर्धन आश्रम, हरिद्वार के बारे में काम न करने से उक्त आश्रम के महन्त द्वारा ४ महिलाओं के अपहरण सम्बन्धी घटना के सम्बन्ध में उक्त महन्त के कुकृत्यों की चर्चा के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना दी, जिसे ग्राह्य किया गया था और सदन के संज्ञान में भी लाया गया। यह उल्लेखनीय है कि यह एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध था, जो सदन का सदस्य नहीं था और जिसे सदन में अपनी सफाई प्रस्तुत करने का भी अवसर नहीं था। उक्त सूचना के सन्दर्भ में श्री राजकुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने जब कुछ तथ्यों का स्पष्टीकरण करने हेतु नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना को पढ़ना चाहा, जिसके लिए पहले से अनुमति दी गयी थी तो इस आधार पर उस पर आपत्ति की गयी कि किसी बाहर की एजेंसी से सूचना लेकर इस प्रकार की सूचना देना उचित नहीं है और अगर ऐसी प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी तो लगातार यह होगा कि एक माननीय सदस्य सूचना रखेंगे तथा दूसरे दिन फिर दूसरे माननीय सदस्य दूसरी सूचनां देंगे, जिसे तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने आपत्ति को ठीक बताते हुए श्री शर्मा को अपनी सूचना पढ़ने की अनुमति नहीं दी।

दिनांक २८ अगस्त, १९७८ को श्री शतरुद्र प्रकाश, सदस्य, विधान सभा ने कलकत्ता से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका "रविवार" के २० से २६ अगस्त, १९७८ के अंक में प्रकाशित खबर--

"श्री राम नरेश यादव, मन्त्रि-परिषद के एक सदस्य के विरुद्ध एक थाना में दर्ज कुछ आपत्तिजनक वक्तव्यों के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत एक सूचना सदन के संज्ञान में लाने हेतु तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य की गयी थी। उक्त सूचना तत्कालीन माननीय विद्युत मंत्री श्री रवीन्द्र किशोर शाही के विरुद्ध थी और सदन के संज्ञान में लायी गयी। इस सम्बन्ध में आपत्ति किए जाने पर तत्कालीन अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि जो प्रश्न सदन के सामने आयेंगे अगर वे ग्राह्य होंगे तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। इस विषय पर ८ सितम्बर, १९७८ को तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव ने वक्तव्य भी दिया था।"

इस प्रकार ऐसे दृष्टांत हैं जबकि नियम ३०१ के अन्तर्गत ऐसी सूचनाओं को ग्राह्य किया गया है। उक्त दृष्टांतों को देखते हुए श्री सोहन बीर सिंह तोमर को उक्त सूचना को ग्राह्य करने में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी और वह ठीक ही ग्राह्य की गयी थी।

वैसे भी उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली-१९५८ के प्रश्नों के सम्बन्ध में नियम २८ (५) संकल्प के सम्बन्ध में नियम ८९ (४) और प्रस्तावों के सम्बन्ध में नियम १०५ (३) में यह व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति के सरकारी अथवा सार्वजनिक पद के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण का उल्लेख नहीं होगा, जिसका स्पष्ट आशय है कि अगर दोषारोपण किसी व्यक्ति के सरकारी अथवा सार्वजनिक पद के सम्बन्ध में है तो वह सदन में उठाया जा सकता है।

[श्री उपाध्यक्ष]

कौल तथा शकधर की पुस्तक संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार (हिन्दी संस्करण) के पृष्ठ २८९–२९० पर यह दिया हुआ है कि जिस व्यक्ति को युक्ति-युक्ति रूप से यह विश्वास हो जाये कि किसी सदस्य ने ऐसे ढग से काम किया है जो उसके विचार में सभा की गरिमा या उस स्तर से मेल न खाता हो जिसकी आशा संसद सदस्य से की जा सकती है, वह इसके बारे में अध्यक्ष या सदन नेता को सूचना दे सकता है।...यदि सदस्य द्वारा कही गयी बातों के साक्ष्य के आधार पर प्रधान मंत्री यह समझे और अध्यक्ष यह फैसला करें कि उनकी जांच के लिए कोई प्रयत्न कारण है तो यह मामला सभा के सामने लाया जाता है। इस सम्बन्ध में एक संसदीय समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव किया जाता है और उससे कहा जाता है कि वह इस विशेष मामले की जांच करे और एक निर्दिष्ट तिथि तक अपनी रिपोर्ट सभा को दें।

लेकिन यदि प्रारम्भिक जांच से यह पता चले कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने गलत तथ्य दिए हैं और उस सदस्य ने जानबूझकर या अपनी असावधानी के कारण, बदनाम करने की चेष्टा की है, तो उसे सभा के विशेषाधिकार भंग करने का दोषी माना जाता है।"

लोक सभा का नियम ३५३ किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में है। इस नियम का प्रस्ताव करते समय लोक सभा की नियम समिति ने कहा था कि सदस्य द्वारा आरोप लगाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसा प्रतिबन्ध उत्तरदायी सदस्यों को उनके कर्त्तव्यों के निष्पादन में बाधा डालेगा। लोक सभा की नियम समिति ने यह भी कहा कि सदस्यों को पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वह सदन के संज्ञान में किसी भी विषय को ला सकें जिसके सम्बन्ध में युक्तियुक्त जांच के उपरान्त यह पाया जाये कि उसे सदन में लाया जाना चाहिए, चाहे उसमें किसी व्यक्ति के चरित्र या प्रतिष्ठा का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो किन्तु सार्वजनिक नैतिकता और संसदीय शिष्टाचार के हेतु उसे अपने इस मन्तव्य की सूचना अध्यक्ष और सम्बन्धित मंत्री को पहले से दे देनी चाहिए। इससे सम्बन्धित मन्त्री को उस मामले की पहले से जांच करने का अवसर प्राप्त हो जायगा और वह उत्तर के लिए तैयार होकर सदन में आ सकेगा। साथ ही साथ अध्यक्ष को भी अपने समाधान करने का अवसर प्राप्त होगा कि माननीय सदस्य ने युक्ति युक्त जांच कर ली है, और उसके कब्जे में आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य है। लोक सभा की नियम समिति का यह विचार था कि इस प्रस्तावित नियम का वाद-विवाद विनियमन पर स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा और उन सदस्यों और व्यक्तियों को, जिनके विरुद्ध आक्षेप किए गये हैं तथा शासन को आवश्यक सुरक्षा भी मिल जायगी। इस विधान सभा की परम्परा, उपर्युक्त नियमों तथा लोक सभा में उल्लिखित प्रक्रिया को देखने से यह स्पष्ट है कि सदन के माननीय सदस्यों का यह एक मूल्यवान अधिकार है कि वे अन्य माननीय सदस्यों अथवा माननीय मन्त्रियों पर उनके सरकारी या सार्वजनिक हैसियत से किये गये कार्यों के सम्बन्ध में आरोप लगा सकें, यदि उनके पास उसके समर्थन में पर्याप्त प्रमाण हों और उन्होंने उन आरोपों की सत्यता के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लिया हो। साधारणतया उन व्यक्तियों के विरुद्ध सदन में आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है जो सदन में अपना बचाव करने के लिये उपस्थित न हो सकें। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संहत संकलन (१९५२–१९६७) के पृष्ठ २८७ पर निर्णय संख्या १६० के अनुसार उन व्यक्तियों का नाम लेकर आलोचना करना अनुचित है जिन्हें सदन में उत्तर देने का अधिकार नहीं है।

लोक सभा की भांति इस सदन की नियमावली में तथा निर्णयों में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि ऐसे मामलों में जहां सदन के किसी सदस्य या मंत्री के विरुद्ध आरोप लगायें जायें, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस प्रकार के अधिकार का दुरुपयोग न हो, यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध, जैसा कि लोक सभा में है, लगाये जायं ताकि यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगायें तो केवल प्रामाणिकता के साथ अपनी निजी जानकारी या निजी उत्तरदायित्व पर लगायें ताकि यदि वह सही न हों तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सके। केवल चरित्र हनन के लिये इस प्रक्रिया का उपयोग न हो। इस दृष्टि से मैं इस मामले को नियम समिति के विचारार्थ निर्दिष्ट करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में लोक सभा में प्रचलित प्रक्रिया के आधार पर विचार करते हुये यहां की प्रक्रिया नियमावली में कोई व्यवस्था की संस्तुति करे। इस बीच मैं समझता हूं कि मार्गदर्शन हेतु लोक सभा की प्रक्रिया का पालन इस विषय में यहां किया जाना उचित होगा और तदनुसार ही भविष्य में कार्यवाही की जायेगी।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे सूचना मिली है कि कई अधिकारियों को वंडित किया जा रहा है ....।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आपको मेरे संज्ञान में लाना चाहिये तब आप इसे यहां उठा सकते हैं। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

आप सुन लीजिये। जो भी सूचना हम यहां पर सदन में देते हैं उसका सम्बन्ध किसी न किसी विभाग से अवश्य होता है। हमारी दो सूचनायें आपके सामने विचाराधीन हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप हमें लिखकर दें, हमारे संज्ञान में लाये बिना आप इस तरह से कोई चीज यहां नहीं उठा सकते। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

[× × ×]

चिकित्सा मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह कार्यवाही का अंग न माना जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरी बिना इजाजत से यह जो कहा जायेगा कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

नोट --[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्यों मान्यवर ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर आपको कोई औचित्य का प्रश्न उठाना था, तो मेरे संज्ञान में ले आते । क्योंकि आपने बिना इजाजत के और काल्पनिक प्रश्न उठाया है, इसलिए मैंने उसकी इजाजत नहीं दिया है और वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं ।

(व्यवधान)

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मान्यवर, आप यह कहते हैं कि जो बिना इजाजत के बोलते हैं, तो यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही से केवल उतना ही अंश निकालना चाहिए जो केवल असंसदीय हो, क्योंकि यह कहना है कि मंत्री ३०२ का मुलिजम है, हिस्ट्रीशीटर है या ४-४ लाख रुपये का गबन किया है, यह तथ्य हैं न कि आक्षेप । हम लोग कोई नये सदस्य नहीं हैं ६७ में भी आये थे और उस समय हम लोग वर्तमान मुख्य मंत्री के विरुद्ध सभी कुछ कह दिये थे, केवल मैंने ही नहीं बल्कि माननीय चरण सिंह जी ने भी कह दिया था और वह कभी सदन की कार्यवाही से नहीं निकाला गया, नहीं तो आप यह भी कहेंगे कि हम सब बिला इजाजत के सदन में आये हैं, इसलिए सदन की कार्यवाहीके हिस्सेदार नहीं होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले के माननीय अध्यक्ष के इस तरह के निर्देश हैं कि जो माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

आप कहते हैं कि....

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप बैठें । आप कृपया बैठें । (व्यवधान)

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

आप कहते हैं कि बिला इजाजत के जो बोलेगा वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

जैसे माननीय सदस्य कोई मिसाल देते हैं (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

मान्यवर, इससे ज्यादा गम्भीर और क्या मिसाल होगी ? हमें सदन में रखना चाहिए । मिनिस्टर लोग ४-४ लाख का घपला करें....।

श्री उपाध्यक्ष--

हमने जो निर्णय लिया है, उसमें साफ कहा है । मैं बार-बार आपको मना करता हूं कि आपको इजाजत नहीं देता हूं और आप बराबर बोलते चले जाते हैं, तो इसके अलावा कि उस अंश को कार्यवाही का अंग न बनाये जाने का आदेश दूं, हमारे सामने और कौन सी बात बाकी रह जाती है ? ऐसी पहले की परम्परा है । अगर आप चाहें कि इसके बारे में कब-कब इस तरह के निर्देश दिये गये हैं, मैं सदन के सामने उनको रख दूंगा ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मैं श्रीमन्, कार्यवाही के अंश को निकालने के सम्बन्ध में कह रहा हूं । अभी लोक सभा में माननीय अध्यक्ष श्री हेगड़े, श्रद्धेय जय प्रकाश नारायण जी के निधन की जो लोक सभा में सूचना दे दिये थे, तो वहां यह प्रश्न उठा कि यह सारी की सारी जो गलत सूचनाएं, शोक प्रस्ताव, भाषण यह सब निकाल दिये जायं, तो माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने एक बड़ी महत्वपूर्ण रूलिंग दी । उन्होंने कहा कि हमने क्या गलतियां की, भविष्य में उन गलतियों का रिकार्ड रहना चाहिए । तो इसलिए यह परम्परा, पद्धति और दृढ़ता को प्रदान करने के लिए हमारी सफलताओं का, लेखा-जोखा न रखें बल्कि असफलताओं का, हमारी भूलों का लेखा-जोखा वह रखें ।

इसलिए उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण रूलिंग दिया कि वह सारे के सारे प्रस्ताव तथा कथित, निधन के प्रस्ताव जो हुए वह रिकार्ड में दर्ज हैं । तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो लोक सभा में परिपाटी है, ऐसा नहीं कि वहां दूसरी रूलिंग और यहां कोई दूसरी रूलिंग हो, सारे विषय पर पुनर्विचार करके सही रूलिंग दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मामला ही दूसरा है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा की रिहाई की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ की तरफ से यह सूचना आई है जो मुझे आपको देनी है....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

यह सूचना आई है या मंगाई गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष--

श्री रियासत हुसैन जी, इस तरह के आक्षेप करके आप सदन का अवमान करते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

१.१५ पर यह प्राप्त हुई है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७, ११६, १५१ के अन्तर्गत श्री आरिफ मोहम्मद खां (कांग्रेस आई) सदस्य, विधान सभा को दिनांक ७ मई, १९७९ को बन्दी कर लिया गया था, विधान सभा के उक्त सदस्य को आज दिनांक ८-५-७९ को उक्त धारा से मुक्त कर दिया गया है और वे जल से रिहा कर दिये गये हैं ।

एक सदस्य—

कै बजे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह समय उसमें नहीं दिया है ।

एक सदस्य—

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न आल इण्डिया रेडियो के सम्बन्ध में दिया....

श्री उपाध्यक्ष—

आज हमने विचार नहीं किया है । वह तो पहले उनसे पूछा जायगा । वह पूछा गया है ।

प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल तथा इन्टर की १९७९ की परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के आउट होने तथा नकल की व्यापक प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने मेरठ के 'सरस्वती गाइड बुक' के शीर्षक से जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा प्रश्न-पत्र उत्तर सहित न्यू पब्लिकेशन, २४२ वेस्टर्न कचेहरी रोड, मेरठ के नाम से जूनियर हाई स्कूल परीक्षा प्रश्न-पत्रों से सम्बन्धित प्रकाशित होने की बात कही है । इन प्रकाशनों का परीक्षण जूनियर हाई स्कूल प्रश्न-पत्रों से किया गया । इस परीक्षण में उक्त प्रकाशन के प्रश्न-पत्रों की समानता विभिन्न प्रश्न-पत्रों में भिन्न-भिन्न है (संलग्न+) । अभी तक इस प्रकाशन द्वारा मुद्रित ऐसा कोई प्रश्न पत्र नहीं है जिसमें कि शत प्रतिशत समानता हो, वैसे चाहे सार्वजनिक परीक्षा हों, चाहे अन्य प्रकार की, कुछ शिक्षकगण परीक्षा में आने वाले प्रश्नो के सम्बन्ध में कुछ न कुछ अनुमान अपने विद्यार्थियों की सहायता देने हेतु लगाते ही हैं, कभी-कभी यह अनुमान काफी प्रतिशत तक ठीक भी होता है । यह एक सर्व विदित तथ्य है ।

२—जहां तक परीक्षा में नकल होने का प्रश्न है, सार्वजनिक परीक्षाओं के साधारण नियमों के अनुसार इन मामलों पर कार्यवाही की जाती है और इसी प्रकार इस परीक्षा में हुई नकल के मामलों में भी कार्यवाही की जायेगी ।

३—इसी प्रकार की सूचना माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल व इन्टर की परीक्षा प्रश्न-पत्रों की है । जैसा सदन को विदित है इस सम्बन्ध में जांच सी० आई० डी० को दे दी गयी है । यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि जो तथ्य सामने आये हैं, उनको देखते हुए यह मामला भी सी० आई० डी० की जांच के लिए सुपुर्द कर दिया जाय ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७२७ पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आज दिनांक ८ मई को....

*श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, इस पर प्रश्न करने दीजिये, अकेले वक्तव्य से क्या लाभ होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें स्पष्टीकरण नहीं होता ।

*श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मान्यवर, अगर प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तो इस पर डिस्कशन के लिये एक दिन रखें । सारी गलत सूचना दे दी गयी है अगर स्पष्टीकरण नहीं होगा तो सारी चीजें साफ नहीं होंगी । आप स्पष्टीकरण की इजाजत दें नहीं तो इसका क्या औचित्य है कि आप प्रश्न ही नहीं पूछने देंगे ? आपने इसको नियम ५१ में स्वीकार किया था लेकिन प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दी । मंत्री जी में तथ्यहीन, झूठा बयान जो सरकारी कर्मचारियों ने लिखकर दिया है, पढ़ दिया । अगर हम स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तो वह बयान सारे प्रदेश में चला जायगा । हम कोई प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी तो हैं नहीं कि मंत्री जी पढ़ दिया करेंगे और हम सुन लिया करेंगे । इसमें आप सदन की राय लीजिये और हम चर्चा करें । या तो प्रश्न पूछने की आज्ञा दीजिये । मैं सदन द्वारा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर एक दिन की बहस निश्चित की जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

सोहनवीर जी आप इसके बारे में लिखकर मांग करिये । आप लिखकर सूचना हमारे पास भेज दें तो हम इसके ऊपर विचार करें ।

(शोर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

यह वक्तव्य अधूरा है । मान्यवर, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बारे में इसमें नहीं है । आपने इसके बारे में निर्देश दिया था । हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में जो पेपर आउट हुये हैं उस सम्बन्ध में इसमें दिया ही नहीं है । यह वक्तव्य अधूरा है इसलिये मैं कहता हूं कि दूसरा वक्तव्य दिलवाया जाय ।

*चिकित्सा मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि तोमर जी जरा सा देख लें, वह बहुत विद्वान सदस्य हैं । नियम ५१ के अंतर्गत यह नहीं है, सिर्फ एक प्रश्न उठा और उस पर आपने वक्तव्य देने की बात की थी । जहां तक देवबहादुर जी ने कहा है तो शिक्षा मंत्री जी पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सम्बन्ध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रमाशंकर कौशिक--]

में था । चूंकि जूनियर हाई स्कूल का सवाल जोड़ा गया था इसलिये आपने वक्तव्य देने के लिये कहा था । अगर नियम ५१ में यह होता तो निश्चित रूप से तोमर जी को अधिकार था । (शोर) ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था, यह मंत्री जी सही कहते हैं ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन और आपकी सहायता की और कहा कि यह नियम ५१ में नहीं है। अगर नियम में यह नहीं है तो यह असाधारण वक्तव्य है जिसका नियमावली में कोई स्थान नहीं है । यह नियम ५१ में नहीं है तो मैं समझता हूं कि सदन को इस बात का अधिकार है कि विषय की असाधारणता को देखते हुये इसमें प्रश्न पूछे जायं और चर्चा हो । आप देखेंगे कि इसमें तो और मसले को उलझा दिया गया है । स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया देखें और शिक्षा मंत्री जी कृपया देखें । मान्यवर, इसमें इन्होंने क्लीन चिट दे दिया है कि गैस पेपर छापने वाले अच्छा काम कर रहे हैं कि कभी-कभी यह अनुमान काफी प्रतिशत तक ठीक होता है । एक प्रकार से उनको सर्टिफिकेट दे दिया है और इस प्रकार सी० आई० डी० वालों का काम इन्होंने हल्का कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें । मैंने पहले ही कहा है कि श्री तोमर ने यह आपत्ति उठायी थी कि नियम में माननीय मंत्रियों द्वारा जो विविध वक्तव्य दिये जाते हैं उनके अन्तर्गत यह आता है । यदि आप अलग से लिखकर दे देंगे तो एक घंटे की चर्चा हम स्वीकार कर लेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर और व्यवस्था की बात कहने पर)

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---

मान्यवर, स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र आउट हुये हैं और नकल हुई है । मंत्री महोदय ने वक्तव्य में दे दिया है कि कितने प्रतिशत गैस पेपरों से मिल गया है । तोमर जी के पास कुछ तथ्य हैं और वह उनको प्रकाश में लाना चाहते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये कि उनका स्पष्टीकरण दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

हमने बता तो दिया कि लिखकर दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा कहना है कि जो काम हो वह नियमों के अन्तर्गत होना चाहिये । नियम ५१ में, जो सूचनायें आपके पास आती हैं, अधिकांश सूचनायें आप स्वीकार कर लेते हैं । लेकिन सदन के नियमों की सुरक्षा होनी चाहिये और नियमों के अनुसार ही सूचनायें स्वीकार होनी चाहिये । दूसरा प्रश्न आता है कि वक्तव्य दिला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिया जाय और स्पष्टीकरण का माननीय सदस्यों को अधिकार नहीं होगा लेकिन जिस प्रश्न पर वक्तव्य आया है तो वक्तव्य संदर्भित विषय पर आया है कि नहीं यह देखना होगा। जो वक्तव्य शिक्षा मंत्री ने दिया है वह संदर्भित विषय में है ही नहीं। मंत्री जी ने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि जूनियर हाई स्कूल के प्रश्न पत्र आउट हुये। तो मैं कहना चाहता हूं कि अधिकतर प्रश्न ऐसे थे जिसमें वाक्यांश मिलते थे। इसलिये यह वक्तव्य भ्रामक है। जूनियर हाई स्कूल के बारे में जांच को इन्होंने प्रभावित कर दिया है कि आरोप नहीं पाया गया। दूसरी बात यदि नकल हुई है तो उसकी जानकारी नियमानुकूल होगी। तीसरी बात केस आपने सी० आई० डी० को रेफर किया है यह नहीं बताया कि नियम ५१ में जो सूचना थी उसमें जो तथ्य दिये गये थे उनको देखा था ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जो कमी बतायी है उसको लिखकर भेज दें तो चर्चा में वह आ जाएगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह वक्तव्य समुचित नहीं है। इसलिये इसको वापस लेना चाहिये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)---

मान्यवर, सदन का समय जिस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है, क्या यह उचित है ? मान्यवर, इस तरह से समय नष्ट किया जायेगा, तो कैसे काम चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप लोग शोर न करें। आप कृपया बैठ जायें।

श्री बाबू राम वर्मा--

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी इस तरह से अनधिकृत रूप से बोल रहे हैं, कृपया उनको बिठाइये।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जांय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय तोमर जी ने जो आपत्ति उठाई थी, उस पर कह देता हूं कि अगर नियम ५१ के अन्तर्गत कोई विशेष महत्व की सूचना है, तो परम्परा रही है कि उसे केवल वक्तव्य के लिये ले लेते हैं और जिन माननीय मन्त्रियों द्वारा जो वक्तव्य दिया जाना होता है, वे उनमें वक्तव्य दे देते हैं। आपने तो दूसरी बात उठाई जो यहां पर चीजें मांगी गयी थी, जिसका वक्तव्य में आना जरूरी था, जिसको माननीय मन्त्री जी ने वक्तव्य में नहीं लिखा। तो जब तोमर जी

[श्री उपाध्यक्ष]

भेजेंगे और एक घंटे की जब चर्चा होगी तो माननीय मन्त्री जी जो चीज रह गयी है, उसको भी बता देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष---

अब नहीं---यह नहीं लिखा जायेगा ।

साथी प्रेस, हीवेट रोड, लखनऊ पर कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस की सहायता से जबरदस्ती कब्जा करने के प्रयत्न के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

आज दिनांक ८ मई को नियम ५६ के अन्तर्गत एक सूचना माननीय नेता विरोधी दल श्री नारायण दत्त तिवारी की प्राप्त हुयी है, जिसमें कहा गया है कि २८ अप्रैल, १९७९ को कुछ व्यक्तियों ने पुलिस की मदद से साथी प्रेस, हीवेट रोड, लखनऊ को अनधिकृत रूप से कब्जा करने की कोशिश की और महत्वपूर्ण कागजात और सामान को नष्ट करने के सम्बन्ध में है, सूचना दी है । अब, इसमें आय-व्ययक के समय वाद-विवाद हो सकता है । इसलिये इसको कार्य-स्थगन के रूप में नहीं मानता और अस्वीकार करता हूं ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, यह बजट का विषय नहीं है और बजट में नहीं आता । मान्यवर, अभी विश्व-विख्यात साहित्यकार माननीय हजारी प्रसाद द्विवेदी का उल्लेख हुआ । मैं माननीय उप मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उस स्वर में उनके प्रति अपनी भावनायें व्यक्त की । लेकिन, मान्यवर, एक तरफ हमको इतनी पीड़ा है और दूसरी तरफ स्वर्गीय यशपाल जी के प्रति मेरी क्या भावनायें हैं ? मान्यवर, स्व० यशपाल जी का वह साथी प्रेस उनकी क्रान्तिकारिता का प्रतीक था । मैं आपकी सेवा में दो चित्र रखना चाहता हूं कि किस तरह से यशपाल जी की थाती को.....।

चिकित्सा मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)---

मान्यवर, जब उनको मौका दे रहे हैं, तो हमको भी दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब वह बोल रहे हैं तो कृपया आप न बोलें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, किस प्रकार यशपाल जी की थाती को, उनका जो रस और दूसरे देशों में सम्मान हुआ था, उसको किस प्रकार तोड़फोड़ डाला गया ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसको शासन को भेज दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, इसमें वक्तव्य दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है । यह तो अदालत का फैसला हुआ है । ये गलतबयानी कर रहे हैं । कोर्ट के फैसले के हिसाब से कार्यवाही हुई है और वह प्रेस वहीं पर है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, उप मुख्य मन्त्री जी तो कितनी शालीनता से बैठे हुये हैं और हमारे माननीय मन्त्री जी सुनना भी नहीं चाहते । उपाध्यक्ष महोदय, इनको थोड़ा पार्लियामेन्ट्री पद्धति के बारे में सिखाना चाहिये कि जब नेता विरोधी दल बोल रहे हों तो उस समय न बोला करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह मैंने कह दिया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, यह मामूली बात नहीं है । जितने देश और प्रदेश के साहित्यकार हैं, अखिल भारतीय साहित्यकार संघ, पत्रकार संघ--सभी इस घटना से दुखी हुये हैं । इसमें केवल बात का बनाना उचित नहीं । श्रीमन्, इसमें पूरा वक्तव्य आना चाहिये । दूसरे सदन में इस पर दो घंटे की चर्चा की जा रही है और वक्तव्य दिया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, इसकी जांच करवाने के बाद एक वक्तव्य इसके बारे में दे देंगे । अगर गलतबयानी है तो वैसा ही बता दिया जाएगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

अगर मान लिया जाए कि माननीय नेता विरोधी दल गलतबयानी कर रहे हैं, तब भी आप शिष्टाचार के नाते ही उस तौर तरीके से उसको कहिये । मान्यवर, आपने आदेश दे दिया वक्तव्य देने का । अगर गलतबयानी है तो वक्तव्य में भी यह बात आ सकती है । लेकिन इसमें वक्तव्य होना चाहिए, दूसरे हाउस में दो घंटे की चर्चा हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि दूसरे सदन में क्या हो रहा है। आप बैठें। माननीय मन्त्री जी इसके ऊपर. . .

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, यह बात जो है, इसकी पूरी जानकारी जब इसी समय मेरे पास है तो माननीय सदस्यगण जानकारी लेने से क्यों कतरा रहे हैं। मान्यवर, जिस भवन की बात कही गई है, यह राम नारायण ट्रस्ट का भवन है। इसकी एक मंजिल धरती के नीचे है, एक धरती पर है और एक उसके ऊपर है। जिस प्रेस की बात कही गई है, यशपाल जी के जमाने में यशपाल जी उसमें रहते थे और उनका प्रेस भी चलता था। अपनी ही जिंदगी में उन्होंने महानगर में एक मकान बनवा लिया और वे उसमें चले गये। उनके समय से ही एक व्यक्ति अनधिकृत रूप से इस भवन के एक खंड में रहता था और इसके लिये न्यायालय में एक दरख्वास्त दी गई कि यह व्यक्ति जिस खंड में रह रहा है, जिसमें प्रेस नहीं है, वह अनधिकृत रूप से रह रहा है उसका आवंटन न्यायालय ने कर दिया और उसी आवंटन आदेश के तहत ही वह खंड जिनको आवंटित किया गया था, उनको उसका कब्जा दिलाया गया। इस में यशपाल जी के प्रेस का कोई सवाल नहीं है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, इसमें किसी को एतराज नहीं है कि अगर अदालत की तरफ से कोई निर्णय बेदखली का है तो आप बेदखल करवा दीजिये। एतराज यह है कि किस तरीके से उनकी बहुमूल्य चीजों को उठा-उठा कर सड़कों पर फेंक दिया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कब्जा दिलवाने की भी तरकीब होती है। मिसेस यशपाल को आप कहते कि आप इन किताबों को उठाकर ले जाइये, या जो आदमी वहां पर होते, उनको आप कहते, वे सामान हटवा लेते और व्यवस्था हो जाती। लेकिन बहुमूल्य सामान के साथ उनकी किताबों को उठाकर, फाड़कर सड़कों पर फेंक दिया गया और कुछ किताबें तो उठाकर ले गये। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई पार्टी और दलगत भावना का सवाल नहीं है। आप केवल इतनी जांच करा दें कि कब्जा दिलाने में कोई ज्यादतियां तो नहीं हुई हैं?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोर्ट से जिस आदेश का पालन कराया गया, माननीय मन्त्री जी अगर उसमें देख लें तो कोर्ट का आदेश होगा कि पजेशन दिलाया जाए। कोर्ट के आदेश में कहीं डिस्ट्रक्शन की बात नहीं होगी कि किसी चीज को बरबाद किया जाए। यदि माननीय यशपाल जैसे आदमी की किसी भी चीज या उनके अलावा भी अगर किसी की भी चीज का डिस्ट्रक्शन किया गया है, बरबादी की गई है, तो उस बरबादी के बारे में जांच कराई जाए और बरबादी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री नारायण दत्त तिवारी —

मेरे पास श्रीमती यशपाल का पत्र है। उन्हें मौके पर कोई सूचना नहीं दी गई कोर्ट आर्डर श्रीमती यशपाल के खिलाफ नहीं था। श्रीमती यशपाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने लिखा है कि "जो पुलिस अफसर आर्डर लेकर आए थे, मैंने उनसे कहा कि आर्डर दिखायें तो उन्होंने आर्डर पढ़कर सुनाया कि आर्डर हमारे केयर टेकर श्री एम० डी० शुक्ला के नाम है। मैंने फिर कहा कि आर्डर शुक्ला के नाम है लेकिन दफ्तर आप मेरे उजाड़ रहे हैं। तो उत्तर मिला कि हम आपको नहीं पहचानते। मैंने जोर देकर कहा कि इन कार्यालयों तथा इस बंगले का मालिक मैं हूं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने फिर कहा कि यह मेरा कार्यालय है, मैं नहीं हटूंगी। तो उत्तर मिला कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे।" तो श्रीमन्, आर्डर दूसरे के लिये था और यशपाल जी की पुस्तकों और उनका सामान, लाइब्रेरी वगैरह सब फेंक दी गई, जिसके फोटोग्राफ्स यह हैं।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मैंने पहले ही निवेदन किया कि यशपाल जी के किसी भी सामान को हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यशपाल जी का प्रेस जिस मंजिल पर है, वह अपनी जगह बिलकुल सुरक्षित है और उसमें कोई भी पुलिस का अधिकारी नहीं गया। एक नारायण नाम का व्यक्ति उस भवन के किसी खंड में अनधिकृत रूप से रह रहा था, उनको निकाले जाने का प्रश्न था। उनके खिलाफ फैसला हुआ था और उसका आवंटन कर दिया गया था। नारायण शुक्ला, जो वहां रहते हैं, उनकी मौजूदगी में ही वह सब सामान हटाया गया। यशपाल जी के किसी सामान को कहीं हटाने का तो सवाल ही नहीं उठता है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। नेता विरोधी दल अभी यशपाल जी की पत्नी का पत्र पढ़कर सुना रहे हैं कि हमारा सामान बरबाद किया गया। अगर दूसरे की बात होती तो यशपाल जी की पत्नी क्यों पत्र भेजती दूसरे के बारे में ? इसलिये मैं चाहूंगा कि वक्तव्य दिला दें। नहीं तो सदन की एक कमेटी बना दें इसकी जांच के लिए।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी ने अभी कुछ बातों का उत्तर यहां दिया है लेकिन उसके अलावा कुछ बातें और कही गई हैं, सामान उठाये जाने, किताबों के फेंके जाने के बारे में। माननीय नेता विरोधी दल ने एक पत्र का हवाला दिया है तो यह आप कृपया मंत्री जी के पास भेज दें और इसकी जांच कराने के बाद वे एक वक्तव्य दे देंगे।

१९७९-८० के आय व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)*

श्री उपाध्यक्ष--

वित्तीय वर्ष १९७९-८० के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी। माननीय नेता विरोधी दल, आज यह चर्चा आप प्रारम्भ करेंगे, ४ बजे एक माननीय सहकारिता मंत्री का एक वक्तव्य है, उसके लिए मैं ४ बजे का समय निश्चित करता हूं। वैसे यह साढ़े चार बजे होता है लेकिन आज मैं ४ बजे का समय इसके लिये निश्चित करता हूं और इसके बाद फिर यह वाद-विवाद चलेगा।

*दिनांक ७ मई, १९७९ की कार्यवाही से।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

मान्यवर, आपने यह कहा था कि आपका भाषण कल भी जारी रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें । मैंने यह नहीं कहा था ।

श्री लक्खी सिंह--

मैं तो बैठ जाऊंगा लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि जारी रहेगा भाषण मेरा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें । आप अपनी बुजुर्गी का फायदा उठाना चाहते हैं ।

श्री लक्खी सिंह--

श्रीमन्, नेता बिरोधी दल को बैठा दीजिए । मेरा भाषण जारी है । आपने कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका भाषण अब समाप्त हो गया । आप बैठिये कृपया ।

श्री लक्खी सिंह--

इस में लिखा है....

श्री उपाध्यक्ष--

इस में जो लिखा है मैं आप को साफ कर दूं । इसमें लिखा है कि श्री लक्खी सिंह के भाषण के उपरान्त आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा अगले दिन के लिए स्थगित की गई । आप का भाषण समाप्त हो गया था । आप कृपया बैठें ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, प्रस्तुत बजट इस सरकार की प्लानिंग नीति की और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की नीति की असफलता का सब से बड़ा उदाहरण है श्रीमन्, आज इस बजट पर चर्चा हो रही है लेकिन न तो माननीय मुख्य मन्त्री यहां हैं और न माननीय वित्त मन्त्री यहां हैं ।....(व्यवधान) यही तो मैं कह रहा हूं कि बजट पेश यहां पर हो रहा है और बजट के आंकड़े, तमाम योजनायें और नीतियां बनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ उसी के बारे में बात करने के लिए दिल्ली में मीटिंग हो रही है...।

चिकित्सा मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल कल भाषण करें । हम भी चाहते हैं कि सब लोग उनके भाषण को सुनें । माननीय मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी यहां पर रहें । अनुरोध कर रहा हूं कि वह अपना भाषण कल कर लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

जैसा उचित समझें । मेरे ख्याल में इनका अनुरोध....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, यह अनुरोध का प्रश्न नहीं है । मेरा तो निवेदन है....

श्री लक्खी सिंह--

मेरे व्यवस्था के उत्तर का उत्तर नहीं दिया । नेता विरोधी दल का भाषण कल होना चाहिए था । आप कल मैदान छोड़ कर भाग क्यों गये ? मेरा भाषण होना चाहिए चाहे मुझे दो ही मिनट का समय दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं केवल यह कह रहा था कि एक तरफ तो यहां बजट पेश हो रहा है और प्लान की, एनुअल प्लान की बात हो रही है, दूसरी तरफ इसी के बारे में दिल्ली में मीटिंग इन्हीं दिनों में हो रही है । इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है कि प्लान न हुआ हो, योजना तय न हुई हो, नीति कि किस विषय को प्राथमिकता दी जायगी, किस विषय को प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार प्राथमिकता देगा, यह तय न हुआ हो और यहां बजट प्रस्तुत कर दिया जाय, इस विरोधाभास को स्पष्ट करना चाहता हूं । अगर नीति तय हो गयी होती, प्लान के बारे में प्राथमिकतायें क्या हैं, यह तय हो गया होता तो जो मीटिंग आज तीन दिन से दिल्ली में हो रही है सारे अधिकारी वहां हैं, मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री वहीं हैं, वह न हुई होती । यह जो घटना स्वयं आज हो रही है यह इस बजट की असफलता का मुख्य उदाहरण है ।

श्रीमन्, इस में किया क्या गया है ? इसमें वास्तविकता को छिपाया गया है । इसमें उत्तर प्रदेश की योजना ८१० करोड़ रुपये की प्रस्तावित की गई है लेकिन यह ८१० करोड़ रुपया आया कहां से । मैंने केन्द्रीय बजट पढ़ने की कोशिश की, प्लानिंग कमीशन के डाक्यूमेन्ट को पढ़ने की कोशिश की लेकिन उसमें ८१० करोड़ रुपये की रकम नहीं मिली । प्लानिंग कमीशन की यू० पी० के लिए ७९० करोड़ की मंजूरशुदा योजना है । उस समय राम नरेश यादव योजना मंत्री थे और प्लान आउटले में यू० पी० के लिए ६९० रुपया दिया हुआ है । इस प्लान आउटले के आधार पर ही हर राज्य की योजना बनी और उत्तर प्रदेश की भी बनी ।

चौधरी चरण सिंह ने जब केन्द्रीय बजट पेश किया उसमें सेंट्रल एसिसेन्ट्स यू० पी० को दी जायगी वह भी ६९० करोड़ रुपये पर आधारित है । पता नहीं किस चमत्कार से यह ८९० करोड़ रुपये की रकम आ गई । बजट भाषण में पृष्ठ ६ को माननीय सदस्य देखें तो पता लगेगा कि उसमें रकम नहीं दी गई है कि सिंचाई, बिजली, शिक्षा आदि में कितने करोड़ रुपये खर्च होंगे बल्कि परसेंटेज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]---

दिया गया है । इस तरह से रुपये की तुलना नहीं की जा सकती, जब कि बजट भाषण में तुलना होनी चाहिए थी । पिछले साल ७८६ करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई थी, जिसमें कि पर्वतीय प्रदेशों की भी धनराशि ३१ करोड़ सम्मिलित थी । यह मालूम होना चाहिए था कि पिछले साल जो धनराशि मंजूर की गई थी उसमें कितनी खर्च हुई, किस मद में खर्च हुई, बचत हुई या ज्यादा खर्च हुई । पिछले साल का कोई लेखा-जोखा इस बजट भाषण में नहीं है । एक आंकड़ा जरूर मिलता है कि ८२ करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाये । पृष्ठ ५ के दूसरे पैरा में लिखा है कि १९७८-७९ के आयोजनागत व्यय में से लगभग ८२ करोड़ रुपये आयोजनेतर पक्ष में चला जायगा । इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले साल ८२ करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ और वह ८२ करोड़ रुपये इस साल बजट में जुड़ जायगा । अगर इस ८२ करोड़ को घटा लें तो इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले साल इस प्रदेश की योजनाओं में ७०४ करोड़ रुपया खर्च हुआ । यह ७०४ करोड़ रुपया पी० एल० ओ० में जमा हो गया या कारपोरेशनों के मुख्य लोन में दे दिया गया । हमारे पास इसका विवरण होना चाहिए कितना ऐसा रुपया है जो मार्च या फरवरी में पी० एल० ओ० में जमा कर दिया गया ? कारपोरेशन्स को दे दिया गया, लेकिन खर्चा नहीं हुआ । राज्यों की तिजोरी से तो निकल गया और दूसरी तिजोरी में जमा कर दिया गया । इस बजट भाषण से कोई जानकारी हमें नहीं होती । मैं समझता हूं कि बजट बहुत जल्दी में बनाया गया है । इसके प्रत्येक पेज अलग-अलग हो रहे हैं । छापेखाने की गलतियां इसमें तमाम हैं, प्रूफ रीडिंग इसका नहीं हुआ है । मैं मानता हूं कि वित्त सचिव त्रिभुवन प्रसाद जी ने बड़ी मेहनत से इसे बनाया है लेकिन कैबिनेट के फैसलों में देरी हुई है, जिसकी वजह से पिछली बार भी और इस बार भी आंकड़ों में गलतियां रह गई हैं, त्रुटियां हैं । इस तरह की त्रुटियां इसमें हैं कि अगर इन आंकड़ों के आधार पर हम कोई निर्णय लें तो बिलकुल दूसरे ही निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे । इस बजट में जो स्मृति-पत्र दिया हुआ है उससे हम अलग-अलग नीतियों का अन्दाज लगा सकते हैं । लेकिन अब समय आ गया है कि यह सूक्ष्म हो । माननीय सदस्यों को इतना समय नहीं होता कि वह इतने बड़े पोथे को विस्तार में देख सके । इस सम्बन्ध में हम भी सुधार के प्रयास में थे कि जो कारपोरेशन हैं उनके बजट भी साथ-साथ सदन में पेश होने चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी धनराशि इन कारपोरेशन्स को दी जाती है । जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है पौने तीन सौ करोड़ रुपये उनको दिया जाता है वे बतायें कि कितना रुपया ओवरहेड में खर्च हुआ, कितना नानपारा में खर्च हुआ और कितना हरदुआगंज में हुआ तथा कितना ग्रामीण विद्युतीकरण में खर्च हुआ । इसका सारा विवरण हमें सदन में मालूम होना चाहिए ।

अब समय आ गया है कि इन जो ३७ निगमों को हम सैकड़ों करोड़ रुपया दे रहे हैं उनकी वित्तीय प्रणाली में हम सुधार करें । विद्युत् बोर्ड से लेकर बड़े कारपोरेशन जितने हैं जो कि ५ करोड़ रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं उनका बजट भी सदस्यों की सहूलियत के लिए यहां पेश होना चाहिए ताकि सदन को उनके बारे में चर्चा करने का अवसर मिल सके । अभी तक परम्परा यह रही है कि विभाग की रिपोर्ट्स पेश होती हैं । किन्तु इन विभागीय रिपोर्ट्स से काम होने वाला नहीं है । उनकी बैलेन्स शीट यहां पेश होनी चाहिए ताकि सदन का कंट्रोल उनके एक्सपेंडिचर पर हो । ताकि सदन जो एक लम्प-सम ग्रान्ट देता है उसका ब्योरा भी सामने आ जाय । इसके साथ ही हम यह भी देख सकते हैं कि योजना के अनुसार इन निगमों ने अपने बजट को बनाया है या नहीं ।

योजना के बारे में दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि ६ठी पंचवर्षीय योजना का यह दूसरा साल है। पांच साल की योजना होती है और दूसरा साल यह चल रहा है। ६ठी योजना क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसमें क्या-क्या बातें हैं इसे सदन के विश्वास में नहीं लाया गया है। अगर इस सदन के सामने प्लान के प्रारूप आते तो हम उसके बारे में सुझाव दे सकते थे। योजना कोई पार्टी का प्रश्न नहीं होता बल्कि योजना की नीतियों में क्या प्राथमिकतायें हैं, यह प्रश्न होता है। २ साल हो गए हैं, ३ साल इस योजना के बाकी हैं लेकिन अभी योजना नहीं बनी है। इससे ज्यादा असफलता और क्या हो सकती है। न प्रदेश की योजना बनी है न केन्द्र की योजना बनी है, प्राथमिकता तय नहीं हुई है, यह सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है।

(इस समय २ बजकर ७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुए।)

जैसा मैंने कहा पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष जो आंकड़े हैं वह स्पष्ट करते हैं कि हमारी धनराशि योजना की घटती जा रही है। पहली पंचवर्षीय योजना उत्तर प्रदेश की १५३ करोड़ रुपया की थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना २३३ करोड़ रुपये की थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना ५६० करोड़ की थी फिर बीच में तीन ऐसे वर्ष बीते जब कि कोई योजना नहीं बनी बल्कि वार्षिक योजनाएं चलाई गयीं और उनमें कुल मिलकर ४३१ करोड़ रुपये खर्च हुए, चौथी योजना ११६२ करोड़ रुपये की बनी और अब श्रीमन्, पांचवीं योजना है जिसमें लगभग ढाई हजार या सवा दो हजार करोड़ के बीच में खर्च होने जा रहा है, जिसके अंतिम आंकड़े अभी नहीं आये हैं।

श्रीमन्, यह ६३० करोड़ रुपया जो प्लानिंग कमीशन से स्वीकार किए यह पिछले दो तीन वर्षों की तुलना में मिले। १९७६-७७ में जो वास्तविक खर्च हुआ जिसको चलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ उस समय ५८४ करोड़ रुपया योजना का हमने एक्चुअल में खर्च किया और हमेशा प्लान आउटले से प्लान एक्सपेंडीचर ज्यादा हुआ। पिछले चार-पांच सालों में योजना में जितना धन प्रस्तावित था उससे अधिक खर्च किया जो कि सिंचाई की मदों में, खेती की मदों में और बिजली की मदों में हुआ। श्रीमन्, १९७७-७८ की ६७५ करोड़ रु० की योजना मैंने स्वीकार की थी जिसे हम केवल एक महीना लागू कर पाये। इसमें ६८१ करोड़ रुपये १९७७-७८ में खर्च हुआ यह जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से कुल ६८१ करोड़ रु० १९७७-७८ में हुआ। पिछले वर्ष का प्लान आउट ले जो मंजूर हुआ वह ७८६ करोड़ रु० का था इसमें श्रीमन्, खर्च हुआ वह कुल ७०४ करोड़ है। आप देखें कि प्लान एक्सपेंडीचर जो है वह कम हो गया है। तो कुल वृद्धि जो हुई वह २३ करोड़ रु० की हुई उसके पहले प्लान एक्सपेंडीचर जो एक्सलरेट हुआ वह ३० परसेंट है और अब जो वृद्धि प्लान एक्सपेंडीचर में है वह केवल ३ परसेंट है। इस साल जो योजना मंजूर हो रही है यह ७७ के मुकाबले में हो रही है अर्थात् पिछले वर्ष से भी कम हो रही है।

यह आश्चर्य की बात है कि कहां छठी योजना में हमारा प्लान १२ सौ करोड़ का होना चाहिए था और वह ६९० के बराबर मंजूर किया गया है तो इससे बड़ा अन्याय उत्तर प्रदेश के लिए और क्या हो सकता है। मैंने ८१० करोड़ के बारे में सूचना मांगी है कि यह कहां से आ गया। मुझे यह लगता है कि इन्होंने दो बातें की एक तो यह कि जो धनराशि इनको सेन्ट्रली स्पेन्सर्ड स्कीम के मातहत मिली जिसके बारे में यह कहते हैं कि बड़ा कमाल कर दिखाया औ

[श्री नारायण दत्त तिवारी--]

गाडगिल फारमूले से ज्यादा रुपया ले आये हैं वह जोड़ दिया, मैं सोच रहा था कि कौन सा काम इन्होंने कर दिया, जो ६९० से बढ़ा कर ८१० में पहुंचा दिया तो मैं जहां तक समझा हूं वह सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम को इन्होंने जोड़ दिया उसका हिसाब लगा कर तथा आठ-दस करोड़ और जोड़कर प्लान का बता दिया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय उप-मुख्य मंत्री से वह मेरी बात को वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी तक पहुंचा दें।

सेन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मलेरिया के छिड़काव को थी। जो पिछले साल के आंकड़े हैं उनके आधार पर पौने पांच करोड़ रु० छिड़काव में खर्च हुआ उत्तर प्रदेश के शहरों और देहातों में जहां-जहां हो सका, जो कि दुबारा मलेरिया की रोकथाम के लिए छिड़काव किया गया अब श्रीमन्, सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम तो बन्द हो गई या कम हो गई, लेकिन योजना है। अन्तर केवल इतना है कि पहले रुपया केन्द्र के खाते में चढ़ता था और अब आपके खाते में चढ़ेगा। लेकिन क्या अब वे योजनायें बन्द हो जाएंगी और यदि बन्द हो जायंगी तो यह नया खर्च कहां हुआ, सिर्फ उसके मालिकान बदल गये, जो योजना का अंग था, वह अब सेन्ट्रल प्लान का अंग न होकर स्टेट प्लान का अंग बन गया। तो इसमें उन्होंने बढ़ाया क्या? जो ८१० करोड़ रुपये की योजना है, यह इस मायने में कृत्रिम योजना है और आज तक सेन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम के बारे में, खासकर कृषि, खेती या रिसर्च के लिए होती थीं, अभी तक उनके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो योजनाएं सेन्ट्रली स्पान्सर्ड चल रही थीं, उनका भविष्य क्या है? इसकी कोई भी सफाई बजट भाषण में नहीं की गई है।

इसी प्रकार एक बात और ८१० करोड़ रुपये के सिलसिले में कही गई है, जो पृष्ठ ६ पर है--"इस आकार की योजना को कार्यान्वित करने के लिए ७० करोड़ रुपया अतिरिक्त संसाधनों से जुटाने की अनिवार्य अपेक्षा हमसे की गई है।" यानी यह कम्पलसरी है, लाजिमी है और ७० करोड़ का नया टैक्स हमको लगाना होगा। किन्तु इस ७० करोड़ के विपरीत अब टैक्सेशन हुआ है सिर्फ ५० करोड़ रु० का और वह ५० करोड़ भी इस वर्ष नहीं मिलने वाला है। आखिर में लिखा हुआ है कि केवल साढ़े ३७ करोड़ रुपया इस वर्ष पूरा होगा, तो योजना फिर कैसे पूरी होगी। बाकी रुपया कहां से आएगा? कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं है।

जब ७० करोड़ रुपये का टैक्सेशन अनिवार्य है तो यह इससे कैसे होगा? ८१० करोड़ रुपये की योजना का मैंने ब्रेक-अप मंगाया। मैं आभारी हूं योजना विभाग का कि उन्होंने वह ८१० करोड़ रुपये की योजना भेजी। उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष योजनाओं का आउट ले कितना कम रखा गया है। इन्हें खेती से बड़ा प्यार है, यह सरकार तो गांवों की ओर जा रही है, लेकिन इनका पहला हमला कृषि पर हुआ है। पिछले साल के मुकाबले में खेती के लिए ७ करोड़ २५ लाख रुपये का कम प्राविधान किया जा रहा है। इसी प्रकार बिजली के लिए १६ करोड़ ३९ लाख रुपया कम रखा जा रहा है। उद्योग के लिए, जिसमें ग्रामीण उद्योग भी हैं, ७ करोड़ १६ लाख रुपया कम है। परिवहन के लिए ६ करोड़ ९४ लाख कम रखा जा रहा है।

उप मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

ग्राम्य उद्योग के लिए अलग से देख लीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

शिक्षा के लिए १६ करोड़ ९५ लाख रुपया कम है। सामुदायिक विकास और ग्राम पंचायतों के लिए एक करोड़ २५ लाख रुपया की कम की योजना है। पिछड़ी जातियों और हरिजनों के लिए ५ करोड़ २९ लाख रुपया कम है। यह उपहार है हरिजन भाइयों और पिछड़े वर्ग के लिए। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए ८ करोड़ ९७ लाख रुपया कम और दुग्ध विकास के लिए पिछले साल राम नरेश यादव सरकार ने कहा था कि स्वेत क्रान्ति ला रहे हैं उसके लिए ४७ लाख रुपये की कमी की प्रस्तावना हुई है। ८१० करोड़ सही मान लें, तो ८१० करोड़ की योजना मानकर इतनी प्लान में कटौती है। इसी तरह से आप देखें खर्चा भी हुआ है। खर्च के योजना के आंकड़े भी नहीं दिये हैं। मैं उतने विस्तार में सदन को नहीं ले जाना चाहता हूं। यह मैं धृष्टता नहीं करूंगा। उसके लिए चार घंटे चाहिए हर बारीकी तक पहुंचने के लिए लेकिन कुछ मोटी-मोटी बातें हर सदस्य को मालूम होनी चाहिए कि किस निर्माण योजना में कितना खर्चा हुआ है। उसका कोई विवरण नहीं।

हमारे जमाने में हमने एक काम किया था। हम जिसे कहते हैं आडिट परफार्मेन्स बजट, उसकी प्रतियां तमाम सदन की मेज पर रखी जाती थीं। पत्रकार देखते थे, अग्र लेख लिखे जाते थे। टिप्पणियां होती थीं। जागरूक सदस्य पढ़ते थे कि परफार्मेंस क्या है। खाली इतना धन खर्च कर दिया, मान लीजिए अर्थ वर्क पर धनराशि खर्च कर दें, मिट्टी सब बह गयी हमने कह दिया कि हमारा इतना रुपया खर्च हो गया। इसलिए परफार्मेंस आडिट की बड़ी आवश्यकता है, मानिटरिंग ठीक हो और फार्मेन्स देखी जाय, परफार्मेन्स बजट बंद हो गया। जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको याद होगा कि फार्मेन्स बजट कम से कम १०-१२ विभागों का पेश होने लगा था। वह बंद हो गया। कैसे पता चले कि कितनी कमियां हैं, परफार्मेन्स में। मेरे वह साधन नहीं हैं जो मंत्रिमण्डल के सदस्यों के पास है कि हम पता लगायें कि क्या कहां कमियां हैं। इसीलिए परफार्मेन्स बजट रखा गया। कार्य पूर्ति दिग्दर्शक बजट कम था। वह बंद कर दिया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि परफार्मेन्स बजट रखना क्यों बंद कर दिया गया? पिछले साल प्राथमिक शिक्षा योजना में १६ करोड़ ४४ लाख रुपया ..

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल से जानना चाहता हूं कि परफार्मेन्स बजट कब से बन्द हुआ है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पिछले डेढ़ दो साल से। हमारे जमाने में हमेशा रखा गया। वित्त विभाग इसकी सूचना दे सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता विरोधी दल खुद सुझाव भेज दें सरकार को। आपका सुझाव स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्राथमिक शिक्षा में १६·४४ करोड़ रुपया, लघु सिंचाई में ३.४ करोड़ रुपये, क्षेत्रीय विकास विभाग, राम गंगा कमान्ड अथारिटी, शारदा सहायक अथारिटी और गन्डक अथारिटी है, जो सब से पिछड़े जिले हैं और गरीब जिले हैं, उसमें २३·५७

[श्री नारायण दत्त तिवारी--]

करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ, पशुधन में १·१ करोड़ रु०, दुग्धशाला में १·१ करोड़ रुपया, उद्योग विभाग में पूंजीगत ६·३१ करोड़, ग्राम विकास विभाग में ७·८७ करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। मान्यवर, यह इनका परफारमेन्स है। जो सदन में मंजूर हुआ, वह खर्च नहीं हुआ। जहां तक निर्माण कार्यों का प्रश्न है, भूतपूर्व खाद्य मन्त्री ने यह कहा था कि सीमेन्ट की कमी के कारण पूरा कार्य नहीं हो पा रहा है। वह आधे विकास कार्यों को नहीं चला पा रहे हैं। तो सीधे जो बड़े-बड़े निर्माण कार्य हैं, जैसे टेहरी डैम है और ओबरा है, वहां पर सड़कों से लेकर पुल तक सीमेन्ट की कमी के कारण वहां पर आधा काम हुआ है। यह बात पिछली सरकार के खाद्य और रसद मन्त्री ने स्वीकार किया है। श्रीमन्, यह इनकी परफारमेन्स का हाल है। इस बजट में एक और चीज होनी चाहिये थी, जो नहीं है।

पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार ने इस राज्य को १७५·१८ करोड़ रुपये का विशेष मध्य कालीन ऋण दिया था। यह ऋण इसलिए दिया गया था कि घाटा समाप्त हो जाये। जब माननीय राम नरेश यादव जी ने बजट पेश कराया था, उस समय भी मैंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार ने ओवर ड्राफ्ट समाप्त करने के लिये वादा कर रखा है। मैंने इसको उस समय भी कहा था, ऐसी बात नहीं है। तो पुराना वादा पूरा हुआ है, इसके लिए केन्द्रीय सरकार को बधाई देनी चाहिए। क्योंकि उसने १७५·१८ करोड़ रुपया उसने ओवर ड्राफ्ट राइट आफ करने के लिए दिया। लेकिन श्रीमन्, इतना रुपया मिलने के बाद भी घाटा पूरा नहीं हुआ और वह ३५·६७ करोड़ रु० का रह गया। ऐसा बजट इन्होंने बनाया है कि इतना घाटा रह गया। यह कैसा बजट है। या तो आप पूरा मांगते। २१० करोड़ रुपया मांगना चाहिए था। ३५ करोड़ रुपये के राइट आफ करने के लिए आपको २१० करोड़ रुपया मांगना चाहिये था। यह ३५ करोड़ रुपये का जो ओवर ड्राफ्ट है, इसको पूरा करना चाहिए था। यह मांग इन्होंने नहीं की।

सप्तम वित्त आयोग के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। जब मैं पहली बार माननीय राम नरेश जी को बधाई देने गया था, उस समय भी कही थी कि उन्हें इसकी तैयारी ठीक करानी चाहिए। सप्तम वित्त आयोग ने कुल मामलों में हमारी मदद भी की है। यह बात भी सही है। जो उनकी रिपोर्ट है, मैं चाहूंगा कि उस पर भी यहां २-४ घंटे की चर्चा हो जाय, क्योंकि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आखिर डकैती आदि विषयों पर यहां आधा घंटा एक घंटा की चर्चा हो जाती है तो इतने महत्व के विषय पर भी यहां चर्चा अवश्य होनी चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि इसकी प्रति हर माननीय सदस्य को मिलना चाहिए, मैंने तो इसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त की है।

मान्यवर, अब यह फाइनेन्स कमीशन सन् ८३ में जाकर बनेगा। इसलिए इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान इस रिपोर्ट की एक चीज की ओर मैं विशेष कर दिलाना चाहता हूं, शायद उनका ध्यान उस ओर जाने से रह गया। अपने यहां चीनी की सबसे ज्यादा खपत होती है और अपने यहां गन्ना महाराष्ट्र से कम पैदा नहीं होता। एक-दो परसेन्ट का अन्तर हो सकता है। लेकिन शुगर एक्साइज का हमको केवल १३ परसेन्ट ही मिला ५ वर्षों के लिए जब कि महाराष्ट्र को १८ परसेन्ट दिया गया और ऐसे राज्य को १८ परसेन्ट दिया, जहां कि चीनी का एक भी कारखाना नहीं है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है कि उनको १८ परसेन्ट क्यों दिया, पर आपत्ति यह है कि हमको कम क्यों दिया? लगता है हमारी सरकार ने इसके लिए ठीक से आवाज नहीं उठाई।

इसी प्रकार माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि आयोग ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत पूर्वानुमानों का पुनरीक्षण वास्तविकता के आधार पर नहीं बल्कि अपने स्वयं के मानदन्डों के आधार पर किया है। यह भी बताया है कि १९४३ करोड रुपये के राजस्व अधिशेष का अनुमान वास्तविक नहीं है। क्या अनुमान है, यह तो बजट भाषण में बताना चाहिये था ?

इस आयोग द्वारा बिजली बोर्ड की प्राप्तियों का भी सही अनुमान नहीं लगाया गया है। इस कारण से भी करीब ५०० करोड़ रुपये का फर्क आ गया है। इतने रुपये में तो कई डैम और कितनी ही सड़कें बन जातीं। इस बजट भाषण में यह घोषणा होनी चाहिए थी कि हमें सप्तम आयोग की रिपोर्ट के अनुमान स्वीकार नहीं हैं। अब तो माननीय चरण सिंह जी वित्त मन्त्री हैं, उनके प्रभाव से सरकार को कहना चाहिये था कि हम केन्द्रीय वित्त मन्त्री जी से कहेंगे कि यह अनुमान सरे गलत हैं और यह हमारे साथ अन्याय है। केन्द्रीय सरकार की पहले से यह परम्परा थी कि जो भी फाइनेन्स कमीशन होता था, वह पूरी की पूरी रिपोर्ट मान लेता था। अबकी बार क्या किया है कि शराब से जो आमदनी होती थी, उसके लिए फाइनेन्स कमीशन ने सिफारिश की कि जितना घाटा इससे राज्यों को होता है, उसको पूरा का पूरा केन्द्रीय सरकार मीट करे। राज्य उनको नहीं मीट कर सकता। अब श्रीमन् केन्द्रीय सरकार ने इस सिफारिश को ठुकरा दिया और यह कहा कि शराब की आमदनी से जो घाटा होगा, उसका केवल ५० फीसदी राज्यों को देगा। अगर केन्द्रीय सरकार सप्तम वित्त आयोग की सिफारिश को नहीं मानता है, तो राज्य सरकार भी कह सकता है कि इन आंकड़ों को हम नहीं मानते हैं और मैं कहूंगा कि वित्त मन्त्री अपने उत्तर में, यह कोई पार्टी का सवाल न सोचें कि नेता विरोधी दल क्यों कह रहे हैं इसलिए न करें, उन्हें चाहिए कि ये आंकड़े गलत हैं या हमें जो संसाधन दिए गए हैं, यह पर्याप्त नहीं है।

एक बात कहूंगा अब श्रीमन्, कि राज्य कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते के आंकड़े क्यों नहीं माने गये, सब ने मान लिया कि केन्द्रीय सरकार के बराबर महंगाई-भत्ते राज्य सरकारों को दिये जायेंगे, जब केन्द्रीय सरकार की राय से यह तय हो गया कि महंगाई-भत्ता हमें केन्द्र के बराबर देना है, तो फिर हमारे आंकड़े क्यों नहीं माने जा रहे हैं और फिर इसको बजट भाषण में लिखते हैं कि हमारे आंकड़े नहीं माने। महंगाई-भत्ता जितना केन्द्र ने बढ़ाया, उतना हमें भी बढ़ाना चाहिये, लेकिन महंगाई-भत्ते के आंकड़े नहीं माने गये। यह शासन कैसा है जोकि महंगाई भत्ते के आंकड़े तक नहीं मनवा सकी। आपसी झगड़े का यह भी मतलब होता है कि सेवेन्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने यह मसला नहीं रखा गया। यहां के इकोनामिक्स को, फाइनेन्स इक्सपर्ट्स को, यहां के सदस्यों को मैं नहीं जानता हूं कि कितने सदस्य यहां से गवाही देने गये फाइनेन्स कमीशन के सामने, कितनों को बुलाया, कितनों को मौका दिया और फिर दिल्ली जाना चाहिए फाइनेन्स कमीशन के मेम्बर से, चेयरमैन से, सेक्रेटरी से बार-बार मिलना चाहिए था, जो हमारा फाइनेन्स कमीशन का सेल है, उसने बहुत मेहनत की, बिना राजनैतिक बार-बार पैरवी के, जितना हम अपने टिकटों के लिए, जितना हम अपनी पार्टीबन्दी के लिए लीडरों से मिलते हैं, उसका अगर सौवां हिस्सा भी हम इसके लिए मिलें, तो कितना कल्याण हो सकता है ? मैं नहीं जानता हूं कि कितनी बार माननीय वित्त मन्त्री फाइनेन्स कमीशन के मेम्बरों से मिले, क्या बातें हुईं, मैं कोई नीयत पर हमला नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यह कह रहा हूं कि आज यह स्थिति जो आई है, वह स्थिति न आती।

श्री नारायण दत्त तिवारी—]

अब श्रीमन्, एक महत्व की बात है, जिसके लिए मैं सप्तम वित्त आयोग को बधाई देता हूं और अगर यादव जी ने प्रयास किया, तो उन्हें बधाई देता हूं। पहली बार सप्तम वित्त आयोग ने हमारी सेवाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एअर मार्किंग कर दिया है कि इसी मद में खर्च होगा, दूसरे में नहीं, पुलिस के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, जेलों के लिए और सामान्य प्रशासन के लिए उन्हें रुपया सीधे हमको दे दिया है और यह जो यह कार्यक्रम है वह महत्व का है। ११२ करोड़ रुपये उन्होंने ५ साल में दिये हैं। उससे इस साल के बजट में १३.९४ करोड़ रु० का प्राविधान दिया गया है, लेकिन श्रीमन, आज सदन के सामने आता है। अगर सदन को मौका मिला होता तो प्रशासन को सुधारने के लिए कहां खर्च किया जाय, कौन सी योजना बनायी जाये विचार होता। लेकिन इसने लिखा है रुपया कहां खर्च होगा, ओरिजनल हेडक्वार्टर्स में मकान बनाने के लिए। एक ही छत में जहां तक हो सके एस० डी० एम० और जो डिप्टी, एस० पी० हैं, वे रह सकें।

मान्यवर, पेज ३५ में देखें लिखा है "जिला प्रशासन के विकेन्द्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए यह प्रस्ताव है कि पांच वर्षों में १४७ तहसील मुख्यालयों पर परगनाधिकारी, मुंसिफ-मैजिस्ट्रेट और पुलिस के सर्किल आफिसर के कार्यालयों एवं आवासों का निर्माण किया जाये।" इसमें मुझे आपत्ति नहीं है कि उनके मकान या कार्यालय न बनाये जायं, लेकिन इससे ज्यादा प्राथमिकता कहां के लिए थी? गांव की थी। इससे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए थी, ग्राम सेवकों, लेखपालों को मजबूत करने में। ताकि गांवों की जनता लेखपाल, ग्राम सेवक, या जो ए० डी० ओज०, बी० डी० ओज० जो गांव स्तर के कर्मचारी हैं, उनकी सेवा व्यवस्था से राहत पा सके, इससे गरीबों को राहत होगी। मैं अब भी कहता हूं कि अगर कोई तरीका है तो यह प्लान रिव्यू किया जाये। ११२ करोड़ रुपया दिया है, इससे गांव की सेवा करने वाले जो लोग हैं, उन सब को एक छत के नीचे लायें। पहले यह प्राथमिकता के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जरूरी है।

सेवेन्थ फाइनेन्स कमीशन के बारे में जैसा मैंने कहा, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाता हूं, लेकिन इसके लिये कम से कम एक दिन विचार करने के लिये जरूर मौका दिया जाये।

श्रीमन्, अब मैं टैक्सों पर आता हूं। इस शासन ने बड़ी हिम्मत का काम किया है। कोई भी सरकार, सरकार कहने लायक नहीं होती अगर वह साधन इकट्ठा न करे और इस मामले में कम से कम साधन इकट्ठा करने की बात इस सरकार ने सोची और उसे बजट में दिखाया। इस लिए मैं प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत सी सरकारें ऐसा करती हैं कि केवल घबड़ा करके हम बचना चाहते हैं बजट भाषण में। हमने भी कभी-कभी ऐसा मजबूरन किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह दीर्घगामी दृष्टिकोण से सही नहीं होता। बजट भाषण में ही हमें बता देना चाहिये कि हम टैक्सों के सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं, लेकिन यह अधूरा प्रयास है। इससे आप खुश न हो जायं। जैसे मिसाल के लिए शिक्षा उपकर की बात है, एजूकेशन सेस लगाया गया है। यह बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके लिए पहले भी निर्णय हुआ था। संयुक्त विधायक दल की जब सरकार बनी थी, तो उसने एक सब-कमेटी बनायी थी, उस समय एजूकेशन सेस का निर्णय लिया गया था और एक कैबिनेट की सब कमेटी भी बनायी थी। लेकिन वह एजूकेशन सेस कैसे वसूल किया जायगा, लगान के साथ जुड़ेगा, या हाउस टैक्स के साथ

जुड़ेगा इसकी कोई रूपरेखा हमारे सामने नहीं आई है। १५ करोड़ रुपया कैसे वसूल हो जायगा, आप टैक्स लगायेंगे तो कहां पर लगेगा, यह पता नहीं चलता है। मुझे एक व्यापारी भाई मिले, कहने लगे कि हमारे सेल्स टैक्स पर तो नहीं जोड़ा है। अब मैं तो फाइनेन्स मिनिस्टर हूं नहीं होता तो बताता कि इस पर जुड़ेगा। १५ करोड़ रुपये की रकम कैसे आ गई कोई रेट लगाया गया फर्जी लगा दिया गया, हमारे फाइनेन्स विभाग में बड़े मेहनती लोग हैं, उन्होंने हिसाब लगाया होगा, लेकिन आपने नहीं बताया कि यह कहां लगेगा।

इसी तरह से बिक्री कर को देखिए। बिक्री कर के बारे में आपने लिखा है, पृष्ठ ३८ के पांचवें पैराग्राफ में लिखा है कि :—

"इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि घोषित वस्तुओं के व्यापारियों को छोड़कर अन्य सभी कर-योग्य व्यापारियों पर अतिरिक्त कर आरोपित किया जाय।" कितना लगेगा, किस रेट पर लगेगा, क्या परसेन्टेज होगा कुछ पता नहीं है। व्यापारी कल को कीमत बढ़ा दे, तो ऐसा कर जिसकी दर स्पष्ट नहीं है, ऐसे कर से बाजार में दाम बढ़ जाते हैं, उप-मुख्य मन्त्री जी क्योंकि व्यापारी समझते हैं कि कुछ न कुछ उन पर लगेगा। इसलिये जो टैक्स लगना चाहिये, वह इक्जेक्ट होना चाहिये।

श्रीमन्, खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा से बुनकरों से सरकार को बड़ा प्यार है। उनको बहुत अच्छा इनाम दिया है। बिक्री कर से मुक्ति उन्हीं उद्योगों को दी गई है जो खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ऐक्ट की अनुसूची में दिए गए हैं। अनुसूची के बाहर जितने उद्योग हैं सब पर बिक्री कर लगाया गया है। कितना टैक्स लगेगा, यह नहीं बताया गया है। साढ़े ८ करोड़ रुपया इससे वसूल होगा, लेकिन किस मद में। खादी ग्रामोद्योग में एक चीज तो पैदा नहीं होती है। मान लिया शहद हैं हजरतगंज में खरीदने जायं तो उस पर सेल्स टैक्स लग गया लेकिन कितना लग गया पता ही नहीं है। इसी तरह से बनारस का रेशम उद्योग है, उस पर आपने लगा दिया। यह बड़ा उद्योग है सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं है। बनारस के रेशम उद्योग में और बंगलौर से और दूसरे राज्यों से कंपटीशन होता है। वहां कोई सेल्स टैक्स नहीं है, वहां सूत पर भी टैक्स नहीं है। वहां का माल सस्ता पड़ता है लेकिन फिर भी आपने २ प्रतिशत सेल्स टैक्स लगा दिया है। सेल्स टैक्स की नीति के बारे में मैं तो कहता हूं कि मंत्री जी को इसमें हिम्मत आयी है कि हम सेल्स टैक्स को समाप्त नहीं करेंगे। तो सरकार में आने के बाद जिम्मेदारी महसूस होती है। पहले हमारी बड़ी आलोचना करते थे लेकिन अब इन्होंने कहा कि हम सेल्स टैक्स को समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन सेल्स टैक्स लगाने के पहले उसमें कुछ निर्णय लेने होते हैं तो वह लेने चाहिए। बिक्रीकर सरलीकरण की रिपोर्ट हमारे पास है उसमें क्या हुआ। कुछ नहीं पता। सेल्स टैक्स तो सभी जगह है। सेल्स टैक्स में सरलीकरण होना चाहिए था लेकिन क्या हुआ कुछ नहीं पता। मालूम होता है कि पहले सरलीकरण हुआ और फिर कठिनाईकरण हो गया।

श्रीमन्, इसी प्रकार मनोरंजन कर में हुआ। आपने पिछले साल भी मनोरंजन कर बढ़ाया था। इस साल फिर बढ़ा दिया। हमने भी मनोरंजन कर बढ़ाया था। लेकिन गैप देकर। आपने पिछले साल १०० फीसदी मनोरंजन कर को बढ़ाया और उससे ३ करोड़ रुपये की आय अनुमानित थी। लेकिन उससे मिला डेढ़ करोड़ रुपया क्योंकि सिनेमा जाने वाले लोगों की कमी हो गयी। इस साल जो सरचार्ज लगाया है उसको आगे बढ़ा सकते थे और एक साल का गैप देना चाहिये था। इसमें दो

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

राय नहीं है कि सिनेमा से आय बढ़ी नहीं है। लेकिन हमें और आपको भी एनालिसिस करना चाहिए था कि मनोरंजन कर की सिनेमा कितना हमको मिलता है। उसका विश्लेषण हो लेकिन वह हमारे शासन काल में भी नहीं हुआ। इसलिए मान्यवर, जो ४ करोड़ रुपये मनोरंजन कर बढ़ाने की बात कही है वह मुझे अव्यवहारिक लगती है। इस सम्बन्ध में जो चल चित्र निगम बना हुआ है उसकी भी गति सिनेमा बनाने की धीमी है क्योंकि सिनेमा बनाने के लिए पैसा नहीं मिलता है। इसलिए उनको बैंकों से ऋण दिलाने की सूची में शामिल किया।

श्री छोटे लाल (जिला फतेहपुर)—

तामिलनाडू में तो ज्यादातर मंत्री ऐक्टर हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

फतेहपुर में भी ऐसा सिनेमा जानता हूं कि जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया। तो आप बधाई के पात्र हैं।

तो चलचित्र निगम का कार्य भी तेजी से बढ़ाना चाहिये क्योंकि इससे आमदनी बढ़ सकती है। इसमें बहुत बड़ा पोटेन्शियल है। आपने खुद ही कहा है कि शराबबन्दी से हुयी कमी को सिनेमा से पूरी करेंगे। बजट भाषण और आगे भी कहा गया है कि सिनेमाघरों की संख्या बढ़नी चाहिए और उनमें कोशिश करेंगे।

श्रीमन्, बिजली यूनिट बढ़ाने का प्रश्न है। अभी आपने फिक्सड चार्जेज खत्म किया १२ रु० से १५ रु० और उधर फिर एक रुपया यूनिट बढ़ा दिया। अब इससे तो फिक्सड चार्जेज ही अच्छा था क्योंकि किसानों को उसमें आसानी थी। अब एक यूनिट का हिसाब गरीब नहीं रख सकता है। फ्री यूनिट में आमदनी ज्यादा होगी लेकिन किसान या गरीब वर्ग के लोग एक यूनिट का हिसाब नहीं रख सकते। आप जानते हैं कि आपका कम्प्यूटर काम न करे तो कितनी गलती हो सकती है। इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं।

इसी तरह से विदेशी शराब और अल्कोहल का मामला है। उस पर टैक्स लगाया और इससे ११ करोड़ ४५ लाख की आमदनी बता दी। विदेशी शराब पर पिछले साल भी टैक्स लगा था और उस पर मुकदमा भी चल रहा है। आपका प्रस्ताव है कि एक रुपया १० पैसा लगाया, तो अल्कोहल पर ड्यूटी पहले भी लगी। हमने भी लगायी थी लेकिन अदालत ने स्टे आर्डर दे दिया। तो यह अल्कोहल पर ड्यूटी कितने दिनों कायम रहेगी। अगर इसको टैक्सेशन का आधार मानते हैं घाटे को पूरा करने के लिए, तो मिथ्या है। हम भी असफल रहे हैं। तो हमारे अनुभव को वित्त विभाग को बताना चाहिए था कि पहले इससे कितनी नाकामयाबी हुयी।

अब, श्रीमन्, अल्कोहल पर आधारित उद्योग के बारे में दो महीने पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र आया। इसी सरकार के माननीय तपासे जी ने जिक्र किया और उसमें नीति की घोषणा की गयी कि हम अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को लाने की प्राथमिकता देंगे। राज्यपाल जी का अभिभाषण मेरे पास है। दो महीने पहले कहा कि अल्कोहल उद्योग के लिए

प्राथमिकता देंगे और योजना बनायेंगे और आज उसके खिलाफ टैक्स लगा रहे हैं। यह तो आपके निर्यात को प्रोत्साहित कर रहा था। उत्तर प्रदेश से अल्कोहल जो डिस्टलरीज में पैदा होता है, बाहर जाय ताकि आमदनी ज्यादा मिले। राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ कहते हैं और बजट में कुछ कह रहे हैं। दो महीने के अन्दर विरोधाभास। कोई पढ़ता नहीं, कोई देखता नहीं कि दो महीने पहले क्या कहा और क्या कर रहे हैं।

श्रीमन्, शीरे की हालत बड़ी दयनीय है। कितने तार पड़े है, गन्ना मंत्री जी से जरा पूछें। डिस्टिलरीज शीरा नहीं उठा रही हैं। शीरा बह रहा है। आपकी प्रोहीबीशन और शराब बन्दी की नीति का एक यह भी प्रभाव पड़ रहा है कि शीरा बिखर रहा है, देहाती इलाकों में बीमारी पैदा हो रही है और राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। इस ओर सोचा नहीं गया। एक गैसाहोल की स्कीम है। गन्ने के रस से पेट्रोल बनाते हैं, पेट्रोल की कमी के दिनों में कारों में प्रयोग के लिए काम आ सकता है। ब्राजील में आज २० फीसदी पेट्रोल मिलता है जिसे गैसोहोल जाता है। इस योजना की बात क्यों नहीं की जा रही है। केन्द्र ने इस पर कुछ कहा था। अब समय आ गया है कि गन्ने के शीरे की समस्या को हल करने के लिए इस गैसोहोल की इण्डस्ट्री लगायें। उस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। रिसर्च एण्ड डेवलेपमेंट कोई मालूम नहीं है, बुनियादी समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

शराब बन्दी कर दी, टिन्चर-जिन्जर से लोग मरें। हर जिले में इसकी सर्वे होनी चाहिए कि मृतसंजीवनी सुरा, द्राक्षासव में कितनी वृद्धि हुई है। मैंने एवरेज लगाया साठ हजार, पचास हजार रुपये मृत संजीवनी सुरा, द्राक्षासव में वृद्धि हुई है। इनमें कोई बैन नहीं है। एक दवाई है, टोनिक कहलाता है, सब पी रहे हैं। शराब बन्दी से नुकसान हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, बहुत खुशी है कि शराब बन्दी कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ टिन्चर-जिन्जर और जो घरेलू शराब है, नकली शराब है, जहरीली शराब है, कितनी ज्यादा बढ़ गयी है। इस शराब बन्दी से क्या लाभ। ठेकों का क्या हाल है। अभी इसी सरकार ने सारे रुहेलखण्ड में शराब बन्दी की बीच में पीलीभीत को छोड़ दिया। पीलीभीत में शराब का ठेका कितने का हुआ। चौगुना ठेका हुआ। मैं जानता हूं कि शराब स्मगल हो रही है। बनारस में विदेशी शराब का ठेका ३३ लाख रुपये का हुआ है। क्यों हुआ, क्योंकि बनारस से शराब बिहार को जाती है और बिहार टोटल ड्राई हो गया है। आप आंकड़े देखिये। जहां शराब की नीलामी हो रही है वहां पहले क्या आंकड़े थे आज क्या हैं? नीति बदली नहीं है। नाम शराब बन्दी है लेकिन शराब बन्द नहीं हो रही है। शराब पीने वालों का कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेन्श मूवमेंट नहीं हो रहा है। यह अव्यवहारिक बात नहीं हो सकती। शराब बन्दी टेम्परेन्श मूवमेंट के जरिये होनी चाहिये। शराब पीने वालों पर नियंत्रण हो। मृत संजीवनी सुरा छोड़े, घर में शराब न बनें, क्या इस ओर सरकार का ध्यान गया? चूंकि एक शराब बन्दी का संकल्प लिया इसलिए यह चीज लागू कर दी। आधे राज्यों ने मना कर दिया है कि हम शराब बन्दी नहीं कर रहे हैं, आधे राज्यों में हो रहा है। आमदनी शराब बन्दी से कितनी हो रही है इस पर संदेह है।

एक सदस्य--

श्री पीलू मोदी ने भी कहा है...

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उनका फण्डामेन्टल राइट है शराब पीना। जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं।

इसी प्रकार श्रीमन् पशु मेला, हाट और बाजारों का प्रदेशीयकरण किया और ताज्जुब है कि आमदनी बताई गई दो करोड़। प्रदेश में सारे हाट, बाजारों को टेक ओवर करने के बाद आमदनी हुई दो करोड़, यकीन नहीं होता। और फिर इसके बाद इस घाटे को अपने एकाउन्ट में क्यों जोड़ रहे हैं, ग्राम विकास निधि को जाना चाहिए। लेकिन वह ब्लाक क्षेत्र समिति, ग्राम सभा को दी जानी चाहिये जैसे हमने ग्राम विकास निधि बनाई थी। शासन के बजट में कनसोलिडेटेड फन्ड केवल एजेन्सी के रूप में होना चाहिए। श्रीमन्, दो करोड़ की आमदनी में यकीन नहीं होता। पांच करोड़ की आमदनी होनी चाहिए। मुझसे अधिक जो माननीय सदस्य जानकारी रखते हैं उनसे भी पूछा था और उनका भी इस्टीमेट था कि कम से कम पांच करोड़ रुपया इस मद में इकट्ठा हो सकता है और लिया भी जा सकता है। ऐसे टैक्सेज के अलावा और टक्स लगाना बाकी है। ७० करोड़ के अनिवार्य टैक्स लगाने हैं, ३७ करोड़ का इन्तजाम है, बाकी टैक्स कौन से लगाने हैं? लिहाजा नकली शराब बन्दी मत करिये, इससे आपकी आमदनी हो जायगी।

एक सदस्य--

टैक्सेज का आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने टैक्स के प्रस्ताव का विश्लेषण किया है। समर्थन नहीं किया है। मैं सारे विरोधी दलों का नेता हूं। मेरा तो काम ही विरोध करना है। अब आप देखें सप्तम वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम २०० करोड़ रुपया आपको ज्यादा मिलेगा। उसे आप नान प्लान खर्चे की ओर न ले जायं, प्लान के लिए भी इसमें रुपया बचायें। लेकिन बजट भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है कि इसमें कितनी धनराशि ऐसी होगी जो प्लान में लगाई जायगी। कागजात से यह मालूम होता है कि २०० करोड़ रुपये ५ साल में बचाये जा सकते हैं जिनको प्लान में खर्च किया जा सकता है।

इसी तरह प्रगति की बहुत बात कही गयी है। इसके पहले जो वायदे किये गये वे अधूरे रह गये। उनकी मैं याद दिलाना चाहूंगा। बड़ी जोरों से मेजें थपथपाई गयीं। माननीय दिघे जी ने यह ऐलान किया था कि भूमि सेना बनेगी। बड़े मोटे अक्षरों में यह बात बजट भाषण में छपी थी कि शासन भूमि सुधार के लिए विशेष तौर से भूमि सेना बनायेगा। डाक्टर लोहिया ने भूमि सेना की बात कही थी। इस प्रकार हमने एक भूमि सेना का प्रयास किया। शारदा सहायक योजना में भूमि सेना का प्रयोग किया गया और उसकी जांच हो रही है। पिछले साल यह भी कहा गया था कि भूमि सेना के लिए रुपया तो रखा ही नहीं गया है, बनेगी कैसे। साल भर बीत गया, भूमि सेना का कहीं पता नहीं है। तालियां पिट गयीं, भाषण हो गया। इससे साथ ही आप यह भी देखें कि पुल, पुलियों और मंडी समितियों के लिए २ करोड़ रुपये का विषेष अनुदान दिया गया है और यह लिखा है कि अगले वर्ष इस कार्यक्रम को और बढ़ाया जायेगा। इस सरकार का यह दूसरा बड़ा वायदा था। यह सरकार इस साल के बजट में अगले साल के वायदे करती है। मंडी समितियों के जरिये आपने दो करोड़ का प्राविधान पिछले बजट में किया था, कहां वह बजट में आया। इस किताब में तो छपा नहीं है कहीं

और छपा हो तो बता नहीं सकता । आपने बड़ी वाहवाही ली है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करेंगे, यह कहकर । इसके लिए आपने एक विशेष योजना बनाने की घोषणा की थी जिसमें यह कहा था कि हम क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करेंगे और उसके लिए १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहे थे । आपने कहा था कि हम जिला कमेटियां बना रहे हैं जिनके माध्यम से समन्वय स्थापित करने की बात कही गई थी ।

श्रीमन्, इस साल आप देखें, १५ करोड़ रुपया पिछले साल दिया गया जिसको हमने स्वीकार किया था । हर जिले में पिछड़े हुए क्षेत्र हैं--पश्चिमी जिले हैं, बुन्देलखण्ड है । पिछड़े हुए जिलों में और भी पिछड़े हुए कुछ क्षेत्र हैं । तो इस क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए जो रुपया लेने की बात कही गई थी--जो योजना बनायी गई थी उस योजना का भी गर्भपात हो गया । मान्यवर, पृष्ठ ८ पर देखें । इसकी ऋण हत्या हुई है । पृष्ठ ६ में आपने कहा है कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए जिला स्तर पर स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बनाने एवं उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य १९७७-७८ से आरम्भ किया गया और विशेष धनराशि उपलब्ध करा दी गई । हम नहीं जानते हैं, हमारे सामने कोई विवरण नहीं आया है । हमें यह बता दें कि यह १५ करोड़ रुपया कैसे खर्च हुआ ? आखिरी लाइन में लिखा है कि "स्थानिक विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल प्राविधान का ६० प्रतिशत भाग अन्त्योदय परिवारों से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर व्यय करने का निर्णय लिया गया है ।" इस लाइन से सारी योजना खतम कर दी गई है । क्षेत्रीय असन्तुलन से क्या तात्पर्य है ? अन्त्योदय का रुपया कहां से आयेगा । अन्त्योदय की जो योजना है वह तो गाय, भैंस के लिए है और पांच-दस परिवारों से सम्बन्धित है । क्षेत्रीय असन्तुलन से इसका क्या तात्पर्य है ? यह तो पिछले साल की योजना थी इसको इस प्रकार समाप्त कर दिया गया । ६० प्रतिशत अन्त्योदय में दिया जायगा । उसकी बचत हुई । इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र के लिए ७० करोड़ की बात कही गई है । यह कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश के बराबर पहाड़ों की योजना होगी । एक साल माननीय यादव जी ने कोशिश भी की थी और एक साल बनी भी थी । किन्तु हिमांचल की योजना ८०/८५ करोड़ की हुई तो फिर आपकी पहाड़ों के लिए ७० करोड़ की ही क्यों हुई ?

एक सदस्य--

बंटवारा हो जायेगा...

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बंटवारे की बात मैं नहीं कह रहा हूं । किन्तु केन्द्र से कहना चाहिए था कि ७० करोड़ की योजना मंजूर न हो, हम स्वीकृत नहीं करते और फिर ७० करोड़ रुपया तो दो साल पहले ही खर्च किया गया । यह किस प्रकार हुआ । इसी तरह से बुन्देलखण्ड को ले लीजिए उसका क्या हाल है । माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है जनता पार्टी में आपस में झगड़े हैं उसमें दो घटक हैं जब से यह घटकवाद आया है तब से मध्य प्रदेश सरकार ने अपना रुख बदल दिया है । अभी बांदा से तार आया है कि जितने वहां काम चल रहे थे विकास के वह रोक दिये गये जिनका स्रोत मध्य प्रदेश में है । मेरा किसी घटक से सम्बन्ध नहीं मैं उसका नाम नहीं लूंगा । बुन्देलखण्ड की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक मध्य प्रदेश का उसमें सहयोग न हो ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी—]

राजघाट परियोजना को ले लीजिए, माननीय उप मुख्य मंत्री जी जरूर गये होंगे मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला था। उत्तर प्रदेश में तो सारे काम हो रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश में काम रुका हुआ है जब तक वहां काम नहीं होगा। हमारा सारा खर्च बेकार है वह अनप्रोडक्टिव खर्च हो जायेगा। इस पर हमारा २० करोड़ रुपया खर्च हो गया लेकिन मध्य प्रदेश में काम रुका पड़ा है। छोटी नहरें बन गई, बंधे बन गये लेकिन डैम नहीं बना तो उससे कोई फायदा नहीं इसी तरह का खर्च राजघाट योजना में हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार से कोई बात नहीं हो रही है। यहां से लोग भोपाल गये उनसे चर्चा हुई उसका क्या हुआ ? अभी मेरे पास तार आया है केन नहर, उर्मिल नहर, अश्विनी बांध इन सबका क्या हुआ यह सब खतरे में हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट कंट्रोल बोर्ड है उससे क्या बातचीत हुई ? अगर बात चीत नहीं हुई तो हमें पंचनद योजना पर सोचना होगा इससे मध्य प्रदेश का कोई नुकसान नहीं होता। यह इटावा से लेकर जालौन तक के इलाके को खुशहाल बना देगा। लेकिन उसका कहीं नाम नहीं है। पंचनद का नाम पिछले साल भी नहीं था और आज भी नहीं है।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर बुन्देलखण्ड का विकास करना चाहते हैं इटावा, मैनपुरी, जालौन आदि का विकास करना चाहते हैं और डकैतों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो पंचनद योजना को प्रमुखता दीजिए। टेलीफोन से दिल्ली मुख्य मंत्री जी से कहिए कि वह पंचनद की लड़ाई लड़ें योजना आयोग से।

कनहर योजना का माननीय नेता साम्यवादी दल ने जिक्र किया अब उसका इरादा ही बदल दिया गया है। तो क्या पाप किया हमने अगर वह योजना बनाई थी। कनहर का पानी सुरंग से रिहंद में डालने की बात थी अगर आज उसमें पानी न हो तो बिजली मिलना बन्द हो जायेगा। यहां पानी का एक सर्किल है हर चार साल में पानी भरता है तीसरे साल पानी नहीं भरता यह रिहंद का पिछला इतिहास रहा है। हम चाहते हैं कि उसमें पानी भरा रहे बरसात में कनहर का पानी उसमें डाला जाये और वह पानी गर्मी पतझड़ आदि के मौसम में उपयोग में आये। इस प्रकार सरप्लस पानी के उपयोग की बात थी। अभी मैं मिर्जापुर गया था तो मालूम हुआ कि उस कनहर योजना में संशोधन कर दिया गया है अब उसका पानी रिहंद में नहीं आयेगा। रिहंद हमारे लिए कितना जरूरी है वह उत्तर प्रदेश का बैलेंसिंग स्टेशन है, संकट में काम आने वाली योजना है तो उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। बाण सागर का हमने क्या करना है इस पर तो मध्य प्रदेश सरकार को काम करना है।

फिर जो दूसरी योजनायें हैं जैसे मध्य गंगा कैनाल है उसका क्या हो रहा है, गंडक प्रोजेक्ट का क्या हो रहा है गण्डक प्रोजेक्ट में पानी का लेवेल ऊपर को आ रहा है, वहां ७ हजार ट्यूबवेल्स बनाने की बात थी, ताकि देवरिया और उसके आसपास की जमीन जो सैलाईन हो जायेगी, उर्वरा नहीं रहेगी, उसे बचाया जा सके। उसके लिए उसका प्राविधान था, किन्तु इसमें उसका कहीं जिक्र नहीं है। जब सिंचाई विभाग का बजट आयेगा, उस वक्त यदि मुझे अवसर मिला तो मैं फिर इस बारे में विस्तार से कहूंगा।

आज यमुना नहर का क्या हो रहा है ? पश्चिमी जिलों में आपका सबसे ज्यादा प्रभाव है, लेकिन ताजेवाला हेडवर्क्स बनाने के लिए क्या हो रहा है ? आप क्यों नहीं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे पूरा कराते हैं ? आप देवीलाल से कहें कि हम ताजेवाला और ओखला एक साथ बनायेंगे। ताजेवाला

हमने ठीक से नहीं बनाया, तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपज को नहीं बढ़ा सकते हैं। इनको बनाने का क्यों नहीं विचार होता। मैं मांग करता हूं कि ताजेवाला और अखला के मामले को हल किया जाए। हमने बुलन्दशहर की कैबिनेट की बैठक में यह योजना बनाई थी, ताकि पश्चिमी जिलों के पानी का पूरा उपयोग हो सके। इसमें किसाऊ डैम के लिए भी रुपया रखा गया है, लेकिन उसकी तो अभी कोई बात ही नहीं है। देहली, हिमांचल प्रदेश आदि के साथ अभी बात होनी है कि उनको कितनी बिजली मिलेगी, सभी अपने-अपने प्रदेश के लिए बिजली की उससे मांग कर रहे हैं। जबतक आप बिजली की बात तय न करें, इसको कैसे बना रहे हैं।

मनेरीभाली दूसरी योजना है। पंचेश्वर करनाली वाली कोई योजना नहीं है। भालूबांध का भी कोई इसमें उल्लेख नहीं है। नेपाल से उस बारे में इतनी बात हुई है, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। इसको नहीं बनाया गया तो पूर्वांचल का भविष्य अन्धकार में बना रहेगा। इन मुद्दों पर पहले विचार होता था। बजट में उल्लेख किया है, लेकिन इसका उसमें कोई जिक्र नहीं है किसाऊ बांध का जिक्र है, जो अभी विवादास्पद है। लेकिन जमुरानी बांध पर सारी बात हो चुकी है, फिर भी उसपर दुबारा विचार होने की बात हो रही है। तो यह तमाम बातें हैं कि घोषित योजनाओं को भी आज पूरा करने का प्रयास सही ढंग से नहीं हो रहा है।

कुछ बातों में वित्त मन्त्री ने वाहवाही लूट ली है और एक बात में तो बहुत ही तालियां उन्होंने पिटवा ली हैं। उनका कोई दोष नहीं है, बहुत से माननीय सदस्य नये हैं, वह उसे ठीक से समझ नहीं पाए हैं और उन्होंने तालियां पीट दीं। वह इस बात पर जो इन्होंने कहा है कि --यह उल्लेखनीय है कि जबकि पूरी चौथी योजना अवधि १९६९-७४ में सिंचाई क्षमता में ४.९७ लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई थी, केवल वर्ष १९७७-७८ में ५.४४ लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।" ताली पिटवाने के बजाय यदि यह सीधे कह देते कि यह शारदा सहायक योजना है, तो क्या हर्ज था, जिसमें हम ८ साल से काम कर रहे थे। उसकी वजह से यह हुआ, जो एक साल में नहीं ८ साल में हुआ है। दो महीने हम पीछे रह गये, नहीं तो हम ही ताली पिटवा लेते। इसमें वाहवाही लेने की क्या बात थी? उसके अन्तर्गत सही एक्वीडेटर बनने के कारण रायबरेली, जौनपुर आदि तमाम जगह पानी पहुंच गया है। प्रतापगढ़ जिले में सही एपीडेप्ट पहुंच गया। उसका श्रेय ले रहे हैं, कि हमारे आने बढ़ गया। ऐसी बात नहीं है। मैं प्रशंसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रशंसा योग्य हो। (व्यावधान) मैं तथ्यों का जवाब तथ्यों से मांगता हूं। मैं आंकड़ों का जवाब आंकड़ों में चाहता हूं। अगर कोई अप्रासंगिक बात कह रहा हूं तो माफी मांग लूंगा। जैसा कि मैंने पहले आंकड़ा दिया बिजली में खर्च कम किया जा रहा है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। ओबरा में क्या हाल है? दो सौ मेगावाट का संयंत्र लगा रहे हैं। पिछड़ गये हैं दो साल आप। आप वाहवाही लूट रहे हैं कि हम बिजली के नये मेगावाट लेने वाले हैं। सारा का सारा पावर हाउस दो साल पिछड़ गया है। कारण क्या है? मानिटरिंग यहां नहीं होती। अगर ओबरा में सीमेंट न मिले, बाइलर लगाने के लिए लोहे का एक पुर्जा न मिले तो योजना रुक जायेगी, पावर स्टेशन नहीं चल सकता है। मानिटरिंग हुई नहीं इसकी। जो कमी है उसको मीट करने वाले नहीं। हमने एक महीने, १५ दिन का मानिटरिंग शुरू किया था। फस्ट पार्ट में देखा जाता है इस चीज को। यह चीज हो जानी चाहिए वह नहीं हुई, मानिटरिंग करने वाला देखेगा कि क्यों नहीं हुई? सारी शक्ति लगा कर पूरा करेगा। आज मानिटरिंग न होने की वजह से यह दशा है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी--]

बिजली बोर्ड के चार चेयरमैन बदले इस बीच में। चेयरमैन का स्थायित्व नहीं रहा। बालिगा साहब चले गये। उसके बाद तीन महीने एक चेयरमैन रहे। उनको दुत्कारा, जैसा भूतपूर्व विद्युत मंत्री ने किया, चेयरमैन पर एक मामले में आरोप लगा दिया। चार पांच विद्युत बोर्ड के चेयरमैन चले गये। उनको भरोसा नहीं है तो इंजीनियर क्या करेंगे। यह बात पहली बार हुई कि जो विद्युत मन्त्री हो वह विद्युत बोर्ड का काम कर रहा हो। टैक्निकल मामलों में हम वहां से पालिटिकल निर्देश देने लगें इससे बड़ी गलती दूसरी नहीं हो सकती। जो कुछ पिछले सालों में कार्य हुआ उसका मुख्य कारण यह है कि हमने यह कोशिश की तुरन्त सामान पहुंचाएं, कंसल्टेंट्स से सीधा सम्बन्ध रखा, यह देखा कि कहां कौन सामान नहीं आ रहा है। किसी से सीमेंट ले रहे हैं तो उसके पास जा रहे हैं। बैगन के लिए जा रहे हैं। लेकिन टेक्निकल मामले में दखल नहीं दिया अगर चेयरमैन को टेक्निकल मामलों में ओवररूल करने लगें तो क्या होगा? यही गलती हो गयी, पिछले डेढ़ दो साल में। उसकी वजह से विद्युत उत्पादन में कमी रही है।

यह भाग्यशाली रहे कि मानसून समय से हुआ है। नहीं तो और ज्यादा परेशानी होती। यह आप समझ सकते हैं। यह एक बड़ा वरदान माना जायेगा समय से वर्षा होने का। अगर बारिश समय से न होती तो और बिजली में कमी होती। आज भी ३३० मेगावाट बिजली की कटौती हो रही है। बिजली की कमी तमाम प्रदेश में, देहाती हिस्सों मे और छोटे कस्बों में विशेष रूप से कमी महसूस हो रही है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम का सही इस्तेमाल नहीं कर हैं। यहां पर इस समय वित्त मंत्री जी नहीं हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण की स्कीमें भेजी। हमारे ऊपर संस्थागत का जो रुपया है उसका भार नहीं पड़ता है। इसलिए हमने यह नीति बनायी थी कि अधिक से अधिक ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना बनायी जायें और उसको दिल्ली के निगम से स्वीकार कराया जाय।

मैं जानना चाहता हूं कि विद्युत मंत्री जी कितनी बार दिल्ली गये और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के चेयरमैन से कितनी बार मिले। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने विद्युतीकरण निगम के चेयरमैन को कभी उत्तर प्रदेश में बुलाया और उनसे अपनी समस्याओं का जिक्र किया। इनके हाथ में २०० करोड़ रुपये का बजट है। योजनायें रुटीन में मंजूर हुई हैं, लेकिन राजनैतिक प्रभाव का प्रयोग नहीं किया गया है। राम चन्द्रन जो केन्द्र में विद्युत मंत्री हैं उनको कितनी बार उत्तर प्रदेश में बुलाया गया और हमारी समस्याओं को क्यों नहीं उनके सामने रखा गया। क्या कभी आपने सेन्ट्रल पावर कमीशन के चेयरमैन को बुलाया? चिट्ठी पत्र चलती रही लेकिन पोलिटिकल क्या प्रभाव आपने डाला?

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश सही नेतृत्व की तलाश में है और वह भटक रहा है। यह हमारा दुर्भाग्य है। हमारे युवक हैं जो कुछ कर सकने में समर्थ हैं लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

अब मैं भूमि सुधार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उसके बारे में काफी चर्चा की गयी है। अन्त्योदय योजना के लिए लगभग ढ़ाई लाख परिवारों को छांटा गया है। इस बजट भाषण में इसका उल्लेख है। २० सूत्री कार्यक्रम मैंने चलाया था, उससे आपको एलरजी है, उसको छोड़िये। आपने कहा कि ४,७०,९३९ भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ३,२०,७२१ छोटे खातेदार जिनके पास ३ १/८

एकड़ से कम भूमि थी तथा १०,२९९ अन्य विभिन्न श्रेणियों के भूमिहीन अभ्यर्थी लाभान्वित हुए हैं। यह आप ही के आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। कुल मिलाकर १९ लाख लोगों को भूमि दी गयी है, यह शासन ने दिया हमने कुछ नहीं दिया मान लिया। अब अन्त्योदय योजना में इन लोगों का क्या श्रेय है। कोई लिन्क नहीं है। उनके लिए कैश लेना चाहिए। कम ब्याज पर ऋण दिया जाना चाहिए। लेकिन उनके लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। अन्त्योदय योजना को जिन लोगों के लिए चलायी गयी है उनके लिए प्रयोग की जाये। जिन लोगों को भूमि दी गयी है उनके लिए अन्त्योदय योजना का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर नहीं किया जाता है तो वह भूमि का प्रयोग नहीं कर पायेंगे। उस समय में सर्वोदय के लोगों ने उस योजना बनाया था। उसमें श्री बहुगुणा जी जैसे लोगों का भी सहयोग था। आपको चाहिए था कि उसे चालू करते।

इसी तरह आपने १२,४०,३४० रुपये आवास के लिए भूमि आवंटित करने के लिए रखा। आवास के लिए जमीन मिल गयी पर आवास बने ही नहीं। आपको 'हटको' से भी रुपये की मांग करनी चाहिये। इसके लिए आपकी योजना शांत है।

बेकारी दूर करने का बढ़ा ढिंडोरा पीटा जा रहा है। कहा गया है कि १० साल में बेकारी हम दूर कर देंगे। इस पीरियड में जो नये बेकार पैदा होंगे क्या उसको भी ध्यान में रखा गया है? फिर जो दो साल बीत गये १० में से, जो १/५ हिस्सा है आपके १० साल के समय का, क्या आपने १/५ हिस्सा बेकारी इन दो वर्षों में दूर की? पिछले साल तो यह भी कहा गया था कि हम इस साल ५ लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, मगर इस साल के बजट में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

गोली मार-मार कर दूर कर देंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बेरोजगारों के साथ आपने जो वायदा किया था उसका कोई जिक्र इस बजट में देखने को नहीं मिलता।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसेन--

जनता पार्टी वालों ने उनको रात के काम में लगा दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उद्योग विभाग को लेलें। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में एक भी नया प्रोजेक्ट आप ला पाये? जो पुराने प्रोजेक्ट थे वही गड़बड़ा रहे हैं। रायबरेली जिले को ही लेलें, पहले वह इन्दिरा जी का क्षेत्र था, अब तो राजनारायण जी का है, फिर इन्डस्ट्री ने क्या बिगाड़ा है, उस क्षेत्र में टेलीफोन का कारखाना इतने रुपये की लागत से बना, उसके ऐक्सटेन्शन को योजना आज खटायी में पड़ी है। उसको आपने क्यों रोक दिया? अगर उसको और कहीं ले जायेंगे तो यहां तो इतना रुपया खर्च किया वह बेकार जायेगा और दूसरी जगह फिर इतना रुपया आपको खर्च करना होगा। अगर यहीं एक्सपेन्शन होता तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था। प्लानिंग कमीशन आखिर इसके लिए क्यों चुप है?

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जगदीशपुर में इन्डस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए पहले ऐलान किया गया था और डेढ़ पौने दो करोड़ रुपया खर्च हो गया, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की मिल लेने वाले थे, मैं तो कह रहा हूं कि आप तो अब उद्योग मंत्री हुए हैं, भूतपूर्व मंत्री राम प्रकाश जी ने ऐलान कर दिया कि जगदीशपुर में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया जायेगा। राम प्रकाश जी ने सुलतानपुर जाकर यह कह दिया और ऐलान कर दिया कि जगदीशपुर में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जायेगी। आज वहां पर क्या हाल है ? आज एक चौकीदार भी मुश्किल से वहां पर है।

चीनी की मिल सुलतानपुर की बन्द, अकबरपुर की बन्द, महमूदाबाद, सीतापुर में है, चीनी मिलों का कहीं पर नाम नहीं है। गजरौला है, जहां पर गन्ना ही नहीं होता है। हमारे मैनपुरी जिले में है भोगांव, आजमगढ़ जिले के खुद उप मुख्य मन्त्री जी हैं, घोसी तहसील में चीनी मिल बनाने का आर्डर हो गया। इस तरह से प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर का कारखाना कभी है बनाते हैं, कभी कहते हैं, बन रहा है जनरल मैनेजर को बदलने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह से कागज के कारखाने का हाल है। इक्युलिप्टस खड़ा है और पालिस्टर बनाने के लिए तय हो गया। हर साल अखबारों में पढ़ते हैं कि बनाया जा रहा है। पिछले साल ही बनाया जा रहा था परन्तु अभी तक जी० ओ० नहीं निकला है। कोई कह रहा है कि उसको हटाया जा रहा है। काम नहीं होता है। इक्युलिप्टस के प्लांट वहां पर खड़े हैं।

अब श्रीमन् मुरादाबाद में बर्तन उद्योग है, इस बर्तन उद्योग के लिए दो साल से सुन रहे हैं।

श्री रियासत हुसेन—

जिस जगह फैक्ट्री लगाने हैं, वहां पर प्राइवेट मकान बन कर खड़े हो गये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इन्डस्ट्रियल यूज की फाइल घूम रही है।

१० हजार रुपये से पिछले दो महीने के अन्दर बाउन्डरी बन गयी और प्राइवेट कारखानेदारों की इमारतें बन गयीं। बनकरों को सही प्रकार का सूत नहीं मिलेगा उसकी वितरण की प्रणाली नहीं होगी, तो नतीजा क्या है ? उसके अलावा उस पर टैक्स लग गया।

आज बुनकर भाइयों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इसी तरह से श्रीमन्, छोटे उद्योग-धन्धों की बात, उसे हम बढ़ा रहे हैं। ३३ इण्डस्ट्रियल स्टेट्स बनायी गयी हैं। जो पुराने स्माल इण्डस्ट्रीज हैं, उनका क्या हुआ ? कहीं पर टिम्बर पर आधारित स्टेट बना था, बस्ती में प्लास्टिक पर बना था, उन सबका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आज उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ५-५ इण्डस्ट्रियल स्टेट्स कारपोरेशन को दिये गये थे, वे कारपोरेशन जो उद्योगों के लिये बनाये गये थे। लखनऊ और कानपुर की लोग दौड़ लगा रहे हैं। सब कुछ ठीक है लेकिन फाइनांसिंग का इन्तजाम नहीं है, रा मैटेरियल्स का इन्तजाम नहीं है। फैसला ही नहीं होता, यह हाल है। मैंने एक पत्र लिखा था भूतपूर्व उद्योग मंत्री को, जो ३३ इण्डस्ट्रियल स्टेट्स हैं, उनको देखिये। उसमें काम करने वाले योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन वहां भी पोलिटिकल लीडरशिप है।

कितने बैंकों के चेयरमैन्स को यू० पी० में बुलाया गया है। एल० आई० सी० के चेयरमैन को यू० पी० में बुलाया गया है ? इन २ सालों में स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा के डाइरेक्टर को बुलाया गया, बुलाया जाना चाहिए। कितने बार वित्त मंत्री बम्बई गये। हम साल में २ बार जाते थे ताकि वहां रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर सभी से बात की जा सके। कितना रुपया जनरल इंश्योरेन्स से हमारे यहां आ रहा है।

आप पृष्ठ ३३ पर देखें, लिखा है "सभी बैंकों द्वारा अपने नेतृत्व में जनपदों के लिये ऋण योजनायें बनाई गई हैं। ग्राम्य विकास को विशेष महत्व देते हुए इन योजनाओं के अन्तर्गत निहित वित्तीय लक्ष्यों का लगभग २.३ भाग कृषि एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रमों में ही विनियोजित किया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुरूप लाने के लिए इन सभी ऋण योजनाओं को अब वर्ष १९७९ के अन्त में समाप्त कर अगले ३ वर्षों के लिये नयी ऋण योजनायें बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।" आप देखिये यह कैसी घोषणा है। जो योजनायें चल रही हैं, उनको समाप्त कर दें और नयी बनायें। ३ साल लग जायेंगे तब तक योजना बनेगी तो मेहरबानी करके जो बन गयी हैं उनको रहने दिया जाय।

माननीय उप मुख्य मंत्री जी, आजमगढ़ का लीड बैंक कहां है ?

(हंसी)

आप बताइये,

एक सदस्य--

लीड के माने क्या हैं ?

(हंसी)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अब आजमगढ़ का जो लीड बैंक है वही बनारस और गाजीपुर का है। तो यह जो लीड बैंक है इसकी कितनी मीटिंग जिला लेविल पर हुयीं। हमने इसके लिये डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस अफसर को नियुक्त किया था। हमने यह इसलिये बनाया था कि वह इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का काम देखेगा, रेवेन्यू के सम्बन्ध में उसको हमने अधिकार दिये थे। लेकिन अब उसको इक्जीक्यूटिव डयूटीज दी जा रही हैं। उस पद का उपयोग आज नहीं किये जा रहा है। इंडस्ट्रीटियूशनल फाइनेंस का डाइरेक्ट्रेट काम कर रहा है लेकिन पोलीटिकल लेविल पर उनको डील नहीं किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि आने वाले तीन महीने के अन्दर तमाम बैंक्स के चेयरमैनों को, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के लोगों को यहां बुलाया जाय और उनको दिखाया जाय। लीड बैंक की योजना खत्म न की जाय। जो यह तीन साल वाली योजना है अकेले उत्तर प्रदेश के लिये यह घातक सिद्ध होगी और क्रेडिट डिपाजिट रेशियों नीचे चला जायगा। बैंकों में जो जमा होता है और जो खर्च होता है उसे क्रेडिट डिपाजिट रेशियो कहते हैं। पृष्ठ ३३ पर जो नीति की घोषणा की गयी है अगर वह लागू की गयी तो यह रेशियो घट जायगा। एक चीज मैं इसी में और जोड़ना चाहता हूं कि पिछले २ सालों में इस शासन को जो केन्द्र से लोन मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाया है। हमने अपने जमाने में लगभग ४० करोड़ लिया था। लेकिन वही आज उनको दिल्ली से मिल रहा है। जब मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का कार्य सम्भाला था तो १२ करोड़ मिलता था।

श्री अधिष्ठाता--

आपके लिये कोई समय की सीमा तो नहीं है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप कितना समय लेगें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

४ बजे तक के लिये आपने कहा था ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह उत्तर प्रदेश के लिये बड़ा भारी अन्याय हो रहा है जिसका निराकरण हमने किया था । विकास योजनायें जो हैं, डेवलपमेंट लोन रिजर्व बैंक मंजूर करता है । हमने लड़-लड़ कर १२ करोड़ से ४० करोड़ करवाया था । अगर योजना को आगे बढ़ाना है तो रिजर्व बैंक, प्लानिंग कमीशन के लोन को और बढ़ाना होगा । मैंने यह बात सन् ७७ में कहा था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बजट डाकूमेंट में पिछले साल ४० करोड़ रुपये लिये गये । ४७ करोड़ लेने की बात थी । इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की, प्लानिंग कमीशन की जितनी निंदा उत्तर प्रदेश के लिये की जाय, कम है । उत्तर प्रदेश को सिर्फ ४० करोड़ मिला जबकि अन्य राज्यों को जो हमसे आधे से कम हैं, दो गुने और तीन गुने रुपया मिला है । अगर बैंकों को छूट दी जाय तो वह उत्तर प्रदेश को १०० करोड़ दे सकते हैं लेकिन रिजर्व बैंक उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के प्रति आज भी जागरूक नहीं है, जितना होना चाहिये ।

(इस समय ३ बजकर ४६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शम्भूनाथ पीठासीन हुए) ।

तो ऋण सम्बन्धी असफलता वित्त मंत्री की बहुत बड़ी असफलता मानी जाती है । १९७७ और १९७८ दोनों में ही ४० करोड़ रुपया यह ले पाये हैं, यह कहां तक उचित है । तो यह उत्तर प्रदेश के विकास के लिये बड़ा भारी अवरोध है ।

अब श्रीमन्, राज्य कर्मचारियों का महंगाई-भत्ता और पेन्शन बढ़ाई गयी तो यह अच्छी बात है । लेकिन जो राज्य कर्मचारियों के हित में व्हिटले कौन्सिल के अनुरूप सचिवालय में एक संगठन बनाने की बात थी उसको दो साल तक क्यों रोका गया । उसमें अब क्या किया जा रहा है यह स्पष्ट नहीं है । जबकि दो-तीन बार इसका एलान हुआ है । इसलिये इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संगठन की स्थापना कब हो जायेगी ।

श्रीमन्, इसी तरह स्थानीय निकायों के बारे में टोल टैक्स आक्ट्राय समाप्त किया गया, यह अच्छा निर्णय है । लेकिन मैं नहीं मानता कि २ और १ प्रतिशत माल और यात्रीकर तथा प्रवेश शुल्क ४० रुपये जो लगा है उससे नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज की हानि की पूर्ति हो जायेगी । नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज के पास टोल टैक्स और अक्ट्राय आय के मुख्य जरिये हैं । इसको समाप्त करने से एक तरफ तो हानि होगी और दूसरी तरफ वहां का जो स्टाफ है वह कहां पर खपाया जायेगा, यह शासन की ओर से घोषित नहीं किया गया है । जैसे शराब बन्दी से प्रभावित होने वाले जो एक लाख कर्मचारी हैं, वह आज बेकार होने

वाले हैं । तो जहां सरकार एक तरफ रोजगार देने की बात कहती है लेकिन दूसरी तरफ यहां बेरोजगारी बढ़ रही है । तो जैसे उनके लिये नहीं सोचा गया उसी दूसरी तरह स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये भी नहीं सोचा गया है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं और टाउन एरिया में जो पथकर समाप्त किया गया है उससे कितना घाटा होने की सम्भावना थी और क्या जो टैक्स संभावित है उससे वह पूरा हो जायेगा ? क्या सेवेंथ फाइनेन्स कमीशन की संस्तुति में इसको स्पष्ट नहीं किया गया है या किया गया है । लेकिन जहां हम बैरियर्स समाप्त करने का स्वागत करते हैं वहीं नगर की सफाई और स्वच्छता के लिये उन्हें पूरा-पूरा इसका मुआवजा दिया जाय और वह न केवल आज की आवश्यकतानुसार बल्कि भविष्य के अनुसार दिया जाय तथा जो नई नगर पालिकायें बनने वाली हैं उनका श्रीमन्, क्या होगा ? इसलिये उनके लिये भी आपको प्राविधान करना होगा क्योंकि वह यह कर नहीं लगा सकते हैं । इसलिये जो नई योजनायें बनायी जा रही हैं उसमें नई नगर पालिकाओं के लिये भी प्राविधान होना चाहिये ।

श्रीमन, इसी प्रकार शिक्षा की भी स्थिति है । वर्तमान सरकार ने एक बात स्वीकार कर ली है कि पिछले शासन में शिक्षा की दुर्व्यवस्था थी क्योंकि आते ही इन्होंने प्राथमिकता दी कि जो शिक्षा में अराजकता है वह हम समाप्त करेंगे । इसको मुख्य मंत्री ने भी स्वीकार किया है । लेकिन श्रीमन्, इसमें सबसे बड़ा खतरा जीरो सेशन होने का है । कुछ जिम्मेदारी है इसके लिये कि जो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हम एक सीजन घोषित कर देंगे । इसका मतलब कि तीन साल एक यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से कोई भी ग्रान्ट डिग्री कालेज को नहीं मिलेगी । जहां पहले कहते थे कि शिक्षा गलत है और नहीं के बराबर है, वहीं आज नये मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि इम्तहान लेंगे । नकल वाला इम्तहान होगा । भूतपूर्व शासन की नीति थी कि पढ़ाई-लिखाई के बाद इम्तहान होना चाहिये ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

यह सारा नाश भूतपूर्व शासन ने किया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इम्तहान बिना-पढ़ाई के नहीं हो सकते । अब पढ़ाई-लिखाई तो हुयी नहीं । इम्तहान कर देंगे । तमाम विद्यार्थी आते हैं और कहते हैं कि कैसे इम्तहान होंगे पढ़ाई तो हुयी नहीं । कैसे साल भर का कोर्स गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त क्लासेस लेकर कर सकते हैं ? तो बिना पढ़ाई के इम्तेहान कर रहे हैं । शासन की यह नीति नकल को और प्रोत्साहन दे रही है । जब पढ़ाई नहीं होगी, तो नकल को प्रोत्साहन होता है ।

श्री रियासत हुसन--

पेपर आउट करवाइये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, वह एक कहावत है कि किसके आगे बीन बाजे कौन खड़ा पगराय ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

बीन बजावै, भैंस पगुराय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं नाम नहीं लेता कि कौन पगुराय । मैं निवेदन कर रहा था कि बिना पढ़ाई के इम्तहान कराने से नकल को और प्रोत्साहन मिलेगा । ऐसे-ऐसे आदेश हाईस्कूल बोर्ड के आ रहे हैं कि उससे नकल को प्रोत्साहन मिलेगा जैसे एक आदेश तमाम स्कूलों में गया है कि दो/दो स्क्वायर फिट पर विद्यार्थियों को बिठायें। कक्षा में जगह नहीं । दो फिट में बिठायेंगे तो नकल तो होगी ही । तमाम आदेश स्कूलों में गये हैं । इतने सट कर बैठते हैं तो नकल नहीं होगी और क्या होगा ? आज सबसे बड़ा खतरा क्या है ? हाई स्कूल नकल से पास हुआ । इन्टरमीडिएट नकल से पास हुआ, डिग्री नकल से पास हुआ और एम० ए० नकल से पास हुआ और सिफारिश से नौकरी में आ गया । इस तरह से पीढ़ी भर अयोग्य रहा । तो इस तरह से अयोग्य पीढ़ी को बढ़ावा दे रहे हैं । मैं तो कहता हूं कि जब पढ़ाई नहीं होगी, ठीक से पठन-पाठन नहीं होगा, ये सारे इम्तहान बेकार हैं । तो शिक्षा नीति में केवल इम्तहान से सुधार नहीं होने वाला है । यू० जी० सी० के लोगों को बुलाया नहीं, अध्यापकों का सहयोग लिया नहीं, अभिभावकों का सहयोग लेने की कोशिश नहीं की, आखिर कैसे समस्या को हल करेंगे ? छात्र संघ के नेताओं से मुख्य मंत्री जी ने बात की थी । यह अच्छा कदम था । यूनिवर्सिटी की यूनियन्स से बातें कीं, लेकिन कोई हल नहीं निकला । तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला ।

अब सहकारिता विभाग के सम्बन्ध में जरा देखें । हमारे सहकारिता मंत्री जी की मुस्कान बड़ी रचनात्मक है और उनके व्यक्तित्व से सहकारिता की भावना टपकती है । इस विभाग की नीति में जो कमी है, वह यह है कि रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट बैंक आफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी, उसको सही मायने में अनुपालन करना शेष है । कन्जेम्पशन लोन के बारे में जो निर्णय हुआ था, सहकारिता विभाग में जो क्रेडिट है, जो महाजन से मुक्त करने की बात है पब्लिक ऋण देकर उस कन्जेम्पशन लोन की व्यवस्था नहीं । तो आज जो ७,२०० सोसाइटीज बनी हैं, यह अच्छा काम है, लेकिन फार्मर्स सोसाइटीज का गठन ढीला हो गया) हम केवल ऋण के बटवाने में जोर दे रहे हैं । ऋण किस चीज के लिये इस्तेमाल हो रहा है, इस पर नियंत्रण कम होता जा रहा है । मैं यह सुझाव दूंगा कि फार्मर्स सोसाइटीज का गठन किया जाय क्योंकि इससे बैंकों की धनराशि का इस्तेमाल किसानों के हक में हो सकता है । इस समय हम केवल रिजर्व बैंक आफ इंडिया के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन जो दूसरे ऋण हैं, उसका इस्तेमाल कम कर पा रहे हैं, कामर्शियल बैंक के ऋण का इस्तेमाल कम कर पा रहे हैं । इसलिये जरूरी है कि फार्मर्स सर्विस सोसाइटीज पर जोर दिया जाय । जो हमारी डेरी सोसाइटीज हैं, उनके संगठन पर जोर दिया जाय, कन्जेम्पशन लोन की व्यवस्था की जाय । इन सबका इस बजट में, जहां सहकारिता के बारे में उल्लेख किया है, इस महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख नहीं किया ।

हरिजन और पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में बता चुके हैं । पांच-साढ़े पांच करोड़ रुपये की धनराशि इसमें कम कर दी गयी । यह कैसी योजना है कि हरिजन पिछड़े वर्गों के लिये, जिनके लिये स्कालरशिप की भी घोषणा की थी, उनकी धनराशि कम हो जाय । शिड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन की थी कि औद्योगिक बनायेंगे कारीगरों के लिये । आगरा में चर्म निगम बना था हरिजनों के लिये कि जो चर्मकार भाई हैं, उनका शोषण न हो और आगरा का डलिया सिस्टम समाप्त हो । आगरा में नेशनल लेदर डेवलपमेन्ट और स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट का दफ्तर है लेकिन चमकारों के शोषण में कमी करने की योजना अधर में पड़ी हुयी है ।

यह सोचा गया कि केवल हम शिक्षा में स्कालरशिप देकर उस बात पर जोर न देकर उनके मन में उद्योग धन्धों की तरफ रुझान बनाने के लिये हरिजन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन बनाया गया था और आदिवासियों के लिये निगम बनाये गये थे और जो थारु, बोक्सा और दूसरे जानसर के लोग हैं, जो जोनसार भाभर का कार्यक्रम था, उसकी भी मानीटियरिंग नहीं हो रही है। तो हरिजनों के बारे में यह स्थिति है। पेयजल की योजना के बारे में भी मानीटियरिंग नहीं हो रही है।

श्री अधिष्ठाता--

अभी आप कितना समय लेंगे ?

श्री ऊदल--

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि ४ बजे से दूसरा विषय ले लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, १० मिनट में समाप्त कर लेंगे।

मैं निवेदन कर रहा था हरिजन समाज कल्याण और दूसरी जातियों के लिये कार्यक्रम थे, उद्योग के लिये कार्यक्रम थे, जो रोजगारपरक कार्यक्रम थे, उनकी मानीटियरिंग नहीं हो रही। पेयजल योजना तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ऐसी योजनायें जो रोजगारपरक होनी चाहिये, उनको नहीं किया गया।

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के बारे में थोड़ा सा निवेदन कर दूं। चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल इंस्टीटयूट उत्तर प्रदेश में बनने की बात थी। ५० लाख रुपया लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास जमा है और पिछले स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया भूतपूर्व शासन की योजनाओं के बारे में जहां गरीब लोगों को भी एक्सपर्ट की राय के लिये दिल्ली जाना पड़ता है आल इंडिया मेडिकल इन्स्टीटयूट में हमने हार्ट और कैंसर के इंस्टीट्यूट बनाये हैं कानपुर में। लेकिन अब दो बातें होनी चाहिए। एक तो हमारा अपना मेडिकल इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में हो, जो उच्चस्तरीय पढ़ाई भी करे और एक्सपर्ट सर्विस की भी व्यवस्था करे। यह योजना दो साल से ठप पड़ी हुई है। वादा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट बनेगा, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हर जिले में अब हार्ट सेन्टर की जरूरत है, जहां पर कि हार्ट स्पेशलिस्ट हों, क्योंकि आज हमारी उमर तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ जो बीमारियां हैं, हार्ट की या हेमरेज होने की, उसके लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेड्स की सप्लाई कराने की व्यवस्था बहुत जरूरी है।

हमने सुना था कि पर्वतीय डाक्टर चिकित्सा सेवा बनाई जा रही है, लेकिन इसमें कोई भी उल्लेख नहीं है। आज दूर-दूर के इलाकों में भी डाक्टर नहीं है, कम्पाउन्डर तक भी नहीं है। आज हमें इस स्थिति में होना चाहिए कि प्रदेश के हर जिले में हम डाक्टर रखेंगे। यह निर्णय हुआ था कि नए डाक्टरों को ३ साल तक किसी बड़े जिले में नहीं भेजा जायेगा, लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ, उसका कार्यान्वयन होना चाहिये। बेयरफूट डाक्टरों की जो योजना थी, उसको देना दबा दिया गया, वह योजना बन्द कर दी गई या क्या हो गया, इसका कोई भी उल्लेख इस बजट में नहीं है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अस्पतालों का एक और बुरा हाल यह है कि जहां कोई इंस्ट्रूमेन्ट या एक्सरे मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, उसको ठीक कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए मोबाइल मशीन की व्यवस्था होनी चाहिये, जो कि जहां कहीं भी कोई यन्त्र या एक्सरे मशीनें खराब हों, वहां जाकर उसे ठीक करें। आज ऐसे-ऐसे अस्पताल हैं, जहां दो-दो साल से एक्सरे मशीनें खराब पड़ी हैं और उनको ठीक कराने के लिए बम्बई और मद्रास चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, लेकिन कोई उनको ठीक करने नहीं आता। आज मेडिकल कालेजों में कितनी मशीनें बेकार पड़ी हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है आज सबसे बड़ी जरूरत मोबाइल स्क्वाड की है, जिसका योजना में कोई प्राविधान नहीं है।

उर्दू के विकास का इसमें जिक्र किया गया है, क्या किया जा रहा है उर्दू के लिए ? दो साल पहले हमने १० लाख की ग्रांट उर्दू अकादमी को दी थी, आज भी वही है, एक पैसा भी इस सरकार ने नहीं बढ़ाया है। श्री फखरुद्दीन अली अहमद फंड का क्या हुआ ? जो हमने बढ़ाया था, उसका विकास नहीं हुआ है। उर्दू की शिक्षा के लिए जो अध्यापक रखे जाने वाले थे, वह अध्यापक भी नहीं रखे गये हैं।

श्रमिक मजदूरों के लिए एक इंडस्ट्रियल कोड बनाने के लिए यहां ऐलान किया गया था, कहां है वह कोड ? दो साल बीत गए। क्यों ऐलान किया गया था ? उस कोड का कोई भी उल्लेख आज बजट में नहीं है और जो एग्रीकल्चरल लेबर हैं, उसके लिए जो योजना बनाई गई थी, आज तक कहीं भी एक भी कोई केस हमको बता दीजिये, जिसमें खेतिहर मजदूरों को मजदूरी न देने के लिए किसी को सजा दी गई हो ? श्रम मन्त्री बता दें, चाहे वित्त मन्त्री बता दें। लेकिन एक केस भी उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं हुआ। नई नीति आपकी है, ग्राम सभा को अधिकार दे दिये हैं।

श्रीमन्, इस बजट भाषण को भावों को लेकर समाप्त करना चाहता हूं। भाव सूचकांक के जो आंकड़े हैं, वह इस तरह से घुमा-फिरा कर दिये गये हैं कि उत्तर प्रदेश में आज भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसका कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में एक लाइन लिखा दी है कि हाल ही में वृद्धि शासन के लिए चिन्ता का विषय है। कारण कोई नहीं है। एक लाइन में सारा मामला समाप्त कर दिया है। आज हमारे प्रदेश में अधिकांश जो जीवनोपयोगी वस्तुयें हैं, उनका भाव २५ प्रतिशत बढ़ गया है। आलू हो, गेहूं हो, गन्ना हो, जिसको किसान बेचता है, सब की हालत बुरी है। गेहूं को न खरीदे जाने की वजह से कितना भाव सरकारी है और किस भाव में किसान को गेहूं बेचना पड़ रहा है। गेहूं लें, आलू लें, गन्ना लें, सब का वही हाल है। कृषि उत्पादित वस्तुओं का भाव नीचे जा रहा है और नगरीय वस्तुओं का भाव, औद्योगिक वस्तुओं का भाव ऊपर जा रहा है। पेज २४ पर आप देखें। महंगाई का शिकार गरीब ज्यादा हो रहा है, पहले से ज्यादा शिकार हो रहा है, यह इस बजट की देन है। श्रीमन्, यह जनता पार्टी के शासन की नीति की देन है।

मुझे श्रीमन्, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रस्तुत बजट उत्तर प्रदेश की दस करोड़ से अधिक जनता की आकांक्षाओं की, अभिलाषाओं की, योजनाओं के प्रति उसकी आस्था का प्रतिबिम्ब नहीं है, यह अव्यावहारिक है, अधूरा है, प्रगति को रोकने वाला है कई अंशों में, पिछली योजनाओं के अनुरूप नहीं है, वृद्धि का वास्तविक प्रतीक नहीं है, नीतिहीन है, दिशाहीन है, प्राणहीन है, इसलिए इस बजट का स्वागत करने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूं।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण माननीय नेता विरोधी दल से चाहता था, जिज्ञासा हो गई है। माननीय नेता विरोधी दल ७५-७६ में चीफ मिनिस्टर थे और उनको याद होगा। क्या पिछले (व्यवधान) बीस वर्षों में प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम एक पैसा ही बढ़ी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पर कैपिटा इन्कम अब ६ रुपया बढ़ गई है।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

हमारे नेता विरोधी दल ने उर्दू का जिक्र किया तो मैं एक शेर पेश करना चाहता हूं—

दिल में फूल और जेब में ढेले लिये हुये,
सारी गुरू की शान चेले लिये हुये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, शेर का उत्तर शेर में ही दे रहा हूं—

या रब बता दूं क्या फर्क तुझ में मुझ में,
तेरा दर्द तन्हा मेरा दर्द दर्दे जमाना।

जनपद नैनीताल की काशीपुर तहसील के कुण्डेश्वरी में भण्डार गृह निर्माण हेतु भूमि खरीदे जाने के विषय में दिनांक १९ मार्च, १९७९ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

*डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

मान्यवर, १९ मार्च, १९७९ को तारांकित प्रश्न पूछा गया था। मन्त्री जी ने उसका जो उत्तर दिया था, उससे पूरी रोशनी प्रश्न पर नहीं पड़ती थी, इसलिये इस पर आधे घण्टे की चर्चा नियत की गई।

श्रीमन्, राजनीतिक भ्रष्टाचार का पूरे प्रदेश और देश में इससे अभूतपूर्व मामला और नहीं होगा, ऐसा लोगों का विश्वास है जिस समय चौधरी साहब इस प्रदेश के मन्त्री थे, उस समय उनके भतीजे श्री गोविन्द सिंह को यह जमीन सरकार द्वारा दी गयी थी, एजफ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन और उसने यह शर्त थी कि इसे वह बेचेंगे नहीं। लेकिन जब चौधरी साहब पुनः केन्द्र में गए और उनका दामाद उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का चेयरमैन हो गये, तो उनके द्वारा वह जमीन गांव की जमीन होने के बावजूद बजाय एकड़ के हिसाब के वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदी गयी और उसकी पैमाइश ७१,६६३ वर्गमीटर आंकी गयी और पूरी कीमत लगभग ८,७०,३२८ रु० बैठी। काशीपुर से ५ किलोमीटर यह जमीन है, जब कि खास काशीपुर में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदी और उसकी कीमत भी बहुत कम थी। शायद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल]

ही कभी इतनी अधिक कीमत म आज तक वेयर हाउसिंग कमेटी ने कोई जमीन खरीदी होगी, जितनी महंगी यह जमीन खरीदी गई। फिर यह भी आज तक पता नहीं लगा कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या प्रस्ताव था, जिसके द्वारा यह जमीन खरीदी गयी ? वह प्रस्ताव मीटर के हिसाब से खरीदने का था एकड़ के हिसाब से ? ऐसी कोई जानकारी सदन को नहीं दी गयी।

इसके अलावा एक प्रश्न के उत्तर में सहकारिता मन्त्री ने यह उत्तर दिया था कि तीन लाख रुपया जो एडवांस दिया गया था, वह वापस कर दिया गया, जब कि बैंक ड्राफ्ट उनको ८,७०,३२८ रुपय का नं० एए ५७३८८४, दिनांक २०-१-७९ स्टेट बैंक आफ इंडिया, काशीपुर के नाम से दिया गया था जो कि जमीन की पूरी कीमत थी। जब यह सारा कांड खुला, देश व प्रदेश भर में इसकी चर्चा हुई अखबारों में सुर्खियों के साथ यह कांड आया तो मन्त्री जी का यह उत्तर आया कि ३ लाख एडवांस वापस कर दिया गया और यह बात उन्होंने स्पष्ट नहीं की कि जो एडवांस वापस किया गया, वह चेक में था या नकद था ? मैं आपके जरिये यह अनुरोध करना चाहूंगा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नमूना इस प्रदेश में आज तक नहीं हुआ, जिसमें की भाई भतीजावाद तथा दामाद के नाम पर इस प्रकार से गरीब जनता के खून पसीने की कमाई को बरबाद किया गया हो। श्रीमन्, इससे ज्यादा और इस जनता के पैसे के दुरुपयोग का कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा एक और बड़ा सदन है। उसमें भी इसकी गम्भीरता को देखते हुये माननीय सदस्यों ने राय दी है और उन्होंने इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन भी किया है। उसी प्रकार से मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि यहां भी माननीय सदस्यों की एक समिति बनायी जाय, जो इस घटना का विवेचन करके रिपोर्ट इस सदन को दे ताकि इस सरकार की कथनी और करनी का पता आम जनता के सामने आ सके।

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, माननीय कृष्णवीर सिंह जी ने जिस तरह से एक तथ्य लाने की कोशिश की है कि हिन्दुस्तान म इतना बड़ा करेप्शन कभी नहीं देखा गया और न सुना गया। मान्यवर, वे उधर से बैठे हुये हैं, वे ज्यादा जानते होंगे, मुझे उस बारे में ज्यादा नहीं कहना है, किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य का पूरा इम्प्रेशन यह था कि जो सोलंकी जी, वेयर हाउसिंग के चेयरमैन हैं और उनके रिस्तेदार गोविन्द सिंह हैं, इन लोगों ने मिलकर उस जमीन का सौदा किया, मान्यवर, वहां पर वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी, किन्तु लिखित रूप में रवीन्द्र प्रसाद जोशी, एडवोकेट, जो कि काशीपुर में ब्लाक प्रमुख भी हैं, उन्होंने ३-१०-७७ को भंडारागार निगम के चेयरमैन श्री सन्तन बड़थ्वाल को दिया था और कहा था कि चूंकि वहां पर पैदावार बढ़ गयी है, किसानों को कठिनाई हो रही है, इसलिये वहां पर वैज्ञानिक ढंग से भंडारण किया जाय और इस हेतु एक वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की वहां पर जरूरत है। श्री सोलंकी वहां पर से जनवरी, १९७८ को चेयरमैन हुये हैं। जब संचालक मंडल में यह मामला आया तो उसने भी यह तय किया कि वहां पर ऐसे गोदाम की जरूरत है। इसी आधार पर वहां पर जमीन की तलाश हुई। इस पर दो लोगों ने आफर किया। एक वाली ने औफर किया और दूसरे गोविन्द सिंह ने आफर किया। उसके बाद वहां के तहसीलदार से उस जमीन की जानकारी करायी गई

उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें उन्होंने कहा कि सन् ७६ में उस जमीन का बैनामा हुआ है। उसकी कीमत ५ रुपये प्रति वर्ग फीट थी, जिसकी कीमत ७१ रुपये वर्ग मीटर पड़ती है। दूसरा बैनामा ६ रुपये वर्ग फीट का हुआ सन् ७६ में और एक बैनामा हुआ ७९ में ७ रुपये वर्ग फीट के हिसाब से। इस तरह से वह जमीन खरीदी गई।

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ६६ रुपये वर्ग मीटर पड़ता था जब कि यह जमीन ७१ रुपये ६६ पैसे के हिसाब से खरीदी गई। तहसीलदार की जो रिपोर्ट थी, उसके अनुसार जमीन का दाम कम लिखा था। जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने ३ लाख रुपये से सम्बन्धित कोई बात नहीं कही। विधान परिषद् में जब वह सवाल उठा था तो मेरा विरोधी दल श्री ब्रह्मदत्त तथा माननीय ओम प्रकाश शर्मा ने यह उठाया और मैं जवाब दे रहा था। वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के जो चेयरमन श्री गुरुदत्त सोलंकी हैं, उन्होंने कहा अब इस जमीन की जो डील हो चुकी है, वह रद्द की जायेगी ऐसा विचार है। तीन लाख रुपये का एक चेक दिया है कारपोरेशन को। जिस तरह से लोग समझ रहे हैं और जो छीटाकशी की जा रही है, उसमें मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है, इस जमीन की कीमत ऐसी ही मुझे मिल सकती है। इसलिए उन्होंने तीन लाख रु० का चेक जमा किया है, यह बात मैंने सदन में कही थी, २८ मार्च को विधान परिषद् में।

दूसरी बात उन्होंने कही संचालक मन्डल ने तय नहीं किया कि वर्गफुट या वर्ग मीटर के हिसाब से दी जाय। जहां तक मैंने जानकारी की है, जितने भी वेयर हाउसिंग बने हैं, उनमें कहीं भी किसी मीटिंग में संचालक मंडल ने वर्गफुट या वर्ग मीटर के हिसाब से तय नहीं किया है, यह केवल अकेले काशीपुर में नहीं हुआ है। यह कहते हैं कि करप्शन बढ़ गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि दो साल के अन्दर इस कारपोरेशन ने इतनी तरक्की की है कि हिन्दुस्तान में और आपके प्रदेश में ऐसा कोई कारपोरेशन नहीं है, जिसने इतनी तरक्की की हो। एक करोड़ ६८ लाख ६० का ७७-७८ में लाभ हुआ और ७७-७८ में १ करोड़ ७५ लाख मुनाफा होने का अनुमान है। इस प्रकार कारपोरेशन ने ईमानदारी से और बड़े पैमाने पर काम किया है। हिन्दुस्तान के जितने स्टेट वेयर हाउस हैं, उनके [illegible] इसने तरक्की की है इन दो सालों में।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

पहले मन्त्री जी को समाप्त करने दीजिये।

श्री मुलायम सिंह यादव—

इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि कारपोरेशन की छवि को धूमिल करने के लिये और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह का एक माहौल कुछ लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। कुछ लोगों को राजनीतिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाने के लिये और कारपोरेशन की छवि को धूमिल करने के लिये यह प्रयास किया जा रहा है।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय.....।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री राम दत्त जोशी--

मैं ५ मिनट लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, आप प्रश्न कीजिए ।

श्री राम दत्त जोशी--

मैं जानना चाहता हूं कि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में जो इस गोदाम को बनाने के लिए भूमि खरीदने का निर्णय हुआ उसमें काशीपुर में भूमि के लिए कोटेशन मांगे गये ? यदि हां, तो कितने लोगों से कोटेशन आये । उसके बाद बोर्ड ने सबसे कम मूल्य वाले कोटेशन को लिया या ऐसे ही चुपचाप गोविन्द सिंह स्वयं कोटेशन लेकर चले आये । इस बात का पेपर में एडवरटाइजमेंट किया गया ? कोटेशन मांगे गए अथवा नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, संचालक मंडल के समक्ष दो व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी का आफर नहीं आया जमीन देने के लिए एक बाली साहब हैं बाद में उन्होंने मना कर दिया ।

श्री राम दत्त जोशी--

कोटेशन मांगे गये कि नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कोटेशन कभी भी, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, अभी तक जो गोदाम बनाये हैं उसमें कहीं भी कोटेशन नहीं मांगे गये और न ही इसमें मांगे गए ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, इसके तीन आस्पेक्ट हैं (१) गोविन्द सिंह जी को जो जमीन मिली थी उसमें उनके पट्टे की शर्त के अनुसार उनको जमीन बेचने का अधिकार नहीं था (२) जो बाली साहब ने आफर दिया था वह किस हिसाब से था (३) यह जो फाइनल डीड हुई है .... सोलंकी जब उसके चेयरमैन थे, तब फाइनल डीड हुई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उनको अधिकार था या नहीं जमीन बेचने का, वह जो रिपोर्ट आई है वकील की जमीन के बारे में, उनके अनुसार उस जमीन पर कोई विवाद नहीं है । उसमें प्रमाण-पत्र आया था कि इनको बेचने का अधिकार है । दूसरी बात, जिस

वक्त यह डीड हुआ, यह चेयरमैन थे। तीसरी बात बाली साहब ने जो आफर किया था, उसमें उन्होंने कहा कि पिछले बार हमारी जमीन इस भाव बिकी थी। वह ६६ रुपए से कुछ अधिक का रेट मांगते थे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जून, १९७७ के बाद कहां-कहां आपके वयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोदाम बने ? और उनके लिए जो जमीन खरीदी गई, उसमें क्या इससे हाइयेस्ट कीमत कहीं दी गई या यहीं दी गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसके लिए सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री ऊदल--

मंत्री जी ने अभी बताया कि उन्होंने विधान परिषद् में जवाब दिया था कि ३ लाख रुपया जमा हो गया है और डीड को खत्म करने पर विचार हो रहा है ? तो क्या अब तक वह डीड खत्म किया गया और जो ९ लाख रुपए का ड्राफ्ट दिया गया था, वह जमा हो गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

डीड का खत्म करना या न करना, कारपोरेशन, जो एक स्वायत्तशासी संस्था है, का काम है। हम शासन की तरफ से उसे डीड खत्म करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। मैंने उस समय सूचना सोलंकी साहब के पत्र के आधार पर दी थी कि डीड खत्म करने का इरादा है और तीन लाख रुपए का चेक दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री ऊदल--

मेरा प्रश्न बड़ा साफ है, मंत्री जी ने परिषद् में अपने बयान में कहा था कि ३ लाख रुपया वापस हो गया है, चेक के ऊपर भी मंत्री जी ने पढ़ा था वहां। उसको जमा करने को कहा था और यह भी कहा था कि डीड खत्म करने का विचार हो रहा है। तो तीन लाख रुपया जमा हो गया है और शेष ६ लाख रुपया का क्या हुआ, क्या वह भी जमा हो गया ? और डीड खत्म करने का जो विचार हो रहा था, उसमें कारपोरेशन की तरफ से क्या कोई सूचना आई है कि डीड खत्म हो गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

अभी डीड खत्म नहीं किया गया है। उस पर संचालक मंडल विचार कर रहा है।

श्री रामदत्त जोशी--

मेरी सूचना है कि ३ लाख रुपए का जो चेक दिया गया है वह डिस्आनर हो गया है ?

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, कुन्डेश्वरी रेवेन्यू विलेज है, शहर या म्युनिसिपैलिटी नहीं है, तो जब यह जमीन खरीदी गई, उस समय यहां पर एक एकड़ से अधिक जमीन की कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं ? और जिला मजिस्ट्रेट ने इनमें प्रति एकड़ का जो रेट निर्धारित कर रखा है, तो क्या वहां पर रजिस्ट्री के लिए डी० एम० ने कोई धनराशि प्रति एकड़ निर्धारित की है ? यदि की है, तो वह क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

मान्यवर, दो-तीन चीजें जानना चाहता हूं । कृपया मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विक्रेता थे जमीन के, उनको इस भूमि के भूमिधरी राइट्स मिल गए थे या नहीं ? नम्बर दो (व्यवधान) हूटिंग से दबाना चाहेंगे तो इस तरह का प्रश्न....

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शान्त रहें ।

श्री मोतीराम--

मैं जानना चाहता हूं कि इस भूमि के आसपास सर्किल रेट भूमि का क्या था जो कि सरकार की तरफ से निर्धारित था । दूसरी चीज, मान्यवर, तीन लाख रुपए का जो चेक मिला है कारपोरेशन को मेरी सूचना को सही मान कर कि बैंक से डिस्आनर हो गया है, इसलिए बाकी ६ लाख रुपया जो बाकी है उसके लिए क्या प्रयत्न हो रहा है कि उसकी रिकवरी एन्श्योर हो जाय अगर डीड कैंसिल हो गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जैसा अभी देव बहादुर जी ने अभी प्रश्न पूछा, मैंने बताया जो विस्तार से जानना चाहते हैं उसके लिए सूचना की जरूरत पड़ेगी । दूसरे जो पूछा कि भूमि बेचने का राइट था या नहीं, पहले बता दिया कि राइट मिल गया था ।

श्री अधिष्ठाता--

उन्होंने रुपया वापस होने की बात भी पूछी है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, तीन लाख रुपया वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के खाते में जमा हो गया है । यह जो कह रहे हैं कि चेक डिस्आनर हो गया, बिलकुल निराधार है । तीन लाख कारपोरेशन के खाते में जमा है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

मैं जानना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के लोगों के विभाग में यह सब से बड़ा देश का स्कैंडल माना गया है, उस सिलसिले में मंत्री जी बताएंगे कि रामनगर बाजपुर ग्रामीण सड़क के किनारे पूरब की तरफ जो जमीन है, जो आपके कारपोरेशन ने खरीदी है । उससे सटी दक्खिन तरफ बाबा बालो

को जमीन है, तो बाबा बाली जी की जमीन सात रुपए वर्ग फुट के हिसाब से बिकी है, उसमें दूकानें बनी हैं, स्टेट बैंक ने अपनी जमीन खरीदी है उसके ठीक पूर्व तरफ यह जमीन कारपोरेशन ने खरीदी है ?

श्री अधिष्ठाता--

जवाब दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

जैसा लारी साहब ने बताया वह सही है कि सात रुपए वर्ग फुट के हिसाब से वहीं बगल की जमीन खरीदी गयी उसका बैनामा हुआ। यह बात भी सच है कि वहां पुलिस चौकी व स्टेट बैंक है। जैसा यह कह रहे हैं, जंगल है, वहां तमाम दुकाने भी बनी हुई हैं।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

मैं जानना चाहूंगा कि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने तीन लाख रुपया क्यों जमा किया (व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होकर कुछ कहने पर)।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिए। आप तूल मत दीजिए, बैठिए।

श्री मंजूर अहमद--

माननीय मंत्री जी उसी कुंडेश्वरी गांव में एक लाख रुपए एकड़ की जमीन लेने के लिए तैयार हैं उसे रद्द करके ?

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई सवाल नहीं है।

श्री मंजूर अहमद--

पहले सवाल का जवाब दिलवा दीजिए, तीन लाख रुपए का।

श्री अधिष्ठाता--

हाईपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्नगत भूखंड के पड़ोस में सटा हुआ एक प्लाट २/१ श्री गोविन्द सिंह का है और उसको ७ रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से मोहम्मद अहमद को बेचा है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि इस देश के किस ऐक्ट के अन्तर्गत कारपोरेशन इस डीड को कैंसिल कराने का अधिकार रखता है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह एक स्वायत्तशासी संस्था है और कानूनी राय ले सकती है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जितने भी मेरे प्रश्न थे उनमें से किसी का भी उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया । इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि ३ लाख रुपया जमा करवाया गया और क्या गोविन्द सिंह का पत्र आया है जिसमें लिखा है कि ६ लाख रुपए की एक एम्बेसडर कार, एक इम्पोरटेड कार, एक टैक्टर और कुछ जेवरात खरीद लिए हैं ? क्या ऐसा कोई पत्र उनका मिला है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह तो एक काल्पनिक प्रश्न है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल---

आप केवल इतना ही बता दीजिए कि वह पत्र आपको मिला है या नहीं मिला ?

श्री अधिष्ठाता---

जो उन्होंने पत्र को रेफर किया है उसके बारे में माननीय मंत्री जी आप बता दें कि मिला है कि नहीं मिला ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मैं फिर से प्रश्न किए दे रहा हूं । क्या यह सही है कि जब उन्होंने ३ लाख रुपया मांगा तो उसको जमा करवा दिया और ६ लाख रुपए में एक एम्बेसडर कार, एक इम्पोरटेड कार, एक ट्रैक्टर और कुछ सोने के जेवरात खरीदने में खर्च हो गया ?

(शोर के मध्य)

कई सदस्य--

इनको यह पूछने की क्या जरूरत है ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहें ।

श्री मुलायम सिंह यादव---

इस प्रकार का कोई पत्र मुझे नहीं प्राप्त हुआ है । ३ लाख रुपया जमा किया गया और शेष के बारे में निर्णय लेने वाला संचालक मंडल है, यह उसको तय करना है ।

(शोर होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय कौशिक जी आप अपने सदस्यों को शान्त करें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहें ।

(व्यवधान)

आप लोग शान्ति बनाए रखें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह भी संचालक मंडल को निर्णय लेना है कि डीड खत्म हो या न हो ? पैसे के देने-लेने का भी सवाल संचालक मंडल को ही तय करना है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब इस पर चर्चा समाप्त । ४० मिनट इस पर हो चुके हैं, अब किसी को और इजाजत देना सम्भव नहीं है ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

नियम ५१ के अन्तर्गत ६ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनमें एक श्री देव बहादुर सिंह जी की है, सारनाथ (वाराणसी) संग्रहालय में संग्रहीत पुरातत्व महत्व की सम्पत्ति गायब हो जाने के सम्बन्ध में, इसे माननीय उपाध्यक्ष ने स्वीकार किया है। इस पर बयान देने के लिए १० मई, १९७९ का समय निर्धारित किया है ।

शेष सभी सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं ।

पुलिस के अत्याचारों एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैनपुरी जिले में चल रहे आंदोलन एवं भूख-हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

चिकित्सा मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २४-३-७९ को श्री तुलसी राम निवासी कस्बा बेवर, जिला मैनपुरी ने थाना बेवर पर इस आशय की सूचना अंकित कराई कि उस दिन चार अज्ञात लड़के उसकी दुकान पर आए और उससे मीठा उधार मांगा । वादी के इंकार करने पर उक्त लड़के उसे गाली-गलौज देने लगे । वादी के दुकान के भीतर वाले कमरे में चले जाने पर उसके पीछे-पीछे वे लड़के भी चले गए और वादी को डंडा लात-घूंसों से मारा-पीटा । उक्त सूचना के आधार पर धारा ४५२-३२३/५०६ भा० द० वि० का अपराध पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान घटना इस प्रकार पाई गई कि दिनांक २४-३-७९ को १०·१५ बजे दिन श्री राम स्वरूप गुप्ता, निवासी कस्बा बवर जिला मैनपुरी की दुकान पर एक अज्ञात लड़का सरसों बेचने आया और श्री राम स्वरूप गुप्ता द्वारा सरसों का वजन व कीमत कम बताए जाने पर उक्त लड़के तथा श्री गुप्ता के मध्य विवाद हुआ । उक्त लड़के ने जब सरसों वापस मांगी तो श्री गुप्ता ने सरसो को अपनी दुकान में रखी हुई सरसों में मिला दिया । इस पर झगड़ा बढ़ा तथा दो-तीन छात्रों ने भी इस मामले में श्री राम स्वरूप गुप्ता

[श्री रमा शंकर कौशिक--]

का विरोध किया। श्री राम स्वरूप गुप्ता के उत्तेजित होने एवं लड़कों को बुरा भला कहने पर लड़कों ने श्री राम स्वरूप गुप्ता को लात-घूसों और थप्पड़ों से मारा पीटा। इस झगड़े को देख श्री राम स्वरूप गुप्ता के सम्बन्धी श्री तुलसी राम, जिनकी दुकान बराबर में ही है, भी घटनास्थल पर आ गए और वे भी झगड़े में शामिल हो गए जिससे उन्हें मामूली चोटें आईं।

उक्त घटना की सूचना मिलने पर थाना बेवर के थानाध्यक्ष श्री ब्रजपाल सिंह राठी ३-४ सिपाहियों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही मारपीट करने वाले लड़के घटनास्थल से गायब हो चुके थे। पुलिस ने लड़कों की तलाश की परन्तु वे नहीं मिल सके। श्री राम स्वरूप गुप्ता को स्वयं घटना की रिपोर्ट लिखवाने हेतु कहा गया है परन्तु उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने से इंकार किया और कहा कि छात्रों से रंजिश मोल नहीं लेना चाहते हैं। जांच से ज्ञात हुआ है कि उक्त घटना की रिपोर्ट तथ्यों को उलट-फेर करके श्री तुलसी राम द्वारा अंकित कराई गई जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग कायम किया गया, जो विवेचनाधीन है।

उक्त घटना को लेकर कुछ व्यक्तियों द्वारा दिनांक २५-४-७९ से २४ घंटे का क्रमिक अनशन किया जा रहा है। जन सुरक्षा संघर्ष समिति बेवर, मैनपुरी की ओर से थानाध्यक्ष श्री ब्रजपाल सिंह राठी के विरुद्ध मांग-पत्र तथा स्मृति-पत्र जिला प्रशासन को दिए गए। उनमें उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए तथा दिनांक २४-३-७९ को उपरोक्त घटना में थानाध्यक्ष बेवर श्री राठी का कोई हाथ होना नहीं पाया गया। यह ज्ञात हुआ है कि कुछ व्यक्तियों ने थानाध्यक्ष पर प्रभाव डाल कर गलत कार्य कराने हेतु जोर दिया एवं उनके उद्देश्य की पूर्ति न होने के कारण थानाध्यक्ष पर निराधार आरोप लगा रहे हैं।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

ये पुलिस से भ्रष्टाचार छिपाने का पूरा वक्तव्य है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट लिखाने वाला है, यह पुलिस का दलाल है और स्वतन्त्रता संग्राम का सेनानी राम स्वरूप गुप्ता जो मारा गया, उसने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई और उसकी रिपोर्ट न लिखाने का कारण यह था कि सारे इलाके को और उस शहर की जनता ने कहा कि तुम्हारा आन्दोलन हम चलायेंगे, रिपोर्ट में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दरोगा हमेशा ऐसे ही करता है और किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। तो मंत्री जी बतावें कि सर्व-दलीय सुरक्षा समिति जो बनी, क्या कोई सर्वदलीय समिति है और उसमें मांग क्या थी ?

श्री अधिष्ठाता--

मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली हालत है।

श्री रमा शंकर कौशिक--

जहां तक रिपोर्ट लिखाने का सवाल है, जो मारा गया राम स्वरूप गुप्ता उसने तो स्वयं रिपोर्ट नहीं लिखाई। मान्यवर, उसने इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई है कि उसकी गलती खुद थी, क्योंकि कोई एक अज्ञात लड़के को सरसों को कम पैसों में लेना चाहा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मंत्री जी ने वक्तव्य के आखिर में जो लिखा है कि "जन सुरक्षा संघर्ष समिति, बेवर मैनपुरी की ओर से थानाध्यक्ष श्री बृजलाल सिंह राठौ के विरुद्ध मांग-पत्र तथा स्मृति-पत्र जिला प्रशासन को दिए गए और उसमें उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गयी।" मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जांच किसके द्वारा कराई गयी और क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार करेगी कि यह मामला बहुत गम्भीर है, राजनैतिक पीड़ित का मामला है, क्या सरकार इस मामले को विजीलेन्स को दे देगी ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, जैसा कि इस वक्तव्य में ही स्पष्ट है कि मौके पर पहुंचकर खुद थानाध्यक्ष ने राम स्वरूप गुप्ता से कहा कि तुम रिपोर्ट लिखा दो, लेकिन रामस्वरूप ने खुद ही रिपोर्ट लिखाने से इंकार कर दिया।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, ४५२ की नानबेलेबुल अफेंस है, तो जो इंवेस्टिगेटिंग आफीसर थे, उसने राम स्वरूप गुप्ता का बयान लिया या नहीं लिया ? यदि बयान लिया तो राम स्वरूप गुप्ता का क्या बयान है ?

श्री अधिष्ठाता--

इसमें तो कहा है कि उसने रिपोर्ट लिखाने से इंकार कर दिया। कोई बयान लिया हुआ हो, कोई सूचना हो, तो वह बता दें ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

तुलसीराम ने जो रिपोर्ट लिखाई जैसा कि वक्तव्य से स्पष्ट है, उसमें सामने देखने से ही बात जितनी लगती है वह मैंने बता दिया, बाकी जहां तक उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूरी विवेचना का सम्बन्ध है, वह विवेचना अभी हो रही है।

श्री रियासत हुसैन--

तुलसीराम ने घटना की रिपोर्ट लिखाई ४५२ कग्निजेबुल अफेंस (नानबेलेबल अफेंस) है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर जायगा, तो सबसे पहले उसका बयान लेना उसके लिए आवश्यक है।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, तुलसी राम ने घटना स्थल नहीं बताया है जहां घटना हुई है। मेरे बयान में है कि घटना राम स्वरूप गुप्ता की दुकान पर हुई। दूसरा बयान है कि तुलसी राम ने तथ्यों को तोड़--मरोड़ कर रपट लिखाई...।

श्री रियासत हुसैन--

हमें तो उस....

श्री अधिष्ठाता--

आप सिर्फ इतना बता दें कि इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर ने जो गुप्ता हैं, उनका बयान लिया है या नहीं ? आपके पास सूचना है या नहीं ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

इसकी सूचना मंगा लूंगा।

श्री राम सजीवन--

जन संरक्षण संघर्ष समिति आन्दोलन चला रही है, और उस दरोगा के खिलाफ जो बसों से १५ हजार रुपया कमाता है....।

श्री अधिष्ठाता--

इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस सुरक्षा समिति का मांग पत्र क्या है दूसरे जो यह ४५२ रिपोर्ट हैं उसका स्टेटमेन्ट क्या है ? जो माननीय रियासत साहब ने पूछा है--स्टेटमेन्ट से मुकदमा चल ही नहीं सकता।

श्री अधिष्ठाता--

यह बता दिया है। पहले वाले का जवाब दीजिये।

श्री रमा शंकर कौशिक--

जो मांग पत्र है उसमें कई चीजें हैं। एक तो बेवर थाने के थानाध्यक्ष श्री ब्रजपाल सिंह राठी के कार्यकाल में अपराधों की संख्या और आतंक बढ़ा है। अपराधों की संख्या में वृद्धि का एक कारण यह है कि सभी अपराधी गिरफ्त में नहीं आते। अनेक निर्दोष व्यक्तियों को झूठे केसों में फंसा कर जेल भेज दिया जाता है। छुट्टा घूम रहे अपराधी नये-नये अपराध करने के लिए प्रोत्साहन और अवसर पाते हैं।

२--थानेदार श्री राठी ने जहां इस सम्बन्ध में दोनों हाथों लूट कर लाखों की सम्पत्ति जमा की है और बेवर जिले के उपर्युक्त जन विरोधी भ्रष्ट रवैये के खिलाफ आवाज उठाने और हड़ताल करने और आन्दोलन चलाने की घोषणा से चिढ़ कर श्री राठी ने वयोवृद्ध जन नेता श्री राम स्वरूप गुप्ता को

साजिश करके २४-३-७९ को पिटवाया और कुछ अराजक तत्वों द्वारा उसकी दुकान में घुसकर श्री गुप्ता को घसीटकर पीट दिया गया और यदि अचानक जनता की दौड़ पड़ने पर अपराधी भाग न जाते तो शायद श्री गुप्ता की जीवन लीला समाप्त हो जाती ।

३--उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में....।

श्री अधिष्ठाता--

उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । मोटे तौर पर बता दीजिये ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

इसी प्रकार मान्यवर, दो-चार चीजें हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष के विरुद्ध जो आरोप पत्र आये थे, इसकी जांच किस अधिकारी ने की ? क्योंकि मान्यवर, जो संदेह हो रहा है उसमें उस पर संदेह किया गया है ? क्या उन्होंने रिपोर्ट दी है । उक्त घटना की रिपोर्ट तथ्यों को उलट-फेर करके तुलसीराम द्वारा दर्ज करायी गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि घटना राम स्वरूप गुप्त की दूकान में हुयी । इसलिये हुयी कि एक अज्ञात लड़के की सरसों वह कम कीमत पर लेना चाहते थे । इस बीच में उनके सम्बन्धी वहां पर आ गये और उनको भी मारा गया । जब थानेदार और सिपाही वहां पहुंचे तो श्री राम स्वरूप गुप्ता ने मना कर दिया कि उन्हें रिपोर्ट नहीं लिखानी है । श्री तुलसी राम ने एक रिपोर्ट लिखायी कि लड़के मुझसे मीठा उधार मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया तो वह दूकान के अन्दर घुस कर मारा । राम स्वरूप गुप्ता ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, यह घटना किस तारीख को हुयी और किस तारीख को विवेचना तफतीश कुनिंदा को सुपुर्द की गयी । जब राम स्वरूप गुप्ता ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी तो राम स्वरूप गुप्ता का बयान अब तक न लेने का क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मैंने यह नहीं कहा कि राम स्वरूप गुप्ता का बयान नहीं लिया गया । तुलसी राम की रिपोर्ट पर विवेचना जारी है । यदि आप चाहते हैं तो मैं राम स्वरूप गुप्ता के बयान से आपको अवगत करा दूंगा । रिपोर्ट उन्होंने नहीं लिखायी ।

श्री ऊदल--

मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त की हालत है । क्या इस बात की जांच करायेंगे कि तुलसी राम से फर्जी रिपोर्ट थानाध्यक्ष ने लिखवायी है ।

श्री अधिष्ठाता--

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जन सुरक्षा संघर्ष समिति ने जो ज्ञापन दिया है जिसके बारे में आपने कहा है कि तथ्यहीन है और जिले के एक क्षेत्राधिकारी से आपने जांच करायी । उसके बावजूद अनशन हो रहे हैं । तो यह प्रश्न गम्भीर है और क्या इसकी जांच सी० आई० डी० या क्राइम ब्रांच विजीलेंस से करवायेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, यह कोई ऐसा गम्भीर मामला तो है नहीं । कहीं गम्भीर मामले में ऊदल जी यह बात कहें तो मैं उनकी बात को सर आंखों पर लेने को तैयार हूं ।

श्री राम सजीवन--

बेवर में जबर्दस्त आंदोलन हो रहा है, दरोगा के खिलाफ आंदोलन हो रहा है । ११ तारीख को जिले भर में आंदोलन होने वाला है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बांदा से मैनपुरी गये थे, आप भी आंदोलन में शरीक हुये थे ?

श्री राम सजीवन--

यदि जरूरत पड़ी तो हो सकता हूं । (हंसी)

तो इतने बड़े जनमत को देखते हुये, दरोगा अपने को आई० जी० का रिश्तेदार बताता है, इसकी जांच करके कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, रिश्तेदार तो कोई किसी का हो सकता है, इसमें किसी को कौन रोक सकता है । प्रश्न यह है कि ज्ञापन को मैंने पढ़कर सुनाया । तथ्यात्मक कोई शिकायत हो तो उसमें जरूर जांच करायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

८ मई, १९७९

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८(२) के तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३० पर]

जिलेवार विवरण

जिला	आरक्षण विरोधी अभियान में प्रदेश में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर गत तीन माह में दर्ज किए गये मुकदमों की संख्या (१-१२-७९ से २५-२-७९ तक)	दफायें जिनके अन्तर्गत मुकदमे दर्ज दिये गये	की गई गिरफ्तारियों की संख्या	दाखिल की गई चार्ज शीटों की संख्या
१	२	३	४	५
१—फैजाबाद	३८	२९ हस्तक्षेपीय तथा ९ अहस्तक्षेपीय अपराध भा०दं०वि० की धारा १४७/४२७/३३६/१८८/३२३/१८९ इत्यादि के अन्तर्गत	३१	१६
२—इलाहाबाद	४०	धारा १४७ / १४८/१४९/३३६/४३५/४५४ / ४३६/४२७/१८८/३२३ / ३५२/४५४ आई० पी० सी० ७ क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत	५८	४
३—लखनऊ	१३	३ मामले धारा १५१/१०७/११६ सी०आर० पी० सी०, २ मामले १४७/४३५/४२७ आई० पी० सी०, ७ मामले धारा १४७/३३६/४२७ आई० पी० सी०, १ मामला धारा १४७/४३६/३५३ आई०पी०सी०	१०४	८
४—गाजीपुर	६	धारा १४७/३२३/४२७/४५२/३८० आई० पी० सी० इत्यादि ।	४५	३

१	२	३	४	५
५--हरदोई	३	धारा १४७/४२७/३३६/३२३ आई०पी० सी०	६	..
६--वाराणसी	५२	धारा १४७/३३६/४२७/५०४/ ५०६/३७९/४३६/१८८ आई०पी०सी० इत्यादि	८१	६
७--इटावा	५	धारा ३२४/१४७/४२७/ ३३६/३०७/१८८ आई० पी० सी०	१२	२
८--गोंडा	९	धारा १४७/४३६/४२७/३३६ इत्यादि	१६	२
९-- सीतापुर	४	धारा १४७/४२७ / ४५२/ ४२६/३३६ आई०पी०सी० इत्यादि	२	१
१०--बलिया	४	धारा १४७/४५२/४२७/३३६/ ३२३/४२७ आई०पी०सी०	..	..
११--जी०आर० पी०, गोरखपुर	७	धारा १४७/३३२/३३६/४३६/ ३९५/१४३ आई०पी०सी०, १२०/१२७/१२१ रेलवे ऐक्ट	४	..
१२--कानपुर	४	धारा १४७/३३७/४२७/३३६/ ३५३/४०६/४२७ आई०पी० सी० इत्यादि	१०	..
१३--सुल्तानपुर	७	धारा १४७/१४८/३३६/४३६/ धारा ४२७ आई०पी०सी० इत्यादि	२	..
१४--मिर्जापुर	११	धारा १४३/१४७/४२६/३३२/ ३५३/३३६/३३७/१८८ आई० पी० सी०	२३	१
१५--देवरिया	२६	धारा १४३/३३६/४२७/४२६ आई०पी०सी०	२	१
१६--बाराबंकी	२१	धारा ४३६/४२७/३३६/३३२/ ३३७/३३८ आई०पी०सी०	४१	२

१	२	३	४	५
१७—उन्नाव	३	धारा १४७/३३६/३२३/४२७ आई०पी०सी०	..	.
१८—रायबरेली	४	धारा १४७/३३६/४३६/४२७ आई०पी०सी०	१६	..
१९—जी०आर०पी०, लखनऊ	१२	धारा १४७/४३६/४३५/४२७ आई०पी०सी० १२०/१२१/ १०८ रेलवे ऐक्ट	६	..
२०—प्रतापगढ़	५९	धारा १४७/३२३/३३६/४२७/ ४०४/१४३/३४२/१८०/५०६/ ३९५/३३६/४३५/३३२ आई० पी०सी०	७०	१०
२१—बांदा	१६	धारा १४७/१३६/३३७/४२७/ ३९५ आई०पी०सी०	२२	..
२२—गोरखपुर	८	धारा १४७/३३६/३३२/४२७/ ४५२ आई० पी० सी०	२	..
२३—जी०आर०पी०, इलाहाबाद	५	धारा १४७/४२६/४२७ आई० पी० सी०/१२० रेलवे ऐक्ट	१०	..
२४—आजमगढ़	३४	धारा १४७/३३६/४२७ धारा १४३/३३६/४२७ और धारा ३३६/३३७ आई०पी०सी०	२९	३
२५—बहराइच	१	धारा १४७/३५३/४२७/आई० पी० सी०	३	१
२६—हमीरपुर	१३	धारा १४७/३३६/४२७/४३५ आई० पी० सी०	२७	१
योग ..	४०५		६३०	६१

नोट—शेष जिलों से वांछित सूचना शून्य है।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४२ पर)

जुलाई, १९७७ से मार्च, १९७९ तक उत्तर प्रदेश मंत्रि मण्डल के किन-किन सदस्यों द्वारा कितनी-कितनी बार राजकीय वायुयान या हेली काप्टर से दिल्ली की यात्रा की गई और कितनी धनराशि अलग-अलग (सदस्यवार) उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खर्च किया गया, उसका विवरण नीचे तालिका में दिया जा रहा है :--

मंत्रिमंडल के सदस्यों का नाम	दिल्ली के लिये की गई यात्रा की संख्या	वायुयान एवं हेलीकाप्टर के उड़ान पर ईंधन एवं तेल पर खर्च
		रु०
1--श्री बनारसी दास, मुख्य मंत्री	2	2,286·50
2--श्री राम नरेश यादव, तत्कालीन मुख्य मंत्री एवं वर्तमान उप मुख्य मंत्री	53	79,481·95
3--श्री राम प्रकाश, भूतपूर्व उद्योग मंत्री	5	7,212·63
4--श्री मधुकर दिघे, वित्त मंत्री	4	3,652·03
5--श्री हरिश्चन्द्र, भूतपूर्व खाद्य एवं पूर्ति मंत्री	3	1,711·89
6--श्री मुहम्मद मसूद खां, तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं वर्तमान आवास मंत्री	1	1,001·02
7--श्री रमा शंकर कौशिक, तत्कालीन श्रम एवं आबकारी मंत्री एवं वर्तमान चिकित्सा मंत्री	1	794·93
8--श्री जमुना प्रसाद बोस, ग्राम्य विकास मंत्री	2	2,118·38
9--श्री राजेन्द्र सिंह, तत्कालीन कृषि मंत्री एवं वर्तमान सिंचाई मन्त्री	1	1,342·11
10--श्री रवीन्द्र किशोर शाही, भूतपूर्व विद्युत मंत्री	1	1,677·64
11--श्री मुख्तार अनीस, भूतपूर्व उप-मंत्री, चीनी मिलें	1	1,007·69
12--श्री तेज सिंह, भूतपूर्व उप मंत्री, पशुपालन	1	631·07

टिप्पणी--यह सूचना यान की बुकिंग के आधार पर दी गई है। मंत्रिगण के साथ अन्य मंत्रियों ने यदि यात्रा की हो तो उनके नाम इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४२ पर)

यू० पी० फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसियेशन्स की मांगें

१--सचिवालय एवं गैर सचिवालय कर्मचारियों के कार्य के आधार पर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाय।

२--सामूहिक समझौता प्रणाली द्वारा वेतन एवं भत्तों का निर्धारण और प्रत्येक पांच वर्ष में इसी प्रणाली द्वारा पुनरीक्षण किया जाय।

३--सचिवालय एवं गैर सचिवालय कार्यालयों में समान प्रणाली द्वारा भर्ती की जाय एवं आयु सीमा को समाप्त किया जाय।

४--कर्मचारियों के आश्रितों के लिए नौकरियों में आरक्षण दिया जाय।

५--निश्चित सेवा अवधि में प्रोन्नति के आश्वासन एवं उच्च पद के अभाव में उच्च वेतन मान दिया जाय।

६--मिनिस्टीरियल कर्मचारियों एवं आशुलिपिकों की इग्जीक्यूटिव पदों पर प्रोन्नति तथा आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत सुपरसेशन की समाप्ति की जाय।

७--विवादों के निदान के लिए राज्य एवं विभागीय स्तर पर संयुक्त सलाहकार समितियों (जे०सी०एस०) की तुरन्त स्थापना की जाय।

८--पेन्शन निर्धारण तक अन्तरिम पेन्शन जारी रखी जाय। फेडरेशन के प्रस्ताव के अनुसार पेन्शन में वृद्धि की जाय एवं सेवा निवृत्ति के साथ ही ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाय।

९--भविष्य निर्वाह निधि को विभागीय कार्यालयों में तुरन्त स्थानान्तरण किया जाय और ब्याज में वृद्धि की जाय।

१०--देय ऋणों की व्यवस्था का पुनरीक्षण करके बैंक एवं बीमा संस्थानों से धन प्राप्त करके कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय।

११--प्राइवेट डाक्टरों से इलाज का खर्च सरकार वहन करे।

१२--निःशुल्क आवास व्यवस्था की जाय अथवा आवास भत्ते में वास्तविकता के आधार पर वृद्धि की जाय।

१३--डिस्टर्बेन्स एलाउन्स एक मास के वेतन के बराबर कर दिया जाय।

१४--महंगाई भत्ते को वेतन में विलीन करके देय तिथि से बकाया धनराशि का भुगतान किया जाय।

१५--स्थायी निवास तक का यात्रा भत्ता कर्मचारियों को दिया जाय।

१६--अनुशासनिक मामलों एवं प्रत्यावेदनों का तथ्यों के आधार पर समयनान्तर्गत निपटाया जाय।

१७--पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पर्वतीय भत्ता दिया जाय।

१८--दैनिक मजदूरी प्रथा का अन्त तथा वर्तमान दैनिक वेतन भोगियों का स्थायीकरण किया जाय।

१९—चरित्रपंजिका की व्यवस्था समाप्त की जाय ।

२०—वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग २ के नियम ५६ को समाप्त किया जाय और इसके अन्तर्गत उत्पीड़ित सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवा में बहाल किया जाय ।

२१—नगर क्षतिपूर्ति भत्ते में वास्तविकता के आधार पर वृद्धि की जाय ।

२२—सरकार द्वारा स्थापित निगमों में डेपुटेशन एलाउन्स देकर कर्मचारियों को लिया जाय ।

२३—हाली डे होम्स तथा हेल्थ रिसार्ट्स का नाम मात्र शुल्क लेकर स्वरूपकालीन प्रशिक्षण की सुविधा दी जाय ।

२४—राज्य कर्मचारियों को राजनैतिक अधिकार प्रदान किया जाय ।

२५—कर्मचारियों की सहमति से संविधान की धारा ३०९ के अनुसार सिविल सर्विसेज ऐक्ट तुरन्त बनाया जाय ।

२६—सेवा निवृत्ति की आयु ६० वर्ष की जाय ।

२७—मनमाने निलम्बन की कड़ाई से रोकथाम, अनुशासनिक मामलों के निपटाने के लिए अवधि का निर्धारण तथा अवधि समाप्त होने पर स्वतः पूर्व स्थिति की व्यवस्था की जाय ।

२८—राज्य कर्मचारी कल्याण योजना का विस्तार किया जाय ।

२९—मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की जायें ।

३०—राज्य कर्मचारियों को ओवर टाइम भत्ता दिया जाये ।

३१—कर्मचारियों को अवकाश अधिकार स्वरूप दिया जाय । कर्मचारियों की इच्छानुसार नकदीकरण अवकाश की व्यवस्था की जाय ।

३२—न्याय के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को वापस दिया जाय ।

३३—तीन वर्ष की सेवा के पश्चात् कर्मचारी का स्वतः स्थायीकरण किया जाय ।

३४—बिना वैकल्पिक व्यवस्था के छंटनी न की जाय ।

३५—कर्मचारियों को डिफर्ड वेज (बोनस) प्रदान किया जाय ।

३६—उ० प्र० सर्विसेज ट्रिबुनल की वर्तमान अधिकारों में परिवर्तन करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाय तथा प्रत्येक जिले में प्रतिमाह ट्रिबुनल की बैठक की व्यवस्था की जाय ।

परिशिष्ट

भाग 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर नीचे पृष्ठ ६४३ पर)

तालिका

वर्ष	कितनी जगह फायरिंग हुई	कितने व्यक्ति मरे
१९७८ (१-१०-७८ से ३१-१२-७८ तक)	दो जगह (अलीगढ़ तथा गाजियाबाद)	९ व्यक्ति
१९७९ (१-१-७९ से ३१-१-७९ तक)	तीन जगह (फैजाबाद, बाराबंकी तथा जी० आर० पी०, आगरा)	१ व्यक्ति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४४ पर)

उत्पादन का विवरण

	यूनिट का नाम	उत्पादन की मात्रा
१	मेसर्स किरन इण्डस्ट्रीज, राजामंडी, आगरा	१९४५-७२० के० जी०
२	मेसर्स कस्तूरी आइरन एण्ड स्टील प्रोडेक्ट्स, नाई की मंडी, आगरा	९-५३९
३	मेसर्स के० के० इन्जीनियरिंग वर्क्स, नाई की मंडी, आगरा	१८-६२५
४	गोविन्द राम रामजी लाल जैन, लोहा मंडी, आगरा	१५-एम० टी०
५	नव भारत इंडस्ट्रीज, हाथरस रोड, आगरा-६	१५३-थेशर्स
६	सहगल एण्ड कम्पनी, शाहगंज, आगरा	१२-९१४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४४ पर)

स्वीकृत अनुज्ञापत्रों का थानेवार विवरण की सूची

थाने का नाम	स्वीकृत अनुज्ञापत्रों की संख्या
१—एटा	९७
२—सकीट	२२
३—निधौली कलां	४४
४—मारहरा	८७
५—बागवाला	३७
६—कासगंज	६१
७—सोरों	४२
८—शिवपुरा	३९
९—सीरो	४७
१०—अलापुर	३५
११—अलीगंज	(१६८ [illegible])
१२—जैथरा	५६
१३—गंजडुंडवारा	२८
१४—पटियाली	३४
१५—सिकन्दरपुर वैस	२१
१६—जलेसर	६३
१७—अवागढ़	२०
१८—राजकीय कर्मचारी	१११ (थानेवार विवरण उपलब्ध नहीं है)।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४६ पर)

१-१-१९७८ से ३१-१२-१९७८ की अवधि में नगरपालिका बलिया क्षेत्र के थानों के अन्तर्गत प्रश्न में उल्लिखित अपराध के बारे में सूचना

अपराध	पंजीकृत अपराधों की संख्या	अपराधों की संख्या जिनमें विवेचना की गई	अपराधों की संख्या जिनमें विवेचना नहीं की गई	विवेचनाधीन अपराधों की संख्या	अपराधों की संख्या जिनमें आरोप-पत्र भेजा गया	अपराधों की संख्या जिनमें अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई
१	२	३	४	५	६	७
डकैती	३	३	..	..	..	३
लूट, राहजनी	१२	१२	..	१	२	९
हत्या	२	२	..	..	१	१
चोरी (ट्रान्सफार्मर की चोरी सहित)	२६४	२६३	१	..	४५	२१८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६७० पर)

न्यू पब्लिकेशन्स, २४२, वेस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ द्वारा जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, १९७९-८० के लिए प्रकाशित सरस्वती गाइड बुक नामक गाइड बुक विषय वार जो छापी गयी, उनका विवरण

क्रम-संख्या	विषय	प्रतिशत, जो न्यू पब्लिकेशन्स, मेरठ से मिलता है
१	हिन्दी साहित्य, व्याकरण एवं संस्कृत	५९.५
२	हिन्दी अनुवाद तथा निबन्ध	१५.३
३	साधारण विज्ञान	३८.३
४	संस्कृत	४४.३
५	अंग्रेजी	४०.७
६	अंकगणित	२९.४
७	इतिहास तथा नागरिक शास्त्र	३९.०
८	भूगोल	३३.०१

उत्तर प्रदेश विधान सभा